info@croindia.org
www.croindia.org

CONSUMER RIGHTS ORGANISATION
CRO
INDIA
KNOW YOUR RIGHTS

WORLD CONSUMER RIGHTS DAY

15 MARCH
2018

Registration No. : 217/4/3410

CONSUMER RIGHTS ORGANISATION

2018/10000/CTC-100

PRIVATE CIRCULATION ONLY

NAVIN AGARWAL

National President

Mob.: +91-97998-73495

CONSUMER RIGHTS ORGANISATION

CRO

INDIA

KNOW YOUR RIGHTS

President desk

The consumer movement marks 15th March with World Consumer Rights Day every year, as a means of raising global awareness about consumer rights and needs. Celebrating the day is a chance to demand that the rights of all consumers are respected and protected, and to protest against market abuses and social injustices which undermine those rights.

World Consumer Rights Day was inspired by President John F Kennedy, who sent a special message to the US Congress on 15th March 1962, in which he formally addressed the issue of consumer rights. He was the first world leader to do so. The consumer movement first marked that date in 1983 and now uses the day every year to mobilize action on important issues and campaigns.

As our Nation turns its thoughts to the tragic events in Dallas 50 years ago on November 22nd, let us take a moment to reflect on one facet of President John F. Kennedy's legacy-the promotion of consumer rights. During a March 15, 1962 speech to the United States Congress, President Kennedy asserted four basic consumer rights which were the forerunner to the Consumer Bill of Rights. The four consumer rights espoused by President Kennedy were:

- Right to safety (relates to consumer product safety……10 years later the Consumer Product Safety Commission was created)
- Right to be informed (relates to truth in advertising, financing, labeling, etc…….impetus for legislation such as the Magnuson-Moss Warranty Act and Truth in Lending Act)
- Right to be heard (relates to complaints about problems with products and services as well as to pursue and obtain remedies where necessary …..consumer law attorneys, Attorneys General in the 50 states, and the newly minted Consumer Financial Protection Bureau help give teeth to the laws that protect consumers)
- Right to choose (relates to affording consumers meaningful options with whom they decide to transact business……..antitrust laws, anti-monopoly laws, and anti-price gouging laws are a few examples of how the right to choose is preserved)

President Kennedy helped spark discussion, legislation, and protection for consumers. Other Presidents and government officials have taken the proverbial torch and in 2013 consumers have far more rights and protections than they had 50 years ago. However, unscrupulous and greedy businesses and individuals still devise ways to profit at the consumer's expense. In the day and age of the Internet and online financial transactions it has become easier for the bad guys (and girls) to cheat consumers and cover their proverbial tracks.

The best consumer is the educated consumer. Do your research before you decide to buy or otherwise engage in consumer activity.

On this day I am publishing a Magazine and convey my best wishes to all Members of the "Consumer Rights" and hope that the society will certainly aware through your good self about the Rights.

Jai Hind.

NATIONAL TEAM

NAVIN AGARWAL
National President

CONSUMER RIGHTS ORGANISATION
CRO
INDIA

KNOW YOUR RIGHTS

NIRMAL CHAUDHARY
National President (Working)

Dr. Sunil Kala
National Vice-President

Miss Zeenat Anwar
National Legal Advisor

Dr. V.K. Saxena
National Legal Advisor

Rahul Sinha
National Jt. Secretary

Ganesh Chaudhary
National Org. Secretary

Pramod Kumar
National Org. Secretary

Dr. Hemant Chandwani
National Org. Secretary

Shashikant Sharma
National Treasurer

Manoj Chaurasia
National Ex. Committee Member

Usha Dani
National Ex. Committee Member

Ravinder K Agrawal
National Ex. Committee Member

CONSUMER RIGHTS ORGANISATION
CRO
INDIA
KNOW YOUR RIGHTS

SOUTH INDIA ZONAL TEAM

M. Prasad Rao
Zonal President

S. Surya Vasantha K
Zonal Vice-President

Banala Sreenivasulu
Zonal General Secretary

Shaik Rizwan
Zonal Organizing Secretary

Srinath Gorantla
Zonal Media Advisor

K. Dinesh Naidu
Zonal Joint Secretary

CONSUMER RIGHTS ORGANISATION
CRO
INDIA
KNOW YOUR RIGHTS

STATE PRESIDENTS

Rakesh Pancholi
West Bengal

Devkaran Makran
Chhattisgarh

Shivanand Singh
Bihar

Dr. Farid A Rehman C.
Maharashtra

Jitendra S Gaur
Rajasthan

Vikrant Yadav
Delhi

Ajay Bhandari
Madhya Pradesh

Index

संदेश	01
Human Rights	02
जानिए हवाई यात्री के अधिकार	04
रेल्वे में सफर के दौरान क्या होते हैं एक यात्री के अधिकार ?	05
CBSE का निर्देश स्कूल में अब नहीं बेची जाऐंगी किताबें-यूनिफॉर्म	06
कोई भी प्राइवेट स्कूल छुट्टियों के दिनों की यानी जून-जुलाई महीने की फीस नहीं ले सकेगा	06
Driver V/S Bank Manager	07
Consumer Rights	08
Important Message	09
उपभोक्ता संरक्षण कानून - जानिए अपने अधिकार	10
कर रहे हों जब रेलवे से सफर तो जरूर याद रखें अपने ये 7 अधिकार	12
1 जनवरी से 14, 18 और 22 कैरेट आभूषणों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य	13
बिल के नाम पर नर्सिंग होम नहीं रोक सकता मरीज या डेड बॉडी	14
अब उधार में यात्रा कराएगी भारतीय रेल	15
ZEE जानकारी : प्राइवेट अस्पतालों की मुनाफे वाली सोच को ठीक करने का इलाज	16
हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना सरकार की है जिम्मेदारी	18
ट्रैफिक हवलदार नहीं निकाल सकता आपके गाड़ी की चाबी	19
ट्रैफिक में चालान कटने पर नकद पैसा देना जरूरी नहीं	20

KNOW YOUR RIGHTS

ALL INDIA NON POLITICAL ORGANISATION

•

WORKING AREA ALL OVER INDIA

Chief Editor: NIRMAL CHOUDHARY # +91-94720-89412

Sub-Editor: Ravinder Kumar Agrawal
Sandeep Jain # +91-70147-77594

Special Thanks: Mr. Sanjay Bhati, Dr. V. K. Saxena
Dr. Sunil Kala, Dr. Monika Khatri
Dr. Deepak Kr., Dr. Neetu Khatri
Ms. Chesta Sharda, Ms. Anita Chauhan

Designed & Printed by : JITENDRA JEENGAR
Jeengar Graphics, Kota (Rajasthan)
+91-98870-38007

REGD. OFFICE : T-510/15-E-12, BALJEET NAGAR (BNB-0404), NEW DELHI - 110008
Head Office : 204, 2nd Floor, Ganpati Complex, Rangpur Rd., Nr. Flyover, Kota - 324002

'जीरो FIR' के तहत महिलाएं किसी भी थाने में दर्ज करा सकती हैं शिकायत 21

परिवार देगा रोटी, कपड़ा, मकान क्योंकि भरण-पोषण आपका हक 22

सूर्यास्त के बाद नहीं हो सकती महिला की गिरफ्तारी 23

पिता की संपत्ति में बेटी को है बराबरी का हक 24

गरीबों को न्याय के लिए सरकारी खर्च पर वकील रखने का हक 25

खराब क्वालिटी की वजह से हुए नुकसान के खिलाफ कर सकते हैं शिकायत 26

कानून आपको देता है रोजी-रोटी कमाने का अधिकार 27

भारत में किसे है बच्चों को गोद लेने का हक, क्या कहता है कानून 28

न्यूनतम मजदूरी और सप्ताह में एक दिन अवकाश हर कर्मचारी का हक 29

मकान मालिक नहीं काट सकता है किराएदार के घर की बिजली और पानी 30

पीएम और प्रेसिडेंट ऑफिस भी हैं 'सूचना का अधिकार' कानून के दायरे में 31

आत्मरक्षा में की गई हत्या अपराध नहीं 32

बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी 33

चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में उपभोक्ताओं के अधिकार 34

इन 3 तरीकों से आप कर सकते हैं CBSE Board परीक्षा के साथ JEE Main 2018 की भी तैयारी 37

स्कूल बसों में GPS और CCTV जरूरी CBSE ने जारी की गाइडलाइंस 38

टोल से गुजरने वाली गाड़ियां हर बार लें 12 घंटे की पर्ची : गडकरी ? 39

उपभोक्ता अधिकार 40

Handmade Paper : The Potential Catalytic Role in Swatcch Bharat Mission and Development of Smart Cities 43

Handmade Paper : A Potential Catalyst of Swatch Bharat Mission and Smart City Development 46

पेट्रोल डीजल पर सरकारी मार - आम उपभोक्ता परेशान 47

THE PROTECTION OF WOMEN FROM DOMESTIC VIOLENCE ACT, 2005 48

व्यसन मुक्ति (Deaddiction) 50

Meditation as medicine 51

Stress Management तनाव प्रबंधन 52

कविता 52

कैंसर - बीमारी नहीं बिजनेस 53

उपभोक्ता संरक्षण के निमित्त जागरुकता एवं महत्व 54

न्यूजपेपर कटिंग्स 55

KNOW YOUR RIGHTS

जीवन अमूल्य है ...

हर पल कुछ नया करने के लिए है ...

आइये :

CONSUMER RIGHTS ORGANISATION

की ऊर्जावान व उत्साही टीम के साथ मिलकर

उपभोक्ताओं को संगठित व जागरुक करने का प्रयास करें

ताकि आप हर पल कह सकें

FOR THE PEOPLE

BY THE PEOPLE - TO THE PEOPLE

शुभकामनाओं सहित –

निर्मल चौधरी

राष्ट्रीय अध्यक्ष (कार्यवाहक)

कन्ज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन

विश्व उपभोक्ता दिवस – 15 मार्च

15 मार्च को विश्वभर में हर साल विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है इस दिन विश्वभर में सरकारी और स्वयं सेवी संस्थाएँ अलग-अलग आयोजन कर आम उपभोक्ताओं को जागरूक करने की कार्य शालाएं आयोजित करती है। सरकार एवं स्वयं सेवी संस्थाएँ विभिन्न कार्यक्रम जैसे संगोष्ठी, प्रदर्शनी रैली आदि का आयोजन कर उपभोक्ताओं को उनके प्राप्त अधिकारो के प्रति जानकारी देकर जागरूक करने का प्रयास करते है। आम उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने हेतु 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया जिसमे काफी बदलाव की जरूरत थी।

वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा इस बदलाव को महसूस करते हुए नया उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को केंद्र सरकार द्वारा मंजूर किया गया स्वागत योग्य है। इसमें बहुत से प्रावधानों के अंतर्गत कंपनियां द्वारा भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर जुर्माना एवं सजा दोनों को मंजूरी दी। भ्रामक विज्ञापन जो सेलिब्रिटी द्वारा बताये जाते हैं उन पर भी जुर्माना और सजा का प्रावधान रखा। मिलावट खोर ,नकली सामान, खाद्य सामग्री एवं विभिन्न तरह के प्रलोभन देकर माल बेचने पर रोक हेतु भी कानून बनाया सराहनीय है ,अब बारी आम उपभोक्ताओं के जागरूक होने की है। हमारा संगठन आने वाले समय में विभिन्न तरीके से आम उपभोक्ताओं के पास पहुँच कर उनको जागरूक करने का प्रयास करेगा। विश्व उपभोक्ता दिवस पर हम संकल्पित होकर आप सभी को शुभ कामना देते हैं।

स्वस्थ रहें, मस्त रहें।

डॉ. सुनील काला

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

कन्ज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन

What are human rights?

In order to live with dignity certain basic rights and freedoms are necessary, which all Human beings are entitled to, these basic rights are called Human Rights

Human rights demand recognition and respect for the inherent dignity to ensure that everyone is protected against abuses which undermine their dignity, and give the opportunities they need to realize their full potential, free from discrimination.

Human rights include civil and political rights, such as:

The right to freedom of expression

The right to freedom of religion or conscience

The right to property

The right to freedom of assembly

The right to privacy

The right to vote after 21 year age

Human rights also cover economic and social rights, such as:

The right to an adequate standard of living

The right to adequate food, housing, water and sanitation

The rights you have at work

The right to education.

Human rights belong to everyone, everywhere, regardless of nationality, sexuality, gender, race, religion or age. The foundation of modern human rights is the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). The 30 articles of the Declaration were adopted in 1948 by the United Nations General Assembly, and over time these have been integrated into national laws and international treaties. The core values of the UDHR - human dignity, fairness, equality, non-discrimination - apply to everyone, everywhere.

Historical Development of Human Rights

Human rights are the rights a person has simply because he or she is a human being. Human rights are held by all persons equally, universally, and forever. All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. Kant said that human beings have an intrinsic value absent in inanimate objects. To violate a human right would therefore be a failure to recognize the worth of human life. Human right is a concept that has been constantly evolving throughout human history. They have been intricately tied to the laws, customs and religions throughout the ages. Most societies have had traditions similar to the "golden rule" of "Do unto others as you would have them do unto you." The Hindu Vedas, the Babylonian Code of Hammurabi, the Bible, the Quran (Koran), and the Analects of Confucius are five of the oldest written sources which address questions of people's duties, rights, and responsibilities.

Right to Clean Environment: A basic Human Right

At present, all of us all over the globe face grave environmental problems. The continuing deterioration of earth's ecological reserves poses a serious threat to the pollution free environment. One of the most complex challenges facing our generation is to maintain a workable synergy between sustainable economic development and pollution free environment.

The factors which have contributed most directly to the excessive pressure on the environment and natural resources in India are:-

1. A doubling of the region's population over the past four decades.
2. A tripling of economic output, and
3. The persistence of poverty.

The movements are massive and legal maneuvers stupendous, but much appears to be yet in store. The children and the layman have all become endowed with the consciousness for a halcyonic environment. However, positive results are not forthcoming. The prospects are murky and future is unsafe but pessimism is no cult to advocate and human dedication to combat pollution has to march ahead undaunted.

In this scenario, India needs a global war on environmental degradation that is as aggressive and well - funded as the war on terrorism. More than ever we need to take necessary steps to ensure that the environment remains at the top of our agenda.
- - Aditi singh

Why Must Human Rights Be Protected by the Rule of Law

Human Rights have a projection of universality but as a matter of ground reality they are not the same for all people and societies. For some, especially the well-advanced west, they are predominantly matters of civil and political liberty while for others, the developing and under-developed Asian, Africa and Latin America, predominantly they are also matters of survival. Human Rights are therefore about being citizen of the earth, being part of an earth family. Human Rights in my view are exercised to their fullness through participating in earth democracy-the democracy of all life. And as earthlings, our human duties to protect the earth and all her beings are the ground from which Human Rights emerge.

"All humanity is one undivided and indivisible family, and each one of us is responsible for the misdeeds of all others. I cannot detach myself from the wickedest soul." Mahatma Gandhi - - KarishmaKumari

Whistleblower Protection In India

A bill for protection of Whistleblowers was first initiated in 1993 by Mr. N. Vittal (the then Chief Vigilance Commissioner). In December 2001, Law Commission recommended that in order to eliminate corruption, a law to protect whistleblowers was essential and submitted its report on 'Public Interest Disclosure Bill' to Mr. ArunJaitley (then Minister of Law, Justice and Public Affairs) along with the draft bill. In January 2003, the draft of Public Interest Disclosure (Protection of Informers) Bill, 2002 was circulated. - - LipiThapliyal

Protective Discrimination

Protective discrimination is the policy of granting special privileges to the downtrodden and the underprivileged sections of society, most commonly women. These are affirmative action programs, most visible in both the United States and India, where there has been a history of racial and caste discrimination. The practice is most prominent in India, where it has been enshrined in the constitution and institutionalized - - Srabanee Ghosh

Corruption in Governance : Human Rights Dimensions

Corruption threatens the rule of law, democracy and human rights; undermines good Governance, fairness and social justice; distorts competition, hinders economic development, and endangers the stability of democratic institutions and moral foundations of society. The Preamble of the Council of Europe Criminal Convention on Corruption.

Ignorance, forgetfulness or contempt for human Rights are the only causes of public misfortune and the corruption of Governments - The Preamble of the Declaration of Human and Citizens Rights, 1789 - - Ashish Kumar Gill

Why Must Human Rights Be Protected By The Rule of Law

Human rights confer rights on the human being. Human Rights are inherent to all human beings, whatever our nationality, residence, language, origin, sex, color and any other status. We are all equally entitled to human rights without discrimination.

General Secretary of United Nations Ban ki moon represented a view that, protection of all Human rights and implementation of effective counter terrorism measures are complementary and mutually reinforcing the objective of human rights. - - Pallavi Prithviraj Ghorpade

DR. V.K. SAXENA
National Legal Advisor of Rajasthan
CONSUMER RIGHTS ORGANISATION

सूचना का अधिकार 2005 क्या है ?

यह एक विशेष तरह का कानून है, जिसकी शुरूआत वर्ष 2005 में हुआ था। इस कानून को लाने का सबसे बड़ा लक्ष्य आम जनता को सरकार से सवाल करने का हक देना था। इस कानून की सहायता से कोई भी आम व्यक्ति किसी भी सरकारी कार्यालय में अपना आरटीआई दर्ज करा कर किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकता है। सरकार से सवाल पूछने का हक देश के हर नागरिक को है।

RTI महत्वपूर्ण क्यों ?

यह भ्रष्टाचार को रोकने का एक बहुत बड़ा रास्ता साबित हो सकता है। कोई भी व्यक्ति सरकारी दफ्तरों से तरह-तरह का ब्यौरा प्राप्त कर सकता है। यह कानून जम्मू और कश्मीर को छोड़ कर भारत के सभी राज्यों में लागू है। जम्मू और कश्मीर में जे एंड के आरटीआई मान्य है। इस कानून में सभी संवैधानिक पद आते है, जिसकी जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति किसी सरकारी संस्थान से जानकारी के लिए अपना आवेदन दे सकता है, जिसका जवाब उस सरकारी संस्थान को महज 30 दिनों के अन्दर देना होता है।

सूचना का अधिकार हेतु शुल्क

इसके लिए निर्धारित शुल्क 10 रू. है अगर आप बी.पी.एल. परिवार से है तो कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा, परन्तु उससे जुड़े दस्तावेज की फोटो प्रति एप्लीकेशन के साथ देनी होगी। शुल्क आप किसी भी तरीके से जैसे नकद, डी.डी., चैक या फिर सबसे सुविधाजनक तरीका पोस्टल ऑर्डर से भी दे सकते हैं।

on behalf of
O.P. Shrivastava
Kota Rajasthan

इस विशेष खबर के द्वारा जानें किस प्रकार सूचना का अधिकार बन सकता है विकास का आधार

हर व्यक्ति टैक्स का भुगतान करता है तथा इसलिये उसे अधिकार मिलते हैं कि वह यह जाने कि हमारे द्वारा दिए गए करों या टैक्स का उपयोग सरकार द्वारा किस प्रकार किया जा रहा है। जो पैसा करों के रूप में हम सरकार को दे रहें हैं सरकार द्वारा उसका सही इस्तेमाल किया जा रहा है अन्यथा नहीं। इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान की धारा 19/1 के तहत हमें एक मूलभूत अधिकार प्राप्त हुआ है। धारा 19/1 के अन्तर्गत हम सभी को बोलने व अभिव्यक्त करने की स्वंतत्रता दी गई है। इसके अन्तर्गत सभी को यह जानने का अधिकार है कि सरकार कैसे कार्य करती है। सरकार की क्या भूमिका है ? सरकार के क्या-क्या कार्य हैं इत्यादि ? यह हमारा वो अधिकार है जो हम आम जनता को सशक्त व मजबूत बनाता है क्योंकि सूचना के अधिकार के अंतर्गत वह किसी भी सरकारी कार्यालय अथवा दफ्तर से कुछ भी जानकारी मांग सकता है। जिसमें हमें लगता है कि धोखाधड़ी हुई है अथवा उस काम में पारदर्शिता नहीं है। हम अपनी किसी भी जानकारी के लिए भी सूचना के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

सूचना के अधिकार में नहीं आने वाले विभाग

- खुफिया एजेन्सी की वैसी जानकारियाँ जिनके सार्वजनिक होने से देश की सुरक्षा व अखण्डता को खतरा हो।
- दूसरे देशों के साथ भारत से जुड़े मामले व निजी संस्थाओं से संबंधित जानकारी।

सूचना का अधिकार से लाभ

इससे आम लोगों को कई तरह से लाभ प्राप्त होते है और व्यवस्था तंत्र में पारदर्शिता आती है।

- यह आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और नागरिकों को सशक्त करता है।
- इस कानून का सदुपयोग करके सरकारी संस्थानों से कई तरह के तथ्य सम्बंधित जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा कोई व्यक्ति इस कानून के अधीन राय नहीं मांग सकता है।
- इस योजना के अधीन वह सभी जानकारियाँ प्राप्त कर सकता है, जो उसकी निजी जीवन से जुड़ी है, जैसे पासपोर्ट, प्रोविडेंट एवं फण्ड सम्बंधित जानकारी, टैक्स रिफंड सम्बंधित जानकारी, पेंशन सम्बंधित जानकारी इत्यादि।

जानिए हवाई यात्री के अधिकार

http://m.hindi.webdunia.com/article/national-hindi-news/जानिए-हवाई-यात्रा-के-अधिकार-113031900071_1.htm

हवाई जहाज की यात्रा करते समय कई अधिकार-नियम होते हैं जिनसे हम अनजान रहते हैं। इन अधिकारों और नियमों को जानना हमारी हवाई जहाज की यात्रा को सुविधाजनक बना सकता है।

आइए जानते हैं क्या हैं वे अधिकार और नियम -

डीजीसीए का यह नियम है कि विमान खराब होने के घ्एक घंटे बाद यात्री को सुविधा देनी होगी और यदि वह सुविधा नहीं चाहता तो हाथोहाथ टिकट का पैसा देना पड़ेगा। चूंकि इसकी जानकारी यात्रियों को नहीं होती, अतरूवे सहने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

नियमों के मुताबिक जितने का भी टिकट हो, उतना पूरा पैसा रिफंड किया जाना चाहिए। यदि यात्री दूसरे विमान में जाना चाहता है तो उसकी व्यवस्था भी कंपनी को करनी पड़ेगी। यदि विमान एक घंटे बाद नहीं उड़ा और दूसरा विमान आने वाला हो तो यात्री को थ्री स्टार होटल में रुकवाना होगा।

जैसे ही वह विमान आ जाए तो यात्री को होटल से कंपनी के किराए से टैक्सी में वहां तक पहुंचाना होगा। यदि पूरा रिफंड नहीं देते हैं तो उनसे रिफंड सर्टिफिकेट की मांग करना चाहिए। रिफंड सर्टिफिकेट यात्री का हक है। इससे वह कंपनी पर क्लेम लगा सकता है।

उड़ान यदि देर रात को नहीं उड़ी तो उसका होटल किराया भी कंपनी को ही देना होगा। डीजीसीए ने साफ किया है कि जैसे ही पायलट ने कहा कि विमान नहीं उड़ सकता है तो सभी यात्रियों को वेटिंग रूम में लाकर तत्काल फूड कूपन देकर विमानतल पर बने रेस्टोरेंट में नाश्ता करवाना जरूरी है, वहीं छोटे बच्चे हों तो उनके दूध की व्यवस्था भी कंपनी को करनी होगी।

यदि इन सबसे कंपनी वाले पल्ला झाड़ते हैं तो डीजीसीए की वेबसाइट पर 24 घंटे में शिकायत हो जाना चाहिए इसके बाद सुनवाई नहीं होती है तो यात्री को पहले विमानतल निदेशक को लिखित में या फिर एसएमएस करके जानकारी देना चाहिए। इसके लिए एयर कंट्रोल रूम के प्रभारी को किसी भी सूरत में विमानतल निदेशक का फोन नंबर देना जरूरी है। फोन नंबर तभी मिलेगा, जब यात्री अपना टिकट दिखाएगा।

60 मिनट बाद होता है यात्री का हक शुरू : पहले 60 मिनट काफी खास होते हैं। ऐसे में यदि विमान ठीक हो जाए तो कोई मुश्किल नहीं होती। 60 मिनट बात यात्री का हक शुरू होता है और कंपनी को इसे देना पड़ता है। यदि वे नहीं देते हैं तो तुरंत कंट्रोल रूम से संपर्क कर निदेशक का मोबाइल नंबर लेना चाहिए ताकि उसमें पीएनआर नंबर डालकर शिकायत की जा सके। (एजेंसियां)

भोजन के बाद गर्म सूप या गुनगुना पानी पिया जाये। एक गिलास गुनगुना पानी सोने से ठीक पहले भी पीना चाहिए। इससे खून के थक्के नहीं बनेंगे और आप हृदयाघात से बचे रहेंगे।

एक हृदय रोग विशेषज्ञ का कहना है कि यदि इस संदेश को पढ़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति इसे 10 लोगों को भेज दे, तो वह कम से कम एक जान बचा सकता है।

Dr. Naresh Trahan
(HEART SPECIALIST)
Medanta Hospital, Gurgaon HR

रेल्वे में सफर के दौरान क्या होते हैं

एक यात्री के अधिकार ?

http://abpnews.abplive.in/india-news/it-is-very-important-for-you-to-know-these-officials-of-indian-railways-612250

नई दिल्ली, इंडियन रेलवे भारतीयों की जिंदगी में एक खास स्थान रखता है. यात्रियों को अच्छी और सुरक्षित यात्रा कराना भारतीय रेलवे की जिम्मेदारी है. रेल विभाग की तरफ से अपने यात्रियों को कई सुविधाएं दी जाती हैं लेकिन इन सुविधाओं के बारे में अधिक जानकारी न होने की वजह से यात्रियों को सफर के दौरान कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. आज हम आपको रेल सफर से जुड़े कुछ अधिकारों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में ज्यादातर यात्रियों को पता नहीं होता.

सफर के दौरान क्या होते हैं एक यात्री के अधिकार ?

अगर आप रेल से सफर करने जा रहे हैं तो अपने इन अधिकारों के बारे में जान लीजिए. क्योंकि एक रेल यात्री को अपने इन अधिकारों के बारे जानकारी होनी जरूरी है।

अगर आपका आरक्षित टिकट खो गया है फिर भी आप कुछ अतिरिक्त किराया देकर यात्रा कर सकते हैं।

अगर आप सिर्फ प्लेटफार्म टिकट के साथ ट्रेन में चढ़ गए हैं तो परेशान न हों और TTE के पास जाकर टिकट बनवा लें।

आरएसी टिकट वाले यात्रियों को यात्रा के दौरान हाफ सीट मुहैया कराना TTE की जिम्मेदारी होती है।

रोगी, वरिष्ठ नागरिक, पुरस्कार प्राप्तकर्ता, युद्ध शहीदों की विधवाएं, छात्र, युवा, किसान, कलाकार-खिलाड़ी और चिकित्सा व्यावसायी समेत रेलवे कई और श्रेणियों में रियायत देता है. इन रियायतों के बारे में आप ज्यादा जानकारी ''रियायत नियम'' पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।

सफर के दौरान TTE को करने होते हैं ये जरूरी काम.. ?

सफर के दौरान अक्सर यात्रियों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है. इन समस्याओं में साफ सफाई पानी की दिक्कत और महिला सुरक्षा मुख्य हैं. यात्रा के दौरान हमें समझ में नहीं आता है कि हम इन समस्याओं से कैसे निपटें ? आपके लिए ये जानना जरूरी है कि सफर के दौरान TTE का काम सिर्फ टिकट चेक करना नहीं होता है।

रेल यात्रा करने वाले बहुत कम लोगों को पता होता है कि ट्रेन के दरवाजों को खुलवाना और बंद करवाना भी TTE का ही काम होता है।

ट्रेन में यात्रा कर रही अकेली महिला के बगल में केवल किसी महिला को ही सीट देना भी TTE के कार्यक्षेत्र में आता है।

ट्रेन में पानी खत्म हो जाने पर TTE को अगले स्टेशन पर ट्रेन में पानी भरवाना होता है.

टॉयलेट गंदा होने की स्थिति में टॉयलेट को साफ करवाना भी TTE की जिम्मेदारियों में से एक है.

ट्रेन में पंखे और लाइट खराब होने पर आप TTE से शिकायत कर सकते हैं. TTE को आपकी शिकायत पर एक्शन लेना ही होता है.

ट्रेन में साफ-सफाई का ध्यान भी TTE को ही रखना होता है.

TTE को यात्रा के दौरान साफ सुथरी वर्दी और नेम बैज के साथ होना भी जरूरी है.

रेलवे की तरफ से दी जाती है वरिष्ठ नागरिकों को विशेष छूट

60 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक की सूची में आते हैं. वरिष्ठ नागरिक हमारे देश के गौरव हैं और उनके योगदान के कारण ही हमारा और आपका आज बेहतर हो रहा है. रेलवे विभाग की ओर से वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा के दौरान किराए में विशेष छूट दी जाती है. सरकार की इस विशेष छूट का फायदा हमारे बहुत कम वरिष्ठ नागरिक उठा पाते है. ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वे इस बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं।

पुरुष वरिष्ठ नागरिक को रेल किराए में 40 फीसदी छूट मिलती है तो वहीं महिला वरिष्ठ नागरिक को 50 फीसदी छूट मिलती है. भारतीय रेलवे के मुताबिक महिला वरिष्ठ नागरिक उसको माना जाएगा जिसकी आयु 58 वर्ष हो चुकी हो. इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपके पास आईडी प्रूफ के तौर पर वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर सीनियर सिटीजन कार्ड होना जरूरी है. टिकट बुक कराते समय वरिष्ठ नागरिक प्रमाण दिखाकर टिकट किराए में रेलवे की तरफ से दी जाने वाली छूट का फायदा उठा सकते हैं।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

CBSE का निर्देश

स्कूल में अब नहीं बेची जाऐंगी किताबें-यूनिफॉर्म

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए एक कड़ा निर्देश जारी किया है। इस जारी होने के साथ ही अब स्कूल कैंपस में टेक्स्ट बुक्स, स्टेशनरी समेत अन्य किसी भी चीज को नहीं बेच सकेंगे। साथ ही बोर्ड ने कहा कि किसी चयनित विक्रेता से स्कूल कॉपी-किताबें खरीदने के लिए भी बच्चों को मजबूर नहीं करेंगे।

दबाव बनाने वाले पर होगी कार्रवाई

बोर्ड ने आदेश जारी करते हुए कहा कि स्कूल कैंपस में किताबें, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी आदि खरीदने का दबाव बनाने वाले विद्यालयों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उनकी मान्यता भी रद्द कर दी जाएगी।

शिकायत पर CBSE ने लिया संज्ञान

गौरतलब है कि इसे लेकर लगातार छात्र-छात्रों और उनके माता-पिता की तरफ ये यह शिकायत सुनने को मिल रही थी जिससे संज्ञान में लेते हुएCBSE ने यह निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के साथ ही बोर्ड ने NCIRT टेक्स्ट बुक्स के इस्तेमाल पर जोर दिया है।

CBSE ने नियम का दिया हवाला

बोर्ड ने कहा कि CBSE की संबद्धता के नियम 19.1 में कहा गया है कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत सोसाइटी या ट्रस्ट या कंपनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूल का संचालन सामुदायिक सेवा के रूप में हो और कारोबार की तरह नहीं। स्कूलों में किसी भी रूप में व्यावसायिकता नहीं पनपे।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कहा है कि बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूलों को 12 अप्रैल 2016 के उस परिपत्र का पालन करना चाहिए, जिसमें NCIRT और CBSE किताबों के इस्तेमाल के लिए कहा गया है।

https://www.navodayatimes.in/news/national/cbse-to-act-against-schools/38739/

कोई भी प्राइवेट स्कूल छुट्टियों के दिनों की यानी जून-जुलाई महीने की फीस नहीं ले सकेगा

High Court Order CP. No. 5812 of 2015_So (G-111)SE 2L/PS/HC/3-859/18 Dated 05-03-2018

कोई भी प्राइवेट स्कूल छुट्टियों के दिनों की यानी जून जुलाई महीने की फीस नहीं ले सकेगा। अगर उस स्कूल ने मना करने बाद फीस वसूली तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। जिसमे उसकी मान्यता भी रद्द हो सकती हैं।

इसके लिए अभिभावक पुलिस में शिकायत भी कर सकते है। अगर किसी ने एडवांस में फीस जमा कर दी है तो वापिस मांग लें या फिर अगले महीने में एडजस्ट करा दे। स्कूल फीस ना दे या एडजस्ट ना करे तो पुलिस में शिकायत करे। पुलिस ना सुने तो CM विंडो पर शिकायत करे।

जागो ग्राहक जागो - जानकारी शेयर करें और रिश्तेदारों को बताए।

जो चंदन घिस जाता है, वह भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है
और
जो नही घिसता वह तो सिर्फ मुर्दे जलाने के काम ही आता है !

औरत की ताकत

एक रात प्रेसिडेंट ओबामा अपनी पत्नी मिशेल के साथ कैजुअल डिनर पर एक होटल गए। होटल मालिक ने सीक्रेट सर्विस कमांडोज से मिसेज ओबामा से बात करने की रिक्वेस्ट की। मिशेल होटल मालिक से मिली बात की।

जब लौट कर आई तो ओबामा ने मिशेल से पुछा कौन है क्या कह रहा था तुमसे बात करने में इतना इंट्रेस्टेड क्यों था। मिशेल ने कहा टीनएज दौर में वो मुझको पागलों की तरह बेइंतिहां चाहता था।

राष्ट्रपति ओबामा बोले अगर तुम इससे शादी कर लेतीं तो इस खूबसूरत होटल की मालकिन होतीं।

मिसेज ओबामा मिशेल ने बेहतरीन जवाब दिया- बोलीं नहीं अगर मैं इससे शादी कर लेती तब तुम्हारी जगह ये अमेरिका का राष्ट्रपति होता।

"POWER OF WOMEN"

व्यंग्य -

DRIVER V/S BANK MANAGER

एक बस ड्राइवर रोज बस से अप-डाउन करने वाले एक बैंक मैनेजर पर ताना कसा करता था कि आप तो रोज ऑफिस मे बिल्कुल टाइम से जाते हो पर वापस बेटाइम आते हो, ऐसे क्या मजे करते हो। बैंक मैनेजर हँसकर टाल देता कि हमारा काम तुम्हारे जैसा आसान नही है।

पर एक दिन बस ड्राईवर को ये बात बुरी लग गई, और वो बोला कि आज जानकर ही जाउँगा कि बैंक का काम कैसे होता है।

मैनेजर साहब ने कहा कि चलो आज से ये बस बैंक और तुम ब्रांच मैनेजर, अबसे बस वैसे ही चलेगी जैसे एक बैंक की ब्रांच। बस ड्राइवर की खुशी का पारा नही रहा।

बस के चलते ही मैनेजर ने टोका- 'अभी नही, बस घाटे मे नही चलेगी, पहले पूरी बस भर लो, लोग कम पड़े, तो मार्केटिंग करो, दूसरी बसों के पैसेंजर लाओ।

1 घंटे बाद बस चली, तो मैनेजर ने फिर टोका- 'अब कंडक्टर को टारगेट दो, कि 200 पैसेंजरो का अटल पेंशन योजना, पीपीएफ, जीवन बीमा करो और उनके मोबाइल पर हमारी 6 तरह की एप एक्टिवेट करो।'

पर साब, बस मे तो 70 पैसेंजर अंदर और 20 ऊपर, कुल जमा 90 ही लोग है - ड्राइवर का माथा ठनका।

ये तुम्हारी प्रोब्लम है। अगर ये नही किया तो तुम्हारी सारी छुट्टियाँ कैंसिल। - मैनेजर साहब बोले।

थोड़े ही दूर कुछ लोग रोड़ पर हाथ हिलाते हुए दिखे।

मैनेजर ने बस रोकने को कहा। - इनको अंदर ले लो।

पर सर इनके पास पूरे पैसे नही हैं, और अपनी बस में जगह भी नही है - पीछे से कंडक्टर बोला।

कोई बात नही, इनको लोन करो, जितने पैसे आये हैं उसमे से, इनको कहो, कल जमा कर दे - मैनेजर साहब ने रास्ता सुझा दिया।

और पैसा वापस नही किया इन लोगो ने तो ?

तो इनके घर जाकर रिकवरी करना होगी।

और तब भी नही दिया तो ?

तो तुम्हारी बस की बदली लंबे रूट पर कर देंगे, नया ड्राइवर आयेगा, तो बढ़िया रिकवरी करेगा। नही तो उसको चालान के केस मे फँसा देंगे।

अब तक बस ड्राइवर की हिम्मत जवाब देने लगी थी, पर वो अड़ी पर कायम था।

कुछ देर के बाद मैनेजर साब ने फिर फरमाया - आज कैंपेन करना है, बस को साइड मे लगादो, बाजू के गॐव मे जाकर कह दो कि ये बस आज से अगले 10 दिन यहां रुकेगी, उनके फिक्स डिपोसिट और रिकरिंग डिपोसिट लेकर आओ। अगले 2 स्टॉप वालो को यही उतार दो, कह दो कि स्टाफ कम है, 10 दिन बाद फिर से उनका स्टॉप चालू करा देंगे।

कुछ समय बाद - अब 100 की स्पीड से गाड़ी चलाओ, ब्रेक नही लगाना है, डीजल की बचत करनी है, कोस्ट कटिंग करनी है। तीन जगह का डीजल सेंपल चौक कर ही डीजल डलवाना और शाम को आधा घंटा एक्स्ट्रा गाड़ी चलेगी। कल से कस्टमर को घर से भी लेकर आयेंगे, और बीमार व्यक्तिको घर तक छोड़कर आयेंगे। कोई कम्पलेन आयेगी तो पैर पड़ कर माफी माँगना है।

- माफ कर दो साहिब, बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से माँ कसम, जो कभी आपसे आपके काम के बारे मे पूछा भी तो - आँसू फूट पड़े बस ड्राइवर के।

Consumer Rights

CONSUMER RIGHTS

The right to satisfaction of basic needs - To have access to basic, essential goods and services: adequate food, clothing, shelter, health care, education, public utilities, water and sanitation.

The right to safety - To be protected against products, production processes and services which are hazardous to health or life.

The right to be informed - To be given the facts needed to make an informed choice, and to be protected against dishonest or misleading advertising and labeling.

The right to choose - To be able to select from a range of products and services, offered at competitive prices with an assurance of satisfactory quality.

The right to be heard - To have consumer interests represented in the making and execution of government policy, and in the development of products and services.

The right to redress - To receive a fair settlement of just claims, including compensation for misrepresentation, shoddy goods or unsatisfactory services.

The right to consumer education - To acquire knowledge and skills needed to make informed, confident choices about goods and services, while being aware of basic consumer rights and responsibilities and how to act on them.

The right to a healthy environment - To live and work in an environment which is non-threatening to the well-being of present and future generations.

This set of eight consumer rights now guide the campaign and policy work of CI and consumer organizations in the world over.

CONSUMER RESPONSIBILITIES

Critical Awareness - the responsibility to be more alert and questioning about the price and quality of goods and services we use.

Action - the responsibility to assert ourselves and act to ensure that we get a fair deal. As long as we remain passive consumers we will be exploited.

Social concern - the responsibility to be aware of the impact of our consumption on other citizens, especially the disadvantaged or powerless groups whether in the local, national or international community.

Environmental Awareness - the responsibility to understand the environmental and other consequences of our consumption. We should recognize our individual and social responsibility to conserve natural resources and protect the earth for future generations.

Solidarity - the responsibility to organize together as consumers to develop the strength and influence to promote and protect our interest.

Important Message

आजकल नए बने एक्सप्रेस वे पर रोजाना गाड़ियों के टायर फटने के मामले सामने आ रहे हैं.....

जिनमें रोजाना कई लोगों की जानें जा रही हैं.एक दिन बैठे बैठे मन में प्रश्न उठा कि आखिर देश की सबसे आधुनिक सड़कों पर ही सबसे ज्यादा हादसे क्यूँ हो रहे हैं ?

और हादसों का तरीका भी केवल एक ही वो भी मात्र टायर फटना, ऐसा कौन सी कीलें बिछा दीं सड़क पर हाईवे बनाने वालों ने कि सबके टायर ही फटते है ?

दिमाग ठहरा खुराफाती सो सोचा आज इसी बात का पता किया जाये. तो टीम जुट गई इसका पता लगाने में.

अब सुनिए हमने प्रयोग के लिए एक मित्र को बुला लिया और हम Scorpio SUV से निकल पड़े (ध्यान रहे असली मुद्दा टायर फटना है) सबसे पहले हमनें ठन्डे टायरों का प्रेशर चेक किया और उसको अन्तराष्टीय मानकों के अनुरूप ठीक किया जो कि 25 PSI है..

(सभी विकसित देशों की कारों में यही हवा का दबाव रखा जाता है जबकि हमारे देश में लोग इसके प्रति जागरूक ही नहीं हैं या फिर ईंधन बचाने के लिए जरुरत से ज्यादा हवा टायर में भरवा लेते हैं जो की 35 से 45 PSI आम बात है)

खैर अब आगे चलते हैं. इसके बाद फोर लेन पर हम चढ़ गए और गाड़ी दौड़ा दी.. गाडी की स्पीड 120-140 KM/H रखी..

इस रफ्तार पर गाडी को दो घंटे दोड़ाने के बाद हम उदयपुर के पास पहुँच गए थे। रूककर हमने दोबारा टायर प्रेशर चेक किया तो यह चोंकाने वाला था, अब टायर प्रेशर था 52 PSI अब प्रश्न उठता है कि आखिर टायर प्रेशर इतना बढ़ा कैसे सो उसके लिए थर्मोमीटर को टायर पर लगाया तो टायर का तापमान था 92.5 डिग्री सेल्सियस, सारा राज अब खुल चुका था, कि टायरों के सड़क पर घर्षण से तथा ब्रेकों की रगड़ से पैदा हुई गर्मी से टायर के अन्दर की हवा फैल गई B2B टायर के अन्दर हवा का दबाव इतना अधिक बढ़ गया।

चूँकि हमारे टायरों में हवा पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप थी सो वो फटने से बच गए।

लेकिन जिन टायरों में हवा का दबाव पहले से ही अधिक (35-45 PSI) होता है या जिन टायरों में कट लगे होते हैं उनके फटने की संभावना अत्यधिक होती है।

अत रू फोर लेन पर जाने से पहले अपने टायरों का दबाव सही कर लें और सुरक्षित सफर का आनंद लें।

मेरी एक्सप्रेस वे अथोरिटी से भी ये विनती है कि वो भी वाहन चालकों को जागरूक करें ताकि हाईवे का सफर अंतिम सफर न बने, आप सभी फेसबुक और whatsapp मित्रों से अनुरोध है कि इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करें।

चूँकि ऐसा करके आपने यदि एक जान भी बचा ली तो आपका मनुष्य जन्म धन्य होगा।

उपभोक्ता संरक्षण कानून

जानिए अपने अधिकार

आज ग्राहक जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, बिना मानक की वस्तुओं की बिक्री, अधिक दाम, गारंटी के बाद सर्विस नहीं देना, हर जगह ठगी, कम नाप-तौल इत्यादि संकटों से घिरा है। ग्राहक संरक्षण के लिए विभिन्न कानून बने हैं, इसके फलस्वरूप ग्राहक आज सरकार पर निर्भर हो गया है। जो लोग गैरकानूनी काम करते हैं, जैसे- जमाखोरी, कालाबाजारी करने वाले, मिलावटखोर इत्यादि, इन्हें राजनैतिक संरक्षण प्राप्त होता है। ग्राहक चूंकि संगठित नहीं हैं इसलिए हर जगह ठगा जाता है। ग्राहक आन्दोलन की शुरुआत यहीं से होती है। ग्राहक को जागना होगा व स्वयं का संरक्षण करना होगा।

परिचय

उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ अमेरिका में रल्प नाडेर द्वारा किया गया था। नाडेर के आंदोलन के फलस्वरूप 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा उपभोक्ता संरक्षण पर पेश विधेयक को अनुमोदित किया था। इसी कारण 15 मार्च को अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अमेरिकी कांग्रेस में पारित विधेयक में चार विशेष प्रावधान थे।

1. उपभोक्ता सुरक्षा के अधिकार।
2. उपभोक्ता को सूचना प्राप्त करने का अधिकार।
3. उपभोक्ता को चुनाव करने का अधिकार।
4. उपभोक्ता को सुनवाई का अधिकार।

अमेरिकी कांग्रेस ने इन अधिकारों को व्यापकता प्रदान करने के लिए चार और अधिकार बाद में जोड़ दिए।

1. उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार।
2. क्षति प्राप्त करने का अधिकार।
3. स्वच्छ वातावरण का अधिकार।
4. मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र और आवास प्राप्त करने का अधिकार।

भारत में उपभोक्ता संरक्षण

जहां तक भारत का प्रश्न है, उपभोक्ता आंदोलन को दिशा 1966 में जेआरडी टाटा के नेतृत्व में कुछ उद्योगपतियों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के तहत फेयर प्रैक्टिस एसोसिएशन की मुंबई में स्थापना की गई और इसकी शाखाएं कुछ प्रमुख शहरों में स्थापित की गईं। स्वयंसेवी

संगठन के रूप में ग्राहक पंचायत की स्थापना बीएम जोशी द्वारा 1974 में पुणे में की गई। अनेक राज्यों में उपभोक्ता कल्याण हेतु संस्थाओं का गठन हुआ। इस प्रकार उपभोक्ता आंदोलन आगे बढ़ता रहा। 9 दिसंबर 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद ने पारित किया और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद देशभर में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। इस अधिनियम में बाद में 1993 व 2002 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। इन व्यापक संशोधनों के बाद यह एक सरल व सुगम अधिनियम हो गया है। इस अधिनियम के अधीन पारित आदेशों का पालन न किए जाने पर धारा 27 के अधीन कारावास व दण्ड तथा धारा 25 के अधीन कुर्की का प्रावधान किया गया है।

उपभोक्ता

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिए सामान अथवा सेवाएं खरीदता है वह उपभोक्ता है। क्रेता की अनुमति से ऐसे सामान/सेवाओं का प्रयोग करने वाला व्यक्ति भी उपभोक्ता है। इसलिए हम में से प्रत्येक किसी न किसी रूप में उपभोक्ता ही है ।

उपभोक्ता के अधिकार

उपभोक्ता के रूप में हमें कुछ अधिकार प्राप्त हैं। मसलन सुरक्षा का अधिकार, जानकारी होने का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, शिकायत-निवारण का अधिकार तथा उपभोक्ता -शिक्षा का अधिकार।

शिकायतें क्या-क्या हो सकती हैं?

किसी व्यापारी द्वारा अनुचित/प्रतिबंधात्मक पद्धति के प्रयोग करने से यदि आपको हानि/क्षति हुई है अथवा खरीदे गए सामान में यदि कोई खराबी है या फिर किराए पर ली गई/उपभोग की गई सेवाओं मे कमी पाई गई है या फिर विक्रेता ने आपसे प्रदर्शित मूल्य अथवा लागू कानून द्वारा अथवा इसके मूल्य से अधिक मूल्य लिया गया है। इसके अलावा यदि किसी कानून का उल्लंघन करते हुए जीवन तथा सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करने वाला सामान जनता को बेचा जा रहा है तो आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं ।

कौन शिकायत कर सकता है ?

स्वयं उपभोक्ता या कोई स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन जो समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 अथवा कंपनी अधिनियम 1951 अथवा फिलहाल लागू किसी अन्य विधि के अधीन पंजीकृत है, शिकायत दर्ज कर सकता है।

शिकायत कहां की जाए

शिकायत कहां की जाए, यह बात सामान सेवाओं की लागत अथवा मांगी गई क्षतिपूर्ति पर निर्भर करती है। अगर यह राशि 20 लाख रुपये से कम है तो जिला फोरम में शिकायत करें। यदि यह राशि 20 लाख से अधिक लेकिन एक करोड़ से कम है तो राज्य आयोग के समक्ष और यदि एक करोड़ रूपसे अधिक है तो राष्ट्रीय आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराएं। वैबसाइट www.fcamin.nic.in पर सभी पते उपलब्ध हैं।

शिकायत कैसे करें

उपभोक्ता द्वारा अथवा शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत सादे कागज पर की जा सकती है। शिकायत में शिकायतकर्ताओं तथा विपरीत पार्टी के नाम का विवरण तथा पता, शिकायत से संबंधित तथ्य एवं यह सब कब और कहां हुआ आदि का विवरण, शिकायत में उल्लिखित आरोपों के समर्थन में दस्तावेज साथ ही प्राधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर होने चाहिए। इस प्रकार की शिकायत दर्ज कराने के लिए किसी वकील की आवश्यकता नही होती। साथ ही इस कार्य पर नाममात्र न्यायालय शुल्क ली जाती है।

क्षतिपूर्ति

उपभोक्ताओं को प्रदाय सामान से खराबियां हटाना, सामान को बदलना, चुकाए गए मूल्य को वापिस देने के अलावा हानि अथवा चोट के लिये क्षतिपूर्ति। सेवाओं में त्रुटियां अथवा कमियां हटाने के साथ-साथ पार्टियों को पर्याप्त न्यायालय वाद-व्यय प्रदान कर राहत दी जाती है।

उपभोक्ता अधिकार सरंक्षण के कुछ कानून

उपभोक्ता के साथ ही स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन, केंद्र या राज्य सरकार, एक या एक से अधिक उपभोक्ता कार्यवाही कर सकते हैं।

- भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम-1885,
- पोस्ट आफिस अधिनियम 1898,
- उपभोक्ता/सिविल न्यायालय से संबंधित भारतीय वस्तु विक्रय अधिनियम 1930,
- कृषि एवं विपणन निदेशालय भारत सरकार से संबंधित कृषि उत्पाद
- ड्रग्स नियंत्रण प्रशासन एमआरटीपी आयोग-उपभोक्ता सिविल कोर्ट से संबंधित ड्रग एण्ड कास्मोटिक अधिनियम-1940,
- मोनापालीज एण्ड रेस्ट्रेक्टिव ट्रेड प्रेक्टिसेज अधिनियम-1969,
- प्राइज चिट एण्ड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स (बेनिंग) अधिनियम - 1970
- उपभोक्ता/सिविल न्यायालय से संबंधित भारतीय मानक संस्थान (प्रमाण पत्र) अधिनियम-1952,
- खाद्य पदार्थ मिलावट रोधी अधिनियम-1954,
- जीवन बीमा अधिनियम-1956,
- ट्रेड एण्ड मर्केन्डाइज मार्क्स अधिनियम-1958,,
- हायर परचेज अधिनियम-1972,
- चिट फंड अधिनियम-1982,
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,
- रेलवे अधिनियम-1982
- इंफार्मेशन टैक्नोलाजी अधिनियम-2000,
- विद्युत तार केबल्स-उपकरण एवं एसेसरीज (गुणवत्ता नियंत्रण) अधिनियम-1993,
- भारतीय विद्युत अधिनियम-2003,
- ड्रग निरीक्षक-उपभोक्ता -सिविल अदालत से संबंधित द ड्रग एण्ड मैजिक रेमिडीज अधिनियम-1954,
- खाद्य एवं आपूर्ति से संबंधित आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955,
- द स्टैण्डर्ड्स आफ वेट एण्ड मेजर्स (पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स)-1977,
- द स्टैंडर्ड आफ वेट एण्ड मेजर्स (इंफोर्समेंट अधिनियम-1985,
- द प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एण्ड मेंटीनेंस ऑफ सप्लाइज इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट-1980,
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/केंद्र सरकार से संबंधित जल (संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम-1976,
- वायु (संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम-1981,
- भारतीय मानक ब्यूरो-सिविल/उपभोक्ता न्यायालय से संबंधित घरेलू विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश-1981,
- भारतीय मानक ब्यूरो से संबंधित भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम-1986,
- उपभोक्ता न्यायालय से संबंधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,
- पर्यावरण मंत्रायल-राज्य व केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड से संबंधित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986
- भारतीय मानक ब्यूरो-सिविल-उपभोक्ता न्यायालय से संबंधित विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश

कर रहे हों जब रेलवे से सफर
तो जरूर याद रखें अपने ये 7 अधिकार

भारतीय रेलवे आपको कई अधिकार देती है. इन अधिकारों का आप जरूरत आने पर यूज कर सकते हैं. इन अधिकारों का यूज करने से आपको कोई भी अधिकारी या कर्मचारी नहीं रोक सकता. यहां हम आपको बता रहे हैं 7 ऐसे रेल अधिकारों के बारे में, जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए.

रेलवे की अधिकारिक वेबसाइट IRCTC पर दी गई जानकारी के मुताबिक भारतीय रेल से सफर करने वाले यात्री को कई अधिकार मिलते हैं, जिनका यूज वह सफर से पहले, यात्रा के दौरान और यात्र के बाद कर सकता है.

तत्काल टिकट पर ऐसे पाएं रिफंड : कन्फर्म तत्काल टिकट तो वैसे आप कैंसल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में आप इसके बदले रिफंड ले सकते हैं. आप इन वजहों से ले सकते हैं रिफंड. - ट्रेन तीन घंटे से ज्यादा लेट होती है और आप उसमें सफर नहीं करते. - बंद, रेल रोको और बाढ़ समेत अन्य किसी वजह से ट्रेन कैंसल होती है, तो रिफंड मिलेगा- ट्रेन को डायवर्टेड रूट पर चलाया जाता है और आपका स्टेशन उस रूट पर नहीं पड़ता, तो रिफंड देना होगा.

आपके टिकट पर फैमिली मेंबर कर सकता है सफर : आपके कन्फर्म टिकट पर आपके माता-पिता, भाई, बहन, बेटा, बेटी और आपकी पत्नी सफर कर सकती है. इसके लिए आपको टिकट ट्रांसफर करना होगा. इस खातिर आपको 24 घंटे पहले चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर के पास रिक्वेस्ट देनी होगी.

अनारक्षित टिकट पर रिजर्वेशन कोच में करें सफर : अनारक्षित टिकट पर भी आप रिजर्व्ड कोच में सफर कर सकते हैं. बशर्ते संबंधित कोच में कोई सीट खाली हो. सीट खाली होने पर आपको सिर्फ रिजर्व्ड टिकट लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं. लेकिन ये भी ध्यान रखें कि सीट खाली न होने पर अगर आप बैठते हैं, तो पेनल्टी वसूली जाएगी.

ले सकते हैं डुप्लीकेट टिकट : अगर आपने कोई टिकट रिजर्वेशन काउंटर पर बुक कराया है, तो आप उसकी डुप्लीकेट कॉपी ले सकते हैं. इसके लिए आप नजदीकी कंप्यूटराइज्ड सेंटर में जा सकते हैं और डुप्लीकेट टिकट ले सकते हैं. यह सुविधा सिर्फ कन्फर्म टिकट पर मिलती है और इसके लिए आपको एक नॉमिनल चार्ज भी देना होगा.

बदल सकते हैं बोर्डिंग स्टेशन : ई-टिकट बुक करने वाले पैसेंजर्स 24 घंटे पहले बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं. यह एक बार ही किया जा सकता है. हालांकि इसके बाद आप चाहकर भी बोर्डिंग स्टेशन नहीं बदल सकते.

निःशुल्क फर्स्ट एड बॉक्स : हर ट्रेन में फर्स्ट एड बॉक्स की सुविधा होती है. ऐसे में कोई भी स्वास्थ्य परेशानी होने पर आप फर्स्ट एड बॉक्स मांग सकते हैं. यह बॉक्स आपको टीटीई और ट्रेन के किसी भी कर्मचारी से ले सकते हैं. यह निशुल्क होता है.

ऐसे भी मिलता है रिफंड : अगर आपका टिकट एसी क्लास का है और आपको स्लीपर में सफर करना पड़ रहा है, तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं. या फिर एसी कोच में एसी खराब होता है , तो रिफंड क्लेम किया जा सकता है.

https://aajtak.intoday.in/gallery/know-your-rights-by-indian-railway-9-14570.html

ध्यानपूर्वक पढिये और गौर फरमाइए

हम इस धरती पर जन्म लेने के लिये माताश्री के उदर में नौ माह रुकते हैं, फिर खुद के पैरों पर खड़े होकर चलने के लिये डेढ़ दो साल रुकते हैं।

पाठशाला में दाखिला लेने के लिये 4-5 साल रुकते हैं।

मतदान के लिये 18 साल रुकते हैं।

अच्छी शिक्षा एवं अच्छी नौकरी पाने के लिये 23ध्24 साल रुकते हैं।

शादी के लिये 26-27 साल रुकते हैं।

ऐसी कई बातें जिनके लिये कहा जा सकता है कि योग्य समय आने तक हम रुकते हैं।

लेकिन,

ट्रैफिक सिग्नल के लिये हम 60 सेकण्ड्स

और

उसमें भी आखिरी 4/5 सेकण्ड्स हम कतई नहीं रुक सकते,

और उसी वक्त दुर्घटना हो जाए तो लड़ाई करने के लिये हम घंटा भर रुकते हैं।

शांत रहिये और संयम रखिये. दुर्घटनाएँ टलेंगी

1 जनवरी से 14, 18 और 22 कैरेट आभूषणों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य

इंडिपेंडेंट मेल, इंदौर. बीआईएस अधिनियम 2016 के जरिए यह अनिवार्य कर दिया कि भारत में बेचे जाने वाले सभी कीमती आभूषण निर्धारित मानकों के अनुसार हॉलमार्किंग वाले रहेंगे. सोने के कारोबार में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल हॉलमार्किंग कानून मंजूर किया था. उस आधार पर अब बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरों) ने अधिसूचना जारी करते हुए 1 जनवरी 2018 से सोने पर हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी है.

सोने के आभूषणों के अलावा सिक्के बिस्किट के साथ सोने के बर्तन और अन्य उपयोग में भी हॉलमार्किंग अनिवार्य होगा. पिछले दिनों नोटबंदी और जीएसटी से पहले केंद्र सरकार ने सर्राफा कारोबारियों पर एक प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी लगाई थी. इसके विरोध में देशभर के सभी सर्राफा कारोबारियों ने 42 दिनों तक हड़ताल भी की थी. इसके बाद केंद्र सरकार ने सोने की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए हॉलमार्किंग कानून को भी संसद से मंजूर कर दिया था. इसके पहले चरण में अभी 22 प्रमुख शहरों में 14, 18 और 22 कैरेट के आभूषणों पर हॉलमार्किंग जरुरी कर दी गई है. इसके पीछे सरकार की मंशा यह है कि ग्राहकों को शुद्ध और पूरे वजन के आभूषण मिल सके. जिस तरह गुणवत्ता वाली वस्तुओं पर आईएसआई मार्का रहता है उसी तरह सोने, चांदी या हीरे के आभूषण पर हॉलमार्किंग की जाती है.

हॉलमार्किंग क्यों जरुरी

आभूषणों में मिलावट रोकने के लिए हॉलमार्किंग की व्यवस्था की गई है. यह व्यवस्था बहुत पुरानी है. अलग -अलग देशों में हॉलमार्किंग की व्यवस्था भी अलग-अलग है. हॉलमार्क के आभूषण अंतर्राष्ट्रीय मानक के होते हैं. प्लैटिनम ,सोने, चांदी, हीरा आदि के आभूषणों की गुणवत्ता की पहचान के लिए हॉलमार्क चिन्ह की एक समान व्यावस्था है. इस पर भारत सरकार की गारंटी होती है. हॉलमार्किंग के आभूषण निर्माण लागत अधिक होने के कारण 10 से 15 प्रतिशत मंहगे होते हैं लेकिन शुद्धता की गारंटी देते हैं. भारत में सोने के आभूषणों पर हॉलमार्किंग की व्यवस्था वर्ष 2000 से और चांदी के आभूषणों पर 2005 से लागू है लेकिन अभी तक भारत में आभूषणों पर हॉलमार्क के चिन्ह की अनिवार्यता नहीं है.

हॉलमार्क से सोने की शुद्धता की पहचान

भारत में आमतौर पर 22 कैरट सोने के आभूषण इस्तेमाल होते हैं. 22 कैरट सोने के आभूषण पर 916 अंक अंकित होता है. इसमें 91.6 प्रतिशत सोना होता है. इसी प्रकार सोने आभूषण पर अन्य अंकों का अर्थ लगाया जा सकता है.

375 का अर्थ 37.5 % शुद्ध 585 का अर्थ 58.5 % शुद्ध

750 का अर्थ 75.0 % शुद्ध 916 का अर्थ 91.6 % शुद्ध

990 का अर्थ 99.0 % शुद्ध 999 का अर्थ 99.9 % शुद्ध

http://www.independentmail.in/news/mp/hallmark-on-gold-jewellery-is-compulsory-from-1-jan-2018-/41801.html

बिल के नाम पर नर्सिंग होम नहीं रोक सकता मरीज या डेड बॉडी

किसी भी सरकारी या प्राइवेट हास्पिटल में इलाज कराने के दौरान भी हमारे अधिकार होते हैं.

बिल के नाम पर नर्सिंग होम नहीं रोक सकता मरीज या डेड बॉडी किसी भी सरकारी या प्राइवेट हास्पिटल में इलाज कराने के दौरान भी हमारे अधिकार होते हैं.

जैसे वोट डालना हमारा अधिकार है. जिस तरह हमे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है. ठीक उसी तरह से किसी भी सरकारी या प्राइवेट हास्पिटल में इलाज कराने के दौरान भी हमारे अधिकार होते हैं. इतना ही नहीं अगर इलाज के दौरान हमारे अधिकारों का हनन होता है तो दूसरे मामलों की तरह हम इसकी भी शिकायत उपभोक्ता फोरम में कर सकते हैं. स्टेट मेडिकल काउंसिल में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. लेकिन शिकायत करने से पहले जान लें कि क्या हैं आपके अधिकार और किस तरह आप कर सकते हैं शिकायत.

मरीज या लाश को रोकने का नहीं है अधिकार

नर्सिंग होम को चाहिए कि वह रोजाना होने वाले खर्च के बारे में मरीज और उसके तीमरदार को बताता रहे. अगर इसके बाद भी किसी वजह से मरीज इलाज की फीस पूरी नहीं दे पाता है तो नर्सिंग होम को ये अधिकार नहीं है कि वह मरीज को या बिल अदा न हो पाने की सूरत में जाने नहीं दे या फिर लाश नहीं दे.

मरीज तय करेगा कि वो टेस्ट कहां कराए और दवा कहां से ले

किसी भी तरह के इलाज और सर्जरी के दौरान मरीज और उसके तीमरदार को पूरा अधिकार होता है कि वो अपनी मर्जी की दुकान से दवा खरीदे. किसी भी सेंटर पर जाकर अपनी जांच कराए. इसके लिए डॉक्टर मरीज पर किसी भी तरह से दबाव नहीं बना सकता.

इमरजेंसी इलाज से नहीं कर सकते इंकार

नाजुक हालत में अस्पताल पहुंचने वाले मरीज को तुरंत डऊ्क्टरी मदद दी जाएगी. इस मदद से कोई भी सरकारी अस्पताल और प्राइवेट नर्सिंग होम इंकार नहीं कर सकते. जरूरी इलाज करने के बाद ही डॉक्टर मरीज से फीस की मांग कर सकता है या पुलिस को सूचना देने जैसी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी.

टेस्ट और इलाज की रिपोर्ट पर होता है मरीज का हक

इलाज के दौरान तैयार होने वाली केस शीट और टेस्ट रिपोर्ट पर मरीज का भी हक होता है. डॉक्टर या नर्सिंग होम संचालक इन्हें देने से इंकार नहीं कर सकता. अगर मरीज मांगता है तो इसकी फोटो कॉपी उसे देनी होगी.

ये फोटो कॉपी अस्पताल में भर्ती होने के 24 घंटे के अंदर और डिस्चार्ज होने के 72 घंटे में दे दी जानी चाहिए. इन रिकॉर्ड्स में डायग्नोस्टिक टेस्ट, डॉक्टर या विशेषज्ञ की राय, अस्पताल में भर्ती होने का कारण आदि शामिल हैं.

दूसरे डॉक्टर की राय लेने का है अधिकार

आप किसी डॉक्टर के इलाज के तरीके से खुश नहीं हैं तो आप दूसरे डॉक्टर की भी सलाह ले सकते हैं. ऐसे में ये आपका अधिकार होगा कि पहले वाला अस्पताल आपको सभी मेडिकल और डायग्नोस्टिक रिपोर्ट उपलब्ध कराए.

अपना इलाज भी गोपनीय रख सकते हैं आप

मरीज के इलाज के दौरान डॉक्टर को कई ऐसी बातें पता होती हैं जिसका ताल्लुक मरीज की निजी जिंदगी से होता है. लेकिन ये डॉक्टर का फर्ज है कि वो इन जानकारियों को गोपनीय रखे. उन्हें किसी के साथ साझा न करे.

सर्जरी की मंजूरी देने से पहले डॉक्टर से पूछें ये सवाल

किसी भी सर्जरी की मंजूरी देने से पहले मरीज या उसके तीमरदार डॉक्टर

शेष पृष्ठ - 15 पर

Nasir Hussain - Updated: December 12] 2017] 4:11 PM IST
https://hindi.news18.com/news/delhi/nursing-home-can-not-stop-patients-or-dead-body-from-discharge-1195110.html

मुम्बई में आयोजित समारोह की चित्रमय झलकियाँ

मध्यप्रदेश में आयोजित समारोह की चित्रमय झलकियाँ

अब उधार मे यात्रा कराएगी भारतीय रेल

लखनऊ। आपको अगली बार अगर रेल से यात्रा करनी हो और आपके पास पैसे न हों तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बिना पैसे के भी यात्रा कर सकते हैं। इंडियन रेलवे की वेबसाइट आईआरसीटीसी ने डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए यात्रियों को क्रेडिट पर टिकट बुक करने की सुविधा दे रही है। जून माह में शुरू हुई ''बुक नाओ पे लेटर'' स्कीम के तहत कोई भी यात्री यात्रा से पांच दिन पहले टिकट बुक करने के बाद 14 दिनों के अंदर पेमेंट कर सकता है।

इस सुविधा का लाभ उठाने के बाद यात्रियों को टिकट यात्रियों को टिकट यात्रा की कुल लागत का 3.5 फीसदी अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा। इस व्यवस्था के लिए आईआरसीटीसी ने मुंबई की एक कंपनी ईपेलेटर से समझौता किया है। 15 दिन पहले शुरू हुई इस सेवा का अभी तक 50 लोग इस्तेमाल कर चुकें हैं।

टिकट बुक करने का यह है तरीका

आइआरसीटीसी से टिकट बुक करनेवाले यात्री को कितने रुपये तक का टिकट उधार दिया जाएगा इसके लिए यात्री की क्रेडिट हिस्टरी, सीबिल स्कोर, टिकट बुक कराने का इतिहास, लॉगिन करने की हिस्टरी और ऑनलाइन बुकिंग करने के पैटर्न से क्रेडिट लिमिट तय की जाएगी।

आईआरसीटीसी से टिकट बुक करनेवाले किस यूजर को कितने रुपये तक का टिकट उधार दिया जा सकता है, इसका फैसला उसकी क्रेडिट हिस्ट्री, डिजिटल फुटप्रिंट, डिवाइस इन्फोर्मेशन और ऑनलाइन परचेज पैटर्न पर आधारित होगा।

आईआरसीटीसी के प्रवक्ता संदीप दत्ता ने कहा, 'यह सेवा यात्रियों को पैसे की चिंता किए बिना तुरंत टिकट बुक कराने की सुविधा देती है।'

14 दिन के अंदर लौटाने होंगें पैसे वरना लगेगा जुर्माना

अगर यात्री टिकट बुकिंग के 14 दिनों के अंदर पैसे नहीं देता है तो आइआरसीटीसी उस पर जुर्माना लगाएगा। साथ ही , जो यात्री बार-बार पैसे देने में आनाकानी करेंगे, उन्हें इस सुविधा से हमेशा के लिए वंचित कर दिया जाएगा।

https://www.gaonconnection.com/desh/now-passengers-can-book-tickets-on-credit-basis-from-indian-railways-irctc-website

पृष्ठ ... 14 .. का शेष

से उस सर्जरी के दौरान होने वाले खतरों के बारे में बात कर सकते हैं. सर्जरी करने का कारण पूछ सकते हैं. इसके बाद ही डॉक्टर को सर्जरी करने की मंजूरी आप दे सकते हैं.

मरीज डॉक्टर से ले सकता है बीमारी और खर्च की जानकारी

मरीज चाहे तो अपनी बीमारी के बारे में डॉक्टर से पूरी जानकारी ले सकता है. इलाज का क्या नतीजा निकलेगा. नुकसान और फायदे के विकल्प पर बात कर सकता है. हास्पिटल में भी इलाज और उसके खर्च की जानकारी लिखी होनी चाहिए.

ऐसे करें डॉक्टर या नर्सिंग होम की शिकायत

किसी भी डॉक्टर या नर्सिंग होम की शिकायत से पहले ये जरूरी है कि हम अपने इलाज से संबंधित सभी जरूरी कागजात हासिल कर लें. जैसे

डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, बिल और इलाज की केस शीट. कोई भी सरकारी या प्राइवेट हास्पिटल आपको ये कागजात देने से इंकार नहीं कर सकता है. इनकी फोटो कॉपी लेना आपका अधिकार है.

ZEE जानकारी : प्राइवेट अस्पतालों की मुनाफे वाली सोच को ठीक करने का इलाज

वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों को ये आदेश दिया था 25 प्रतिशत OPD और 10 प्रतिशत अस्पताल में भर्ती होने वाले गरीब मरीजो का फ्री में इलाज किया जाए

हमारे देश के प्राइवेट अस्पतालों का आचरण कुछ इस तरह का है कि अगर उनके मेडिकल Bills पर एक किताब छापी जाए तो उसका शीर्षक होगा 'कुछ दिन में करोड़पति कैसे बनें'? देश के ज्यादातर प्राइवेट अस्पताल बेहतर इलाज के नाम पर भारी मुनाफा कमाने वाली बीमारी से पीड़ित है. इस बीमारी का इलाज हमारे सिस्टम के पास है लेकिन वो अभी इतना असरदार नहीं है कि लाखों के इन Bills पर काबू पा सके.

हमने इसी हफ्ते आपको गुरुग्राम के Fortis Hospital के 16 लाख रुपये वाले बिल के बारे में बताया था. आज हमारे पास गुरुग्राम के Medanta Hospital से जुड़ा एक ऐसा ही मामला आया है. वहां भी डेंगू के इलाज के नाम पर 7 साल के एक बच्चे का 22 दिन का बिल 15 लाख 88 हजार रुपये बना दिया गया. इस बच्चे के पिता एक बीमा एजेंट हैं और उनके महीने की कमाई सिर्फ 7 से 8 हजार रुपये हैं. उन्होंने अस्पताल का बिल चुकाने के लिए अपना मकान गिरवी रखकर कर्ज लिया था लेकिन पैसे कम पड़ गये और बच्चे को गंभीर हालत में सरकारी अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा और वहां उसकी मौत हो गई.

30 अक्टूबर को डेंगू से पीड़ित इस बच्चे को ग्वालियर से गुरुग्राम लाया गया था.. और Medanta Hospital में भर्ती करवाया गया था. Hospital ने करीब 22 दिन तक इस बच्चे का इलाज किया और इस दौरान अस्पताल ने कुल 15 लाख 88 हजार रुपये का बिल माता-पिता को थमा दिया. इस बिल में 20 हजार रुपये के discount का जिक्र भी किया गया है. यानी Discount के बाद ये बिल 15 लाख 68 हजार रुपये का हो गया.

इस बच्चे के पिता को अस्पताल का बिल चुकाने के लिए अपना मकान गिरवी रखकर कर्ज लेना पड़ा. और उन्होंने किसी तरह ये बिल चुकाया. इसके बाद आगे के इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे. . इसीलिए उन्होंने 20 नवंबर को left against medical advice का फॉर्म भरकर बच्चे को गंभीर हालत में ही सरकारी अस्पताल में Shift करवा दिया, लेकिन 2 दिन के बाद 22 नवंबर को इस बच्चे की मौत हो गई.

हमने इस बारे में Medanta Hospital से बात की और उनसे अपना पक्ष रखने को कहा. लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी उन्होंने

ZEE जानकारी

http://zeenews.india.com/hindi/india/zee-jankari-medanta-hospital-bill-rs-1588000-for-dengue-private-hospital-wildness/352944

अभी तक अपना आधिकारिक पक्ष नहीं रखा है. हमने Social Media के जरिए भी इस मामले पर अस्पताल की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की इसके जवाब में अस्पताल ने एक Tweet के जरिए.. अपनी Billing Process का बचाव किया और लिखा कि उनकी Billing Process एकदम पारदर्शी है..और हर मरीज को पूरे बिल के बारे में अच्छी तरह समझाया जाता है.

फिर भी हमें लगता है कि Medanta Hospital को देश के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए. ये देश के हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ मामला है. डेंगू जैसी बीमारी के इलाज में करीब 16 लाख रुपये का बिल बना देना, चिकित्सा जैसे महान पेशे पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है.

ऐसा नहीं है कि प्राइवेट अस्पतालों की मुनाफे वाली सोच को ठीक करने लिए हमारे मेडिकल सिस्टम के पास कोई इलाज नहीं है. वर्ष 2010 में प्राइवेट अस्पतालों के महंगे इलाज पर काबू करने के लिए The Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act तैयार किया गया.

इस कानून के तहत ऐसी कोशिश की गई थी कि अस्पताल में होने वाली हर प्रक्रिया का रेट अस्पताल पहले से तय करे और उसी के हिसाब से बिल वसूले, लेकिन ये कानून अभी तक सिर्फ देश के 7 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया गया है, डॉक्टरों की एक बड़ी Lobby इसका विरोध करती रही है.

इस कानून को लागू करने में दूसरी समस्या ये भी है कि हमारे सिस्टम में स्वास्थ्य सेवाएं राज्य की जिम्मेदारियों में आती हैं। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गये इस बिल को लागू करने या न करने का फैसला राज्यों को लेना है. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार जैसे राज्यों ने इस कानून को सैद्धांतिक तौर पर मान तो लिया लेकिन इसे अपनाने की प्रक्रिया अब तक शुरु नहीं की है.

आप समझ सकते हैं कि आम इंसान की फिक्र करने वाले सिस्टम को आपकी कितनी चिंता है, हमारे देश में किसी मरीज की चिकित्सा करने को एक सम्मानजनक पेशा माना जाता है. लेकिन दुख की बात ये है कि देश के प्राइवेट अस्पताल मरीजों के दर्द को दूर करने से ज्यादा पैसा कमाने का जरिया बन गये हैं.

हम यहां साफ कर देना चाहते हैं कि हम किसी भी अस्पताल की कमाई पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम सिर्फ देश के आम और गरीब इंसान को बेहतर और किफायती इलाज दिए जाने के बारे में बात कर रहे हैं. क्योंकि ये अधिकार देश का सिस्टम भी उन्हें देता है. लेकिन ज्यादातर प्राइवेट अस्पताल उनके इस अधिकार को छीन लेते हैं.

आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि देश की सरकारें प्राइवेट अस्पतालों के निर्माण के लिए Subsidise रेट पर जमीन उपलब्ध करवाती है, इसके अलावा अस्पतालों को सस्ती रेट पर बिजली और पानी की सुविधाएं भी दी जाती है। वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों को ये आदेश दिया था 25 प्रतिशत OPD और 10 प्रतिशत अस्पताल में भर्ती होने वाले गरीब मरीजो का फ्री में इलाज किया जाए.

इसके अलावा वर्ष 2007 में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के 38 प्राइवेट अस्पतालों को ये आदेश दिया था कि वो 10 प्रतिशत ठमक गरीबों के इलाज के लिए आरक्षित रखें ये अस्पताल सरकार के द्वारा subsidised rates पर मिली जमीन पर तैयार किये गये हैं.

यहां हमें ये भी याद रखना होगा कि देश के सारे प्राइवेट अस्पताल और डॉक्टर बेईमान नहीं हैं आज भी भारत में अच्छे डॉक्टरों की संख्या ज्यादा है। एक बार फिर हम आपको बता दें कि आपके साथ अगर कोई डॉक्टर या अस्पताल धोखा कर रहा है तो इसकी शिकायत Medical Council of India को कर सकते हैं.

ये शिकायत कहां करनी है और कैसे करनी है इसकी जानकारी आप अपनी टेलिविजन स्क्रीन से नोट कर सकते हैं. इसके अलावा आप अस्पतालों और स्वास्थ्य मंत्री के Twitter Handles और Social Media Accounts को Tag करके अपनी आवाज उठा सकते हैं.

भारत की सालाना प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 3 हजार 219 रुपये है. यानी औसतन 8 हजार 601 रुपये प्रति महीना। हमारे देश में कम से कम 29 फीसदी लोग गरीब हैं यानी हर 10 में से 3 लोग गरीब हैं। ग्रामीण इलाकों में हर महीने 972 रुपये से कम कमाने वाला व्यक्ति गरीब माना जाता है और शहरी इलाकों में हर महीने 1407 रुपये से कम कमाने वाले व्यक्ति को गरीब माना जाता है.

अब आप सोचिए कि जिस देश में हर 10 में से तीन लोग गरीब हों और जहां की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 8 हजार 601 रुपये प्रति महीना हो उस देश में डेंगू के बुखार का इलाज करने के लिए 16 लाख रुपये का बिल कैसे बनाया जा सकता है ?

हम यहां साफ कर देना चाहते हैं कि हम किसी भी अस्पताल की कमाई पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम सिर्फ देश के आम और गरीब इंसान को बेहतर और किफायती इलाज दिए जाने की वकालत कर रहे हैं। क्योंकि ये अधिकारदेश का सिस्टम भी उन्हें देता है। लेकिन ज्यादातर प्राइवेट अस्पताल उनके इस अधिकार को छीन लेते हैं। हमारे देश में बहुत सारे डॉक्टर आज भी ऐसे हैं जो मानवता की सेवा कर रहे हैं और मरीजों की मदद कर रहे हैं.

भारत जैसे देश में चिकित्सा को Luxury नहीं माना जा सकता. जरा सोचिए सात-आठ हजार रुपये कमाने वाला व्यक्ति अपने बच्चे का इलाज करने के लिए 16 लाख रुपये कहां से लाएगा. लेकिन हमारे देश के प्राइवेट अस्पताल असहनशील हो चुके हैं और वो मानवता की सेवा वाले Mode से निकलकर पैसे वाले पीर बन गये हैं। अब उन्हें किसी की जान बचाने में नहीं पैसा कमाने में संतुष्टि मिलती है। मेडिकल क्षेत्र में ऐसा बिजनेस मॉडल विदेशों में तो चल सकता है। लोगों का मेडिकल इंश्योरेंस होता है। लेकिन भारत जैसे गरीब देश में प्राइवेट अस्पताल किसी बिल्डर या प्रॉपर्टी डीलर की तरह व्यवहार नहीं कर सकते. देश की सरकार को इसके बारे में जल्द ही कुछ करना होगा. एक गरीब व्यक्ति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्वास्थ्य सेवाएं राज्य का विषय हैं या केंद्र का....

गलत प्रोडक्ट या सर्विस दी गई है तो उसके बदले मुआवजा क्लेम करने का अधिकार है।

कन्ज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन

हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना सरकार की है जिम्मेदारी

भारतीय संविधान ने अनुच्छेद-21 के तहत जीने के अधिकार में 'स्वास्थ्य के अधिकार' को वर्णित किया है

मरीजों को अस्पताल में इलाज या जांच से पहले अपनी बीमारी जानने का अधिकार है

नई दिल्ली।

समाज में किसी व्यक्ति का स्वस्थ रहना न सिर्फ उसकी जरूरत है, बल्कि उसका बुनियादी और एक प्राकृतिक अधिकार है। यह इसलिए भी क्योंकि एक व्यक्तिका स्वस्थ रहना ही उसके संपूर्ण विकास का आधार होता है।

भारतीय संविधान ने भी अनुच्छेद-21 के तहत जीने के अधिकार में 'स्वास्थ्य के अधिकार' को वर्णित किया है। ऐसे में एक व्यक्ति की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है।

10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार पर सार्वभौम (यूनिवर्सल) घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें लोगों की स्वतंत्रता और समानता जैसे मुद्दों के साथ चिकित्सीय देखभाल यानि स्वास्थ्य के अधिकार को प्रमुखता से रखा गया था।

भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) की नीति व नियमावली- 2002 में मरीजो के अधिकार और डॉक्टर की कार्यप्रणाली को बताया गया है।

एमसीआई अधिनियम, 1956 में बताया गया है कि चिकित्सा व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा करना है।

जानिए मरीजों के स्वास्थ्य अधिकार...

हर व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग या आर्थिक आधार पर भेदभाव किए बिना स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है।

हर मरीज को सभी अस्पतालों में आपातकालीन चिकित्सा लेने का हक है। इसके लिए कोई भी डॉक्टर या कर्मचारी किसी आधार पर मना नहीं कर सकता है।

अस्पताल में इलाज या जांच से पहले मरीज को अपनी बीमारी जानने का अधिकार है।

मरीज या उसके परिजन को इलाज का खर्च, मेडिकल रिकॉर्ड, दवाईयों, डॉक्टर के बारे में और अन्य विकल्पों को जानने का पूरा अधिकार है।

अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज को अपनी निजता को पाने का हक है।

किसी भी व्यक्तिया मरीज के साथ डॉक्टर द्वारा गलत व्यवहार, धोखाधड़ी, गलत दवाई देने, फर्जीवाड़े या इससे संबंधित किसी भी समस्या पर आप भारतीय चिकित्सा परिषद या राज्यों के चिकित्सा परिषद में शिकायत कर सकते हैं।

हाल ही में दिल्ली के दो बड़े प्राइवेट अस्पतालों फोर्टिस और मैक्स में हुई लापरवाही और घटनाओं की शिकायत भी भारतीय चिकित्सा परिषद में की जा सकती है।

इसके अलावा किसी भी दवा विक्रेता द्वारा गलत या नकली दवाई देने या अधिक दाम वसूलने पर आप नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) के पास शिकायत कर सकते हैं।

http://www.newsstate.com/know-your-rights/your-rights-as-a-patient-hospital-fundamental-rights-medical-council-of-india-article-43683.html
Saket Anand | Updated On : December 04] 2017 10:18 PM

जानें अपने अधिकार :

ट्रैफिक हवलदार नहीं निकाल सकता आपके गाड़ी की चाबी

ट्रैफिक पुलिस वाला बिना वर्दी पहने आपका चालान नहीं काट सकता।
हेड कॉन्स्टेबल 100 रुपये तक का फाइन ही ले सकता है इसके अलावा वो सिर्फ गाड़ी का नंबर नोट कर सकता है।

नई दिल्ली।

यातायात नियम को लेकर लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां है। जैसे कि क्या कोई ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी से चाबी निकाल सकता है ? आइए जानते हैं ट्रैफिक से जुड़े कुछ ऐसे ही खास नियम।

किसी भी ट्रैफिक हवलदार के पास आपकी गाड़ी से चाबी निकालने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं ट्रैफिक हवलदार आपकी गाड़ी को रोक कर आपसे पेपर दिखाने की भी मांग नहीं कर सकता।

ट्रैफिक पुलिस वाला बिना वर्दी पहने आपका चालान नहीं काट सकता।

बता दें कि ट्रैफिक पुलिस में कॉन्स्टेबल से लेकर एसआई तक सभी सफेद रंग की वर्दी पहनते हैं, वहीं ट्रैफिक इंस्पेक्टर और उससे बड़े पद के अधिकारी खाकी वर्दी।

हेड कॉन्स्टेबल 100 रुपये तक का फाइन ही ले सकता है इसके अलावा वो सिर्फ गाड़ी का नंबर नोट कर सकता है। इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट, सेक्शन 132 के तहत इससे ज्यादा का जुर्माना ट्रैफिक ऑफिसर यानी एएसआई या एसआई ही वसूल कर सकता है।

अगर कोई व्यक्ति सड़क पर नियम तोड़कर भाग जाता है तो उस स्थिति में पुलिस गाड़ी का नंबर नोट कर घर पर चालान भिजवा देती है। आपको जुर्माना भरने के लिए एक महीने का वक्त दिया जाता है। जुर्माना अगर समय पर नहीं भरा गया तो उस स्थिति में चालान कोर्ट भेज दिया जाता है।

कोर्ट के चालान आमतौर पर कधनून तोड़ने की गंभीर घटनाओं में काटे जाते हैं और इस स्थिति में जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है।

शराब पीकर गाड़ी चलाना भी गंभीर अपराध के श्रेणी में आता है। और ऐसे हालात में भी जुर्माना भरने के लिए कोर्ट जाना होता है, इस तरह के मामले में पुलिस आपसे ऑन द स्पॉट चालान नहीं ले सकती।

अगर किसी अन्य मामले में भी आप ऑन द स्पॉट फाइन नहीं

दे पाते हैं तो आपको कोर्ट में जाकर चालान भरना होगा। इस तरह की परिस्थिति में पुलिस आपका चालान कोर्ट जाने के लिए काटती है और बाद में सुनिश्चित की गई तारीख के दिन कोर्ट में पेश होना होता है।

हालांकि इस तरह के केस में पुलिसवाला आपका ओरिजनल डीएल (ड्राइविंग लाइसेंस) रखकर एक रिसीविंग रसीद देता है, जिसे आप कोर्ट में पेश होने के बाद जुर्माना भर कर वापस पा सकते हैं।

ग्राहक को मन मुताबिक वैरायटी देखने और चुनने का अधिकार है।

कन्ज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन

Deepak Singh Svaroci | Updated On : December 03] 2017 10:14 PM
http://www.newsstate.com/know-your-rights/traffic-police-does-not-have-the-right-to-take-out-keys-from-your-vehicle-article-43624.html

जानें अपने अधिकार :

ट्रैफिक में चालान कटने पर नकद पैसा देना जरुरी नहीं

पुलिस या कोई अन्य अधिकारी तुरंत चालान भरने के लिए आप पर दबाव नहीं बना सकता है
कई शहरों में राज्य/शहर के ट्रैफिक पुलिस वेबसाइट पर ऑनलाइन चालान जमा करने का प्रावधान है

नई दिल्ली।

आम तौर पर अगर किसी की गाड़ी पकड़ी जाती है और उनके पास नकद पैसे नहीं होते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आप चालान की राशि बाद में या फिर डिजिटल तरीके से भी जमा करवा सकते है।

पुलिस या कोई अन्य अधिकारी तुरंत चालान भरने के लिए आप पर दबाव नहीं बना सकता है।

इतना ही नहीं ट्रैफिक ब्रांच ऑफिसर, सहायक सब-इंस्पेक्टर या उससे ऊपरी रैंक के अधिकारी ही ट्रैफिक नियम उल्लंघन करने पर चालान की राशि ले सकता है।

मोटर वेहिकल एक्ट - 1988 के सेक्शन 206(2) के अनुसार, अगर आप मौके पर जुर्माना नहीं दे पाते हैं या नहीं देना चाहते हैं, तो इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। हां इसके बदले में आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस जमा कराना होगा और ट्रैफिक अधिकारी से एक स्वीकृति रसीद लेनी होगी, जिसके बाद आप आसानी से ड्राइविंग कर सकतें हैं।

इसके बाद आप तारीख वाले दिन कोर्ट में पहुंच कर अपना ड्राइविंग लाइसेंस वापस ले सकते हैं।

इसके अलावा आप ये तरीके भी अपना सकते हैं...

कई शहरों में राज्य/शहर के ट्रैफिक पुलिस वेबसाइट पर ऑनलाइन चालान जमा करने का प्रावधान होता है।

शहर के किसी भी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में जाकर जुर्माना राशि भरा जा सकता है।

एनफोर्समेंट ऑटोमेशन सेंटर पर भी चालान की राशि जमा की जा सकती है।

साथ ही किसी भी सरकारी अधिकारिक बिल भुगतान केन्द्र पर भी चालान राशि जमा हो सकता है।

इसके अलावा कुछ ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने की स्थिति में (शराब पीकर ड्राइविंग, बिना परमिट और बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाना) आप जुर्माने की राशि सिर्फ कोर्ट में ही जमा कर सकते हैं।

किसी भी सामान या सर्विस की क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइस जानने का अधिकार है।

कन्ज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन

Saket Anand | Updated On : November 22] 2017 11:47 PM
http://www.newsstate.com/know-your-rights/police-cannot-insist-for-cash-payments-for-challans-article-42871.html

जानें अपने अधिकार :

'जीरो FIR' के तहत महिलाएं किसी भी थाने में दर्ज करा सकती हैं शिकायत

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कोई भी शिकायतकर्ता/महिला किसी भी पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज करवा सकती है

2012 में निर्भया मामले के बाद आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 में 'जीरो एफआईआर' का प्रावधान किया गया था

नई दिल्ली।

हमारे समाज में महिलाओं के खिलाफ हो रही अपराध की घटनाएं दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। हर रोज महिलाओं से जुड़ी अपराध की खबरें सुनाई देती है लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब महिलाएं जानकारी के अभाव में शिकायत दर्ज नहीं करा पाती।

लोगों के पास एक ऐसा अधिकार है जिसका इस्तेमाल कर वो अपने साथ हुई सभी तरह की घटना की रिपोर्ट किसी भी थाने में लिखवा सकते हैं। इसे जीरो एफआईआर कहते हैं।

शिकायतकर्ता 'जीरो एफआईआर' के तहत किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

'जीरो एफआईआर' महिलाओं के लिए काफी मददगार साबित हुई है, क्योंकि कई बार डर या किसी अन्य कारणों से वो अपनी शिकायत संबंधित थाने में दर्ज नहीं करा पाती थीं।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कोई भी शिकायतकर्ताध महिला किसी भी पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज करवा सकती है और पुलिस स्टेशन इसके लिए मना नहीं कर सकता।

पुलिस को अपराध की सूचना देने में देरी न हो इसलिए जरूरी है कि जल्द-से-जल्द शिकायत दर्ज करवाई जाए।

एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस बिना जांच किए मामले को संबंधित थाने में नहीं भेज सकती।

'जीरो एफआईआर' इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस पर मामले की जांच आगे बढ़ेगी और सबूत नष्ट होने का खतरा नहीं रहेगा।

ऐसे दर्ज होती है जीरो एफआईआर...

'एफआईआर' की तरह ही इसमें भी शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया जाता है।

घटना को पुलिस के पास लिखित रूप में दर्ज करवाना होता है।

शिकायत दर्ज करवाने के बाद पेपर/रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना जरूरी होता है।

पीड़िता को अपने पास शिकायत पेपर की एक कॉपी रखने का भी अधिकार है।

2012 में निर्भया के साथ हुए जघन्य अपराध के बाद आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 में 'जीरो एफआईआर' का प्रावधान किया गया था। एफआईआर न लेने की स्थिति में शिकायतकर्ता अपने इलाके के मजिस्ट्रेट के पास पुलिस को निर्देशित करने के लिए कम्प्लेंट पेटिशन दायर करवा सकते हैं।

किसी सर्विस या प्रोडक्ट से संतुष्ट न होने पर ग्राहक को शिकायत करने का अधिकार है।

Vineeta Mandal | Updated On : November 16, 2017 09:17 PM

http://www.newsstate.com/know-your-rights/a-woman-can-lodge-an-fir-at-any-police-station-cops-cannot-refuse-article-42418.html

जानें अपने अधिकार :

परिवार देगा रोटी, कपड़ा, मकान क्योंकि भरण-पोषण आपका हक

भरण-पोषण के अधिकार के तहत देश के सभी नागरिकों को उनके परिवार से रोटी, कपड़ा और मकान पाना उनका कानूनी हक है

भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के मुताबिक पत्नी, बच्चों और माता-पिता को भरण पोषण का कघनूनी अधिकार है

जीवन की भागा-दौड़ी में हम सब इतने मशरुफ हो गए हैं कि हमें अपने अधिकारों तक का इल्म नहीं रहता। शायद यही कारण है कि आज शहर दर शहर इतने सारे वृद्धाश्रम और महिला सदन आश्रय खुलते जा रहे हैं।

क्या आपको पता है भरण-पोषण के अधिकार के तहत देश के सभी नागरिकों को उनके परिवार से रोटी, कपड़ा और मकान पाना उनका कघनूनी हक है। इस अधिकार के दायरे में पत्नी, बच्चे, माता-पिता सभी आते हैं।

क्या है भरण-पोषण का अधिकार ?

1. किसी व्यक्ति की समान्य जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक मदद पाना।
2. हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम धारा 3(ख) के मुताबिक सभी स्थिति में खाना, कपड़ा, घर, शिक्षा और इलाज इसमें आता है।
3. इसके साथ ही अविवाहित बेटी की शादी की जिम्मेदारी भी आती है।

किसे है भरण-पोषण पाने का अधिकार ?

1. इसमें माता-पिता, दादा-दादी और सौतेली मां भी आती है।
2. विवाहित, तलाकशुदा और विधवा महिला को भी भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार है।
3. विधवा बेटी, बहू, पौत्रवधू, अविवाहित पोता-पोती, बेटी, और अवयस्क पोता-पोती, अवयस्क बेटा-बेटी भी आते है।

क्या है भरण-पोषण अधिकार के नियम ?

1. मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी से आश्रित उतना ही भरण-पोषण पा सकते हैं, जितनी मृत व्यक्ति की संपत्ति उनके पास है।
2. आश्रित भरण-पोषण की मांग तभी कर सकता है, जब मृत व्यक्ति की संपत्ति में से उत्तराधिकारी के रुप में कोई अंश नहीं मिला है। चाहे उत्तराधिकारी के नाम पर वसीयत हो या न हो।
3. जो भी व्यक्ति संपत्ति लेता हैं उन सब की जिम्मेदारी होती है कि वो बंटवारे के आधार पर ही अपनी जिम्मेदारी ले।

भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के मुताबिक पत्नी, बच्चों और माता-पिता को भरण पोषण का कानूनी अधिकार है। वहीं पति, पिता और पुत्रों पर पत्नी, बच्चों और माता-पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी डाली गयी है।

ग्राहक को सुरक्षा का अधिकार है। यानी जो चीजें आप खरीदते हैं उनसे भविष्य में भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए।

कन्ज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन

Vineeta Mandal | Updated On : November 16, 2017 09:17 PM

http://www.newsstate.com/know-your-rights/right-to-maintenance-indian-parents-and-senior-citizens-article-43141.html

जानें अपने अधिकार :

सूर्यास्त के बाद नहीं हो सकती महिला की गिरफ्तारी

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है

धारा-47(2) के अनुसार महिला की तलाशी केवल दूसरी महिला द्वारा ही शालीन तरीके से ली जाएगी

आज पूरी दुनिया में महिलाओं ने अपनी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत समाज में अपनी जगह बनाई है। वहीं दूसरी तरफ कई ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है।

कई मामलों में पुलिस पर भी गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप है। ऐसे में जरुरी है कि नागरिकों को भी कानून द्वारा दिए गए अपने अधिकारों के बारे में सही जानकारी हो।

पिछले कुछ समय में कई ऐसे मामले उजागर हुए जिसमें ये देखा गया कि पुलिस कर्मियों द्वारा महिलाओं को देर रात गिरफ्तार करने को लेकर परेशान किया जाता है। जिसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हितों को देखते हुए एक आदेश जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के मुताबिक सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं इस दौरान पुलिस किसी भी महिला को पूछताछ के लिए थाने भी नहीं बुला सकती है।

अगर पुलिस के साथ महिला पुलिस भी हो उस स्थिति में भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जा सकता है।

अपराधिक दंड संहिता (सीआरपीसी) की धारा 46(4) 1973, महिलाओं की गिरफ्तारी से जुड़े प्रावधानों को स्पष्ट करता है। जिसके मुताबिक कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

वहीं विशेष परिस्थिति में महिला की गिरफ्तारी के समय किसी महिला पुलिस अधिकारी का होना जरूरी है। इतना ही नहीं साथ में लोकल फर्स्ट क्लास न्यायिक मजिस्ट्रेट का लिखा हुआ वारंट भी होना चाहिए।

बता दें कि 21 दिसम्बर 2012 को भारती बनाम जाधव केस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस कघनून का प्रयोग करते हुए सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी।

धारा-47(2) के अनुसार महिला की तलाशी केवल दूसरी महिला द्वारा ही शालीन तरीके से ली जाएगी।

महिला चाहे तो पुलिस से अपनी गिरफ्तारी का कारण पूछ सकती है और चाहे तो तलाशी लेने वाली महिला पुलिसकर्मी की भी तलाशी ले सकती है।

गिरफ्तारी के बाद महिला को केवल महिलाओं के लिए बने लॉकअप में ही रखा जाएगा। लॉकअप नहीं होने की स्थिति में महिला को किसी कमरे में बंद कर रखा जा सकता है।

पुलिस द्वारा मार-पीट या दुर्व्यवहार के मामले में महिला मजिस्ट्रेट से डॉक्टरी जांच की मांग कर सकती है।

Deepak Singh Svaroci | Updated On : November 14] 2017 10:24 PM

http://www.newsstate.com/know-your-rights/right-to-maintenance-indian-parents-and-senior-citizens-article-43141.html

जानें अपने अधिकार :

पिता की संपत्ति में बेटी को है बराबरी का हक

देश में पिता की संपत्ति पर बेटे के बराबर ही बेटियों का अधिकार भी है

हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 के अधिनियम में है बराबरी का हक

हमारे देश में स्त्री-पुरुष के बीच भेदभाव अब भी जारी है। हालांकि कघनून ने स्त्रियों को सबल बनाने के लिए वो सारे अधिकार दिए हैं। इसके बावजूद बहुत सारी महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरुक नहीं होने की वजह से परेशानी झेलती हैं।

देश में पिता की संपत्ति पर बेटे के बराबर ही बेटियों का अधिकार भी है।

हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 के अधिनियम की नई धारा 6 के मुताबिक बेटे और बेटियों को संपत्ति पर बराबरी का अधिकार है।

अक्टूबर 2011 में सुप्रीम कोर्ट में गंडूरी कोटेश्वरम्मा की तरफ से दायर की गई याचिका पर फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा और जगदीश सिंह खेहर ने इसी अधिनियम का हवाला देते हुए कहा था कि बेटियां भी अपने अन्य सहोदर भाई-बहनों की तरह ही संपत्ति का अधिकार रखती हैं।

इस फैसले में यह भी कहा गया कि अगर बेटियों को बेटों के बराबर उत्तराधिकार का अधिकार नहीं दिया जाता है तो यह संविधान के द्वारा दिए गए समानता के मौलिक अधिकारों का हनन होगा।

बेटियों को पिता की संपत्ति में हकघ्नहीं देना एक ओर समानता के मौलिक अधिकारों का हनन है तो दूसरी ओर यह सामाजिक न्याय की भावना के भी विरुद्ध है।

हालांकि कोर्ट ने ये भी बताया कि बेटी को संपत्ति में बराबर का हिस्सेदार तभी माना जाएगा, जब पिता 9 सितंबर 2005 के बाद जीवित हों।

गौरतलब है कि हिंदू उत्तराधिकार कघनून 1956 में बेटी के लिए पिता की संपत्ति में किसी तरह के कघनूनी अधिकार की बात नहीं कही गई थी।

बाद में 9 सितंबर 2005 को इसमें संशोधन लाकर पिता की संपत्ति में बेटी को भी बेटे के बराबर का अधिकार दिया गया।

Deepak Singh Svaroci | Updated On : November 21, 2017 11:10 PM

http://www.newsstate.com/know-your-rights/right-to-maintenance-indian-parents-and-senior-citizens-article-43141.html

जानें अपने अधिकार :

गरीबों को न्याय के लिए सरकारी खर्च पर वकील रखने का हक

भारतीय संविधान में देश की जनता को समानता के अधिकार की तरह न्याय का अधिकार भी दिया गया है। इसमें न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि गरीबों और कमजोर वर्गों के लिए नि:शुल्क कानूनी सहायता मुहैया कराई जाए। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 39 ए के तहत दिया गया है।

भारतीय संविधान में देश की जनता को समानता के अधिकार की तरह न्याय का अधिकार भी दिया गया है। इसमें न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि गरीबों और कमजोर वर्गों के लिए नि:शुल्क कानूनी सहायता मुहैया कराई जाए। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 39 ए के तहत दिया गया है।

1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पास किया गया था, जिसके मुताबिक प्रत्येक राज्य का यह उत्तर दायित्व है कि सभी को न्याय मिल सके।

इसके तहत एक तंत्र की स्थापना करने को कहा गया था जिससे कमजोर वर्ग के लोगों तक कानूनी सहायता सुगम रूप से पहुंच सके। इस तंत्र का काम कार्यक्रम लागू करना, उसका मूल्यांकन और निगरानी करना है।

इस अधिनियम के पास होने के बाद प्रत्येक राज्य में कानूनी सहायता प्राधिकरण, प्रत्येक उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति का गठन किया गया। जिला कानूनी सहायता प्राधिकरण और तालुका कानूनी सेवा समितियां जिला और तालुका स्तर पर बनाई गई हैं।

इस कानून के तहत कई तरह की स्कीम शुरू की गई हैं जिनमें से सबसे ज्यादा प्रचलित स्कीम है लोक अदालत।

इन सुविधाओं को किया गया शामिल

- किसी भी कानूनी कार्यवाही में कोर्ट की फीस से लेकर सभी तरह के प्रभार अदा करना
- कानूनी कार्यवाही में वकील उपलब्ध कराना
- कानूनी कार्यवाही में आदेशों आदि की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना

- कानूनी कार्यवाही में अपील और दस्तावेज का अनुवाद और छपाई सहित पेपर बुक तैयार करना

इन्हें मिलेगी मुफ्त कानूनी सहायता

- असहाय महिलाएं और बच्चे
- अनुसूचित जातिध्अनुसूचित जनजाति के सदस्य
- औद्योगिक श्रमिक
- बड़ी आपदाओं से प्रताड़ित लोग, जैसे हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा आदि
- विकलांग व्यक्ति
- पुलिस की हिरासत में आरोपी
- वे लोग जिनकी सालाना इनकम 50 हजार से ज्यादा नहीं है
- बेगार या अवैध मानव व्यापार के शिकार लोग

Narendra Hazari | Updated On : November 21] 2017 12:49 AM

http://www.newsstate.com/know-your-rights/know-your-rights-in-indian-constitution-right-to-free-legal-aid-for-justice-to-everyone-article-42710.html

जानें अपने अधिकार :

खराब क्वालिटी की वजह से हुए नुकसान के खिलाफ कर सकते हैं शिकायत

उपभोक्ता वस्तु या सेवा की खराब गुणवत्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकता है
अगर क्षतिपूर्ति की राशि 20 लाख रूपये से कम है तो जिला फोरम में शिकायत करें
उपभोक्ताओं को जीवन और संपत्ति के लिए घातक पदार्थों या सेवाओं की बिक्री से बचाव का अधिकार है

बाजारवाद के दौर में आज हर कोई (उपभोक्ता) धड़ल्ले से खरीदारी कर रहा है लेकिन क्या आपको पता भी है कि बतौर उपभोक्ता आपको क्या-क्या अधिकार दिए गए हैं ?

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार हर वो व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिये सामान अथवा सेवायें खरीदता है वह उपभोक्ता है।

कंपनी या दुकानदारों द्वारा ज्यादा मुनाफा कमाने की होड़ में नुकसान उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है। कई बार मिलावटखोरी और खराब गुणवत्ता की वजह से लोगों को जान-माल का भी नुकसान झेलना पड़ता है।

ऐसी स्थिति में उपभोक्ता वस्तु या सेवा की खराब गुणवत्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकता है।

उपभोक्ताओं को जीवन और संपत्ति के लिए घातक पदार्थों या सेवाओं की बिक्री से बचाव का अधिकार है।

घरेलू एलपीजी के फटने पर हुई किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान के लिए 40 लाख बीमा कवर क्लेम की जा सकती है।

अगर कोई उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के निर्णय के खिलाफ अपील करना चाहता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करा सकता है।

शिकायत कहां की जाये

अगर क्षतिपूर्ति की राशि 20 लाख रूपये से कम है तो जिला फोरम में शिकायत करें।

यदि यह राशि 20 लाख रूपये से अधिक लेकिन एक करोड़ रूपये से कम है तो राज्य आयोग के समक्ष।

यदि एक करोड़ रूपसे अधिक है तो राष्ट्रीय आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करायें।

शिकायत कैसे करें

शिकायत सादे कागज पर की जा सकती है और इसके लिए किसी वकील की जरूरत नहीं है।

शिकायत में उपभोक्ता का नाम और जिसकी शिकायत की जा रही है उसका नाम, पता, शिकायत से संबंधित तथ्य और यह कहां हुआ आदि का विवरण होना चाहिए।

शिकायत के साथ आरोप के समर्थन में दस्तावेज भी होने चाहिये।

शिकायत दर्ज कराने के लिये नाममात्र का न्यायालय शुल्क लिया जाता है।

शिकायत दर्ज कराने के अन्य तरीके

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने किसी तरह की शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया है।

BSNL और MTNL उपभोक्ताओं के लिए - 1800114000

उपभोक्ता मेल के जरिए भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। web@nationalconsumerhelpline.in

या राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, उपभोक्ता अध्ययन केंद्र, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, आईपी एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली - 110002 को खत लिखकर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

Deepak Singh Svaroci | Updated On : November 16] 2017 04:25 PM

http://www.newsstate.com/know-your-rights/right-to-safety-the-consumer-protection-rights-you-must-know-article-42334.html

जानें अपने अधिकार :

कानून आपको देता है रोजी–रोटी कमाने का अधिकार

भारत के प्रत्येक नागरिक को उसकी पसंद के मुताबिक रोजी–रोटी कमाने का हक है

भारतीय संविधान में इसे 'काम के अधिकार' के तहत परिभाषित किया गया है

भारत के प्रत्येक नागरिक को उसकी पसंद के मुताबिक रोजी–रोटी कमाने का हक है। संविधान में इसे 'काम के अधिकार' के तहत परिभाषित किया गया है।

भारत के संविधान में अनुच्छेद 41–43 में राज्य को सभी नागरिकों के लिए काम का अधिकार, न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, मातृत्व राहत और एक शालीन जीवन स्तर सुरक्षित करने के प्रयास करने के अधिकार दिए गए हैं।

रोजी–रोटी कमाने का हक भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के रूप में लोगों को दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों में भी आर्थिक, समाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के साथ रोजी–रोटी कमाने के हक को सुरक्षित किया गया है।

मानवाधिकार पर घोषित सार्वभौम प्रस्ताव (UDHR) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को काम करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

4 अगस्त 2005 में महाराष्ट्र सरकार और शोभा विट्ठल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि 'काम करने का हक' आर्टिकल 21 में निहित श्जीवन के अधिकारश के तहत सुरक्षित है।

संविधान के अनुच्छेद 41 में लिखा है, बेरोजगारी में, बुढ़ापे में, बीमारी में, विकलांगता की स्थिति में लोगों को उनकी जरूरत के मुताबिक काम करने का हक, शिक्षा का हक और सामाजिक सहायता का हक दिया जाता है।

काम करने के हक को संविधान में मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें इसे कानूनी मान्यता दी गई है।

Consumer Protection Act 1986

Consumer Rights

News State Bureau | Updated On : December 12] 2017 11:56 PM

http://www.newsstate.com/know-your-rights/know-your-rights-right-to-work-and-livelihood-is-your-fundamental-right-article-44272.html

जानें अपने अधिकार :

भारत में किसे है बच्चों को गोद लेने का हक, क्या कहता है कानून

हमारे देश में बच्चा गोद लेने के अधिकार को लेकर लोगों के मन में काफी दुविधाएं है। लेकिन हकीकत ये है कि किसी भी बच्चे को गोद लेने के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करने की जरूरत होती है।

आइए गोद लेने की प्रक्रिया से पहले ये जान लें कि किसे बच्चा गोद लेने का अधिकार है।

- कोई भी विवाहित अथवा अविवाहित महिला या पुरुष। लेकिन अविवाहित पुरुष किसी लड़की को गोद नहीं ले सकता है।
- गोद लेने वाले नाबालिग और पागल नहीं होना चाहिए।
- विधवा, अविवाहित, तलाकशुदा महिलाएं भी बच्चा गोद ले सकती है।
- अगर कोई पुरुष किसी बच्ची को गोद लेना चाहता है तो दोनों की उम्र में 21 साल का फर्क होना चाहिए। यही बात महिला पर भी लागू होती है।
- 2006 में किशोरों के लिए बने कानून के तहत मुसलमान भी चाहें तो बच्चा गोद ले सकते हैं।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम् की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने फरवरी 2014 में शबनम हाशमी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, ' 2006 के किशोर एवं बाल कानून (जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट) के तहत यह फैसला दिया जाता है कि इस कानून के प्रावधान सभी धर्म और समुदाय पर लागू होंगे। इसमें व्यक्तिगत धार्मिक भावनाओं की कोई दखलअंदाजी नहीं हो सकती।'

गोद लेने की प्रक्रिया

गोद की प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक समारोह का आयोजन होता है।

इसके बाद दोनों पक्ष इलाके के सब-रजिस्ट्रार के सामने पेश होते हैं और फिर स्टांप पेपर पर डीड तैयार की जाती है।

डीड पर बच्चा गोद देने वाले और गोद लेने वाले दोनों पैरंट्स के फोटो लगते हैं। इस पर दो गवाहों के दस्तखत होते हैं और लिखा जाता है कि बच्चे को गोद लिया जा रहा है और इसके लिए समारोह का आयोजन हो चुका है।

इसके बाद डीड पर सब-रजिस्ट्रार के दस्तखत होते हैं और इसे रजिस्टर्ड कर दिया जाता है।

अगर कोई शख्स किसी अनाथालय से बच्चा गोद लेता है तो सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में देने वाले की जगह अनाथालय का नाम लिखा जाता है।

किन संस्थाओं से बच्चा गोद ले सकते हैं ?

- किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन एजेन्सियों से
- केन्द्री य सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहे शिशु गृहों से
- संबंधित राज्य सरकारों से लाईसेंस प्राप्तत दत्तक ग्रहण स्थाजपन ऐजेन्सियों से
- ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको (http://www-cara-nic-in/Index-aspx) वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना होगा

इनसे बच्चा गोद न लें

- बिना लाइसेंस की एजेन्सियों/गृहों से
- नर्सिंग होम या अस्पतालों से
- किसी अनजान व्यक्ति से

Vineeta Mandal | Updated On : December 07] 2017 12:31 AM

http://www.newsstate.com/know-your-rights/how-to-adopt-a-child-in-india-you-must-know-rules-and-laws-article-43817.html

CONSUMER RIGHTS ORGANISATION
CRO
INDIA
KNOW YOUR RIGHTS

DELHI STATE TEAM

VIKRANT YADAV
PRESIDENT

PAWAN KUMAR
VICE PRESIDENT

DINESH YADAV
VICE PRESIDENT

AJAY KUMAR
LEGAL ADVISOR

AKIL RATAEEYA
LEGAL ADVISOR

AMIT KUMAR
GENERAL SECRETORY

HARISH KUMAR
ORG. SECRETORY

SAGAR YADAV
ORG. SECRETORY

RUPESH YADAV
JOINT SECRETARY

INDUBALA YADAV
TREASURER

NEERAJ SHARMA
JOINT TREASURER

SUNIL KUMAR YADAV
ADVISOR

MANU
ADVISOR

RADHE MOHAN
EXECUTIVE MEMBER

VISHAL GARG
EXECUTIVE MEMBER

YOGESH SHARMA
EXECUTIVE MEMBER

SANOHA ALEXANDER
EXECUTIVE MEMBER

AMOL PANDURANG SANGALE
EXECUTIVE MEMBER

MAYURESH KISHOR JADHAV
EXECUTIVE MEMBER

RAJAN RAJNARAYAN YADAV
EXECUTIVE MEMBER

ROHIT DIXIT
EXECUTIVE MEMBER

JASWANT
EXECUTIVE MEMBER

CONSUMER RIGHTS ORGANISATION
CRO
INDIA
KNOW YOUR RIGHTS

WEST BENGAL STATE TEAM

RAKESH PANCHOLI
President

KAMINI PANCHOLY
Treasurer

RAKESH ANCHALIA
Vice-President

JITENDRA KOCHAR
Vice-President

VINAY BHUTORIA
Vice-President

MITESH ANCHALIA
Vice-President

AVISHAKE S. CHOWDHURY
Vice-President

GAUTAM KHANDELWAL
Jt. Secretary

TULSI RAM ANCHALIA
Advisor

SUPRIYO SENGUPTA
EXECUTIVE MEMBER

SUDARSHAN MANOT
EXECUTIVE MEMBER

PIYUSH AGARWAL
EXECUTIVE MEMBER

ANIRUDH MURRARKA
EXECUTIVE MEMBER

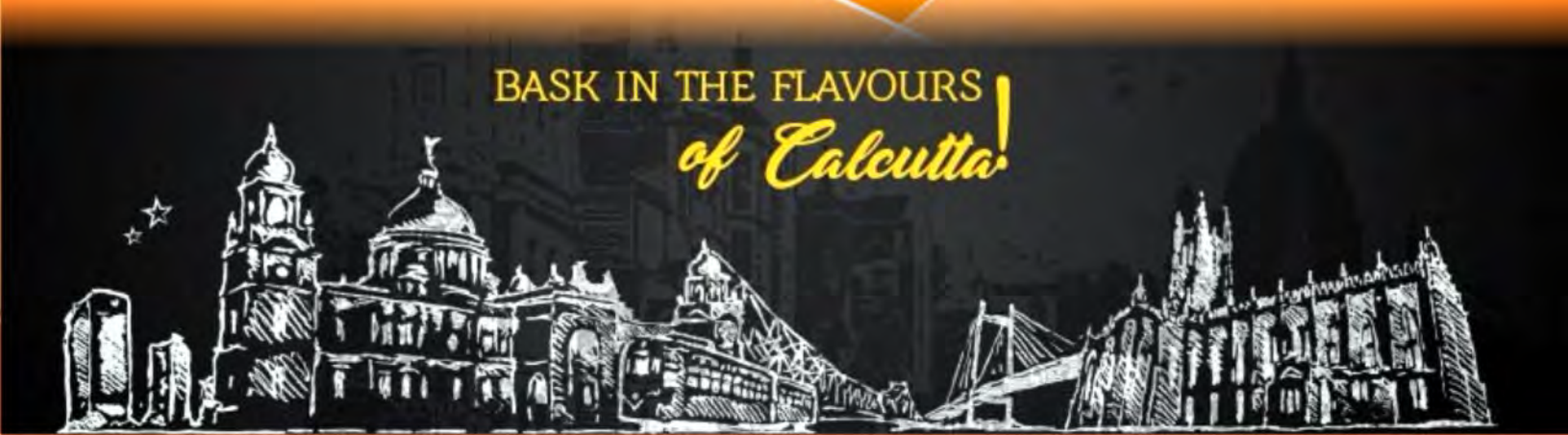

CONSUMER RIGHTS ORGANISATION
CRO
INDIA
KNOW YOUR RIGHTS

BIHAR STATE TEAM

Shivanand Shinh
President

Abhishek Kumar
Vice-President

Dr. Samrendra Kr.
Gen. Secretary

Rabindra Kr. Ravi
Legal Advisor

Ritu Ragini
Advisor

Kalyani
Advisor

Dr. Amarkant Singh
Legal Advisor

Kamal Nayan
Treasurer

Anjan Kr. Sen
Jt. Secretary

Kamta Prasad Ray
Org. Secretary

Vijay Kr. Singh
Org. Secretary

Pankaj Kr. Singh
Org. Secretary

Ramesh Kumar
Org. Secretary

Ajit Kishore Singh
Org. Secretary

WITH BEST COMPLIMENTS FROM

CONSUMER RIGHTS ORGANISATION
CRO
INDIA

KNOW YOUR RIGHTS

JAGO GRAHAK JAGO

Dr. Farid A.R. Chimaokar
President

Mr. Ansar Dandekar
Vice-President

Mrs. Vaishali Patil
Secretary

Mr. Udhav Avhad
Treasurer

Miss Arunadevi More
Committee Member

Mr. Vidyasagar Gaikwad
Committee Member

Dr. Jalinder Wadawerao
Committee Member

CONSUMER RIGHTS ORGANISATION
MAHARASHTRA STATE

जानें अपने अधिकार :

न्यूनतम मजदूरी और सप्ताह में एक दिन अवकाश हर कर्मचारी का हक

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अनुसार सभी तरह के काम-काज के लिए एक न्यूनतम मजदूरी तय की गई है

सभी तरह के कर्मचारी का हक है कि उसे कंपनी की तरफ से सप्ताह में एक दिन वेतन सहित अवकाश मिले

कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने पर मुआवजा पाने का अधिकार है, ये तो आप सभी जानते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि काम पर आते या काम से घर वापस जाते हुए भी अगर कोई कर्मचारी चोटिल हो जाता है तो उन्हें भी मुआवजा पाने का अधिकार है।

अगर किसी कर्मचारी की मौत दुर्घटना या बीमारी से होती है तो उस मामले में उसके परिवारवालों को मुआवजा दिया जाएगा।

कोई कर्मचारी काम के स्वभाव की वजह से कार्यकाल के दौरान ही बीमार हो जाता है या नौकरी छोड़ने के दो साल बाद तक बीमार होता है तो उस स्थिति में भी मुआवजा पाने का अधिकार है।

कर्मचारियों को ये अधिकार कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 के अंतर्गत दिया गया है।

इसके अलावा किसी भी कर्मचारी को 9 घंटे से ज्यादा वक्त तक काम नहीं करवाया जा सकता है और अगर करवाया जाता है तो उसके लिए कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा देना होगा।

सभी तरह के कर्मचारी का हक है कि उसे कंपनी की तरफ से सप्ताह में एक दिन वेतन सहित अवकाश मिले।

सामान वेतन अधिनियम, 1976 के तहत महिला और पुरुष को एक तरह के काम के लिए समान वेतन देने का भी प्रावधान है। इसके अलावा महिला कर्मचारियों को मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के तहत कुछ विशेष लाभ दिया गया है।

वहीं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अनुसार सभी तरह के काम-काज के लिए एक न्यूनतम मजदूरी तय की गई है।

दुर्घटना होने पर सबसे पहले मालिक/कंपनी को नोटिस दें, नोटिस में कर्मचारी का नाम, चोट के कारण, तारीख और स्थान लिखें। अगर मालिक/कंपनी मुआवजा देने में आना-कानी करता है तो लेबर कमिश्नर को आवेदन दें।

उस आवेदन में कर्मचारी का पेशा, चोट की प्रकृति, चोट की तारीख, स्थान, मालिक/कंपनी का नाम, पता नियोक्ता को नोटिस देने की तिथि, अगर मालिक/कंपनी को नोटिस नहीं भेजा हो तो नोटिस नहीं भेजने का कारण का उल्लेख करें।

आवेदन दुर्घटना होने के 2 साल के अंदर ही भेजा जाना चाहिए। हालांकि कुछ खास परिस्थितियों में 2 साल के बाद भी आवेदन किया जा सकता है।

Deepak Singh Svaroci | Updated On : December 05] 2017 09:48 PM

http://www.newsstate.com/know-your-rights/employee-rights-in-the-organisation-minimum-wage-working-hour-accidental-compensation-article-43743.html

जानें अपने अधिकार :

मकान मालिक नहीं काट सकता है किराएदार के घर की बिजली और पानी

किराएदारों को मकान किराए पर लेने पर निजता का अधिकार भी मिलता है

मकान मालिक किसी भी सूरत में किराएदार की बिजली और पानी बंद नहीं कर सकता है

भारत में आम तौर पर देखा जाता है कि मकान मालिक अपने किराएदारों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। आए दिन मकान मालिकों के मनमाने रवैये और नाजायज किराये की मांग से किराएदार शोषण का शिकार होते हैं।

यह इसलिए भी होता है क्योंकि किराएदार अपने हक को ही नहीं जानते हैं। दरअसल जब कोई व्यक्तिकिसी दूसरे के मकान को तय राशि का भुगतान कर एक तय समयअवधि के लिए लेता है, तो वह किराएदार कहलाता है।

बता दें कि कुछ मुख्य नियमों को छोड़कर सभी राज्यों में किराएदार के लिए अलग-अलग नियम बने हुए हैं, जिसके तहत उन्हें संरक्षण प्राप्त होते हैं।

किराएदारों को मकान किराए पर लेने पर निजता का अधिकार भी मिलता है। इसका मतलब है कि मकान मालिक बिना किराएदार की अनुमति के अंदर उसकी प्रोपर्टी में प्रवेश नहीं कर सकता है।

मकान मालिक नहीं कर सकता बिजली और पानी बंद

किराएदार द्वारा किराया नहीं देने पर या लेट देने या किसी और कारण से मकान मालिक अक्सर बिजली और पानी काट देने की धमकी देते हैं, जबकि यह पूरी तरह से गैरकानूनी है। मकान मालिक किसी भी सूरत में किराएदार की बिजली और पानी बंद नहीं कर सकता है।

किराए पर लेने से पहले जानें घर की स्थिति

किसी भी किराएदार को कोई भी प्रोपर्टी किराए पर लेने से पहले उसकी पूरी स्थिति को जानने का हक होता है। अगर मकान मालिक किसी तरह की गलत जानकारी देकर आपको धोखा देता है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

एग्रीमेंट है सबसे जरूरी

किसी भी प्रोपर्टी को लेने से पहले एग्रीमेंट जरूर करना चाहिए। एग्रीमेंट दो तरह के होते हैं इन्हें पहले जानिए इसके बाद ही आप एग्रीमेंट करवाएं।

लीज एग्रीमेंट - इस तरह के एग्रीमेंट में प्रतिबंधात्मक किराया नियंत्रण कानून के तहत किराएदारों और मकान मालिकों के हक की सुरक्षा की जाती है। इसमें किराए की राशि विधायी या न्यायिक सरकार द्वारा तय किया जाता है।

लीज और लाइसेंस एग्रीमेंट - यह लीज एग्रीमेंट से पूरी तरह से अलग है। इस तरह का एग्रीमेंट पूरी तरह से मकान मालिक और किराएदार की आपसी समझौतों पर निर्भर करता है। इस तरह के एग्रीमेंट में किराएदारी का एग्रीमेंट 11 महीने के लिए होता है।

जानिए मकान को किराए पर लेने से पहले क्या जानना है जरूरी...

- किराएदारी एग्रीमेंट की एक कॉपी रखने का अधिकार
- भरपाई का अधिकार : मकान मालिक से किराएदार मकान में कोई भी टूट-फूट को ठीक कराने पैसे ले सकता है
- लीज एग्रीमेंट के खत्म होने पर मकान मालिक को किराएदार के लिए डिपॉजिट मनी को वापस करना ही होता है।

Narendra Hazari | Updated On : November 29] 2017 11:18 PM

http://www.newsstate.com/know-your-rights/a-tenant-right-by-indian-law-you-must-know-as-a-citizen-article-43368.html

जानें अपने अधिकार :

पीएम और प्रेसिडेंट ऑफिस भी हैं 'सूचना का अधिकार' कानून के दायरे में

अक्टूबर 2005 से इस कानून के लागू होने के बाद देश में सभी नागरिकों को किसी भी सरकारी विभाग से सूचना लेने का अधिकार

सादे कागज पर हाथ से लिखी हुई या टाइप की गई ऐप्लिकेशन के जरिए संबंधित विभाग से जानकारी मांगी जा सकती है

देश का कोई भी आम नागरिक अपनी शासन व्यवस्था को पारदर्शी और भ्रष्टाचार से मुक्तदेखने की आकांक्षा रखता है। इसी मांग को देखते हुए साल 2005 में भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम संसद में पारित किया।

अक्टूबर 2005 से इस कानून के लागू होने के बाद देश में सभी नागरिकों को किसी भी सरकारी विभाग से सूचना लेने का अधिकार प्राप्त हो गया।

इस अधिकार के तहत आप सरकार के कार्यों, दस्तावेजों, टैक्स और खर्च संबंधी किसी भी तरह के रिकॉर्ड्स को हासिल करने या उसका निरीक्षण करने का अधिकार रखते हैं।

जम्मू-कश्मीर को छोड़कर यह कानून पूरे देश में लागू होता है लेकिन सिर्फ भारतीय नागरिक ही इस कानून का उपयोग कर सकते हैं। इसकी देखरेख के लिए सरकार ने केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग का गठन किया है।

जानकारी मांगने वाले को डिस्क, टेप, वीडियो कैसेट या किसी इलेक्ट्रोनिक या प्रिंटआउट के रूप में सूचना मांगने का हक है। हालांकि वह सूचना पहले से उसी रूप में मौजूद होनी चाहिए।

किसी व्यक्ति द्वारा मांगी गई जानकारी को संबंधित विभाग का जनसूचना अधिकारी (पीआईओ) 30 दिन के भीतर उसे उपलब्ध कराएगा, अगर तय समय में नहीं मिल पाती है, तो व्यक्तिफिर से अपील कर सकता है।

अपील के बाद भी व्यक्तिको सूचना नहीं मिलती है, तो राज्य के मामलों के लिए राज्य सूचना आयोग और केंद्र के मामलों के लिए केंद्रीय सूचना आयोग में दूसरी अपील कर सकता है।

इन विभागों पर नहीं होता लागू

खुफिया एजेंसियों की ऐसी जानकारियां, जिनके सार्वजनिक

होने पर देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरा पैदा हो।

दूसरे देशों के साथ भारत से जुड़े मामले

थर्ड पार्टी यानी निजी संस्थानों संबंधी जानकारी लेकिन सरकार के पास उपलब्ध इन संस्थाओं की जानकारी को संबंधित सरकारी विभाग के जरिए हासिल कर सकते हैं

नोट - इन विभागों के अलावा राष्ट्रपति ऑफिस, प्रधानमंत्री ऑफिस समेत सभी सरकारी या सरकार द्वारा पोषित संस्थाओं से जानकारी हासिल की जा सकती है।

कैसे करें अप्लाई

सादे कागज पर हाथ से लिखी हुई या टाइप की गई आवेदन के जरिए संबंधित विभाग से जानकारी मांगी जा सकती है। आवेदन के साथ 10 रुपये की फीस भी जमा करानी होती है। बता दें कि आरटीआई एक्ट कुछ खास मामलों में जानकारी न देने की छूट भी देता है।

Narendra Hazari | Updated On : November 27] 2017 09:30 PM

http://www.newsstate.com/know-your-rights/right-to-information-any-person-can-obtain-information-from-government-offices-article-43213.html

जानें अपने अधिकार :

आत्मरक्षा में की गई हत्या अपराध नहीं

भारतीय दण्ड संहिता 96 से लेकर 106 तक की धाराओं में हर एक व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है

अपनी संपत्ति की रक्षा, चोरी, डकैती, शरारत व अपराधिक गतिविधियों के खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है

आप खुद को बचा सकते हैं, सामने वाले व्यक्ति को दण्ड नहीं दे सकते

पुलिस और कानून व्यवस्था के बावजूद देश में अपराध की घटनाएं हर रोज बढ़ रही है। कई बार लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो पुलिस से सहायता मांग सके। ऐसे में कानून ने हमें आत्मरक्षा का अधिकार दिया है।

भारतीय दण्ड संहिता 96 से लेकर 106 तक की धाराओं में हर एक व्यक्तिको आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है। लेकिन हां वो सिर्फ आत्मरक्षा होनी चाहिए, प्रतिरोध या उसे दी जाने वाली सजा नहीं।

यानी आप खुद को बचा सकते हैं, सामने वाले व्यक्तिको दण्ड नहीं दे सकते। दण्ड देना कानून का काम है।

अब सवाल ये है कि किन परिस्थितियों में हम अपने आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं ?

अपनी संपत्ति की रक्षा, चोरी, डकैती, शरारत व अपराधिक गतिविधियों के खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है।

आईपीसी की धारा 103 के मुताबिक लूट, रात में घर में सेंधमारी, आगजनी, चोरी जैसी किसी भी स्थिति में अगर जान का खतरा हुआ तो आक्रमणकारी की हत्या करना भी गलत नहीं होगा।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आत्मरक्षा के अधिकार से जुडे मामले में एक निर्णय के दौरान कहा था, 'कानून का पालन करने वाले लोगों को कायर बने रहने की जरूरत नहीं है, खासकर तब, जबकि आपके ऊपर गैरकानूनी तरीके से हमला किया जाए।'

न्यायमूर्ति पीपी नावलेकर और न्यायमूर्ति लोकेश्वर पंटा की खंडपीठ ने पंजाब के अंतराम की हत्या के दोषी बाबूराम और इंद्रराज को आजीवन कारावास की सजा देने के फैसले को दरकिनार करते हुए यह व्यवस्था दी है।

अंतराम ने तीन मार्च 1993 को इंद्रराज पर तो हमला किया ही, पति के बचाव में सामने आई माया को भी निशाना बनाया। इस घटना के दौरान बाबूराम और इंद्रराज ने आत्मरक्षार्थ अंतराम पर प्रतिघात किया, जिसमें उसकी मौत हो गई।

Deepak Singh Svaroci | Updated On : November 24] 2017 09:31 PM

http://www.newsstate.com/know-your-rights/the-right-to-self-defence-know-your-rights-campaign-article-43004.html

जानें अपने अधिकार :

बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी

6- 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना मौलिक अधिकार है

शिक्षा का यह मौलिक अधिकार 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू कर दिया गया

प्राइवेट स्कूलों में भी गरीब और वंचित वर्गों के लिए 25 प्रतिशत सीट आरक्षित किया गया है

आधुनिक समाज में शिक्षा मानव के संपूर्ण विकास के लिए सबसे जरूरी और अनिवार्य साधन है। इसलिए इसे समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दुनिया के सभी देशों की प्राथमिकताओं में रही है।

भारत में शिक्षा की उपलब्धता को वंचित समाज तक पहुंचाने में 'मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार' ने पिछले कई सालों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इसके लिए सरकार ने 2002 में लाए गए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को 4 अगस्त 2009 को संसद में पारित किया और इसे संविधान के अनुच्छेद 21(A) में मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया।

शिक्षा का यह मौलिक अधिकार 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसके साथ ही भारत उन 135 देशों में शामिल हुआ, जिसके संविधान में शिक्षा को अनिवार्य किया गया।

इसके अलावा राज्य के नीति- निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में भी मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को जोड़ा गया, जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

साथ ही संविधान के अनुच्छेद 51(A) में दर्ज मौलिक कर्तव्यों में जोड़कर अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के मुख्य प्रावधान

6-14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना मौलिक अधिकार है।

हर बच्चे के लिए आठवीं कक्षा तक की निःशुल्क पढ़ाई सुनिश्चित कराना सरकार की जिम्मेदारी है।

यदि निश्चित उम्र का बच्चा किसी कारण से स्कूल जाने से वंचित रह गया हो तो शिक्षा के लिए उसकी उम्र के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिलाया जाएगा।

प्राइवेट स्कूलों में भी शिक्षा की अनिवार्यता को लागू कराने के लिए गरीब और वंचित वर्गों के लिए 25% सीट आरक्षित किया गया। ऐसा नहीं करने पर स्कूलों की मान्यता रद्द करने का भी प्रावधान है।

इसको अमल में लाने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार, दोनों की है। इसमें कुल व्यय का 55 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी।

इन सबके अलावा सही छात्र-शिक्षक अनुपात, शिक्षकों की नियुक्तियां, बच्चों को दंडित करने पर रोक, स्कूल में पुस्तकालय, पीने के पानी और खेल के मैदान की उचित व्यवस्था भी स्कूलों को करनी होगी।

Saket Anand | Updated On : November 24] 2017 09:39 AM

http://www.newsstate.com/know-your-rights/know-your-rights-for-children-to-free-and-compulsory-education-between-6-14-years-article-42941.html

चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में उपभोक्ताओं के अधिकार

परिचय

भारत एक विकासशील देश है। यहाँ लगभग दो तिहाई आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कि अन्य सेवाओं की तरह चिकित्सा सेवाओं की स्थिति भी हमारे देश में बहुत अच्छी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो और भी बुरा हाल है। ग्रामीण जनता को अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए शहरों की तरफ भागना पड़ता है। कई बार तो उन्हें झोलाछाप डॉक्टरों की सेवाएं लेने को विवश होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उन्हें अनेकों बार अपनी मेहनत की कमाई गंवाने के साथ ही अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। दूसरी तरफ, व्यावसायीकरण की अंधी दौड़ में शहरों सहित छोटे-छोटे कस्बों में भी प्राइवेट अस्पतालों एवं नर्सिंग होम खुलते जा रहे हैं। वहाँ सुविधाओं के नाम पर न तो प्रशिक्षित चिकित्सक होते हैं और न ही मरीजों की समुचित चिकित्सा के उपकरण। फिर भी वे विज्ञापनों के माध्यम से बड़े-बड़े दावे कर मरीजों को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं और उनकी दुकानदारी चलती रहती है। मुँहमांगी कीमत देने के बाद भी उपभोक्ता इस बात के लिए आश्वस्त नहीं होता, कि उसे सही तथा पर्याप्त उपचार मिल पाएगा। ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने का एक मात्र रास्ता उन्हें जागरूक करना है।

चिकित्सा व्यवसाय ऐसा है जिसमें आम आदमी को चिकित्सीय पद्धतियों या दवाओं की जानकारी नहीं होती। वे पूरी तरह से अस्पताल व नर्सिंग होम के कर्मचारियों व चिकित्सकों पर निर्भर होते हैं। ऐसे में छोटी सी लापरवाही मरीज की जान ले सकती है। लेकिन क्या प्रत्येक मामले में चिकित्सक कोलापरवाही के लिए दोषी मानना ठीक है ? यदि ऐसा हुआ तो कोई भी डॉक्टर अपने काम को तल्लीनता से नहीं कर पाएगा।

एक सजग उपभोक्ता के लिए यह जानना आवश्यक है कि एक चिकित्सक का कार्य किस प्रकार का होता है ? मरीजों के प्रति चिकित्सक के कर्तव्य कौन-कौन से होते हैं ? चिकित्सा व्यवसाय में लापरवाही कब मानी जाती है ? एक डॉक्टर की ड्यूटी क्या होती है ? इस सब बातों को हम निम्ललिखित बिन्दुओं में समझ सकते हैं :

लापरवाही क्या है ?

सामान्य अर्थ में लापरवाही का आशय किसी काम को ठीक ढंग से न करना या असावधानी पूर्वक करना होता है। लेकिन कानून की नजर में केवल ठीक ढंग से काम न करना ही लापरवाही नहीं मानी जाती है।

कानून की नजर में लापरवाही

कानून की नजर में लापरवाही तब मानी जाएगी जब उसमें निम्नलिखित तीन बातें मौजूद हों-

- जिम्मेदारी या ड्यूटी
- उल्लंघन
- क्षति या हानि

अर्थात् जब कोई व्यक्ति (चिकित्सक) अपनी ड्यूटी या जिम्मेदारी का पालन ठीक ढंग से नहीं करता, लापरवाही पूर्वक करता है और उसके परिणामस्वरूप दूसरे व्यक्ति (मरीज) को क्षति या हानि पहुंचती है तो कानूनी दृष्टि से इसे लापरवाही मानी जाती है।

लापरवाही-टोर्ट और अपराध

लापरवाही को टोर्ट और अपराध दोनों माना गया है। टोर्ट के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के लिए सिविलन्यायालय में मुकदमें दायर किए जा सकते हैं और अपराध के रूप में फौजदारी न्यायालयों में ।

''उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986'' के अंतर्गत भी इस तरह के मामलों की शिकायत दर्ज करा कर क्षतिपूर्ति की मांग की जा सकती है।

नोट : यहां इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है, कि चिकित्सा में हुई लापरवाही के मामले में शिकायतकर्ता को यह साबित करना होगा कि विपक्षी पार्टी (चिकित्सक) की सतर्क रहने की ड्यूटी थी और उसने इस ड्यूटी का उल्लंधन किया जिसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता या उसके परिजन को क्षति पहुंची है।

चिकित्सक की ड्यूटी

चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाले एक डॉक्टर की निम्नलिखित ड्यूटी मानी गयी है :

- सतर्कता बरतते हुए अपने कौशल और ज्ञान का उचित इस्तेमाल करना
- मरीज की जान बचाने और आपातकाल की स्थिति में उसकी

Saket Anand | Updated On : November 24] 2017 09:39 AM
http://hi.vikaspedia.in/social-welfare/93893e92e93e91c93f915-91c93e91793094191592493e/90992a92d94b91594d92493e-90592793f91593e930/91a93f91593f92494d93893e-93894793593e-915947-91594d93794792494d930-92e947902-90992a92d94b91594d92493e913902-915947-90592793f91593e930

हालत को स्थिर रखने के लिए अपने उचित विशेषज्ञता के साथ सेवा प्रदान करना

- यह निर्णय करने में उचित सावधानी बरतना कि उसे केस लेना चाहिए या नहीं
- चिकित्सक को यह निर्णय लेने में भी सावधानी बरतनी चाहिए कि मरीज को कौन सा उपचार देना है और उसकी देख-रेख कैसे करनी है
- अपने मरीज का ध्यान रखना तथा बिना बताए अपनी सेवाएं न हटाना
- मरीजों की शिकायतों और रोग लक्षणों का सावधानी पूर्वक अध्ययन करना और मानक उपचार करना
- उचित निदान के लिए आवश्यकता अनुसार उपयुक्त प्रयोगशाला परीक्षणों के माध्यम से जांच करवाना
- आवश्यकता होने पर मरीज को दूसरे डॉक्टर के पास जाने की सलाह और सहायता देना
- जरूरत होने पर विशेषज्ञ चिकित्सक को बुलाना
- इलाज के दौरान होने वाले संभावित खतरे से मरीज या उसके परिजनों को सूचित करना तथा उनकी सहमति प्राप्त करना
- इंजेक्शन और दवाईयाँ देने में सावधानी बरतना
- मरीज की बीमारी के बारे में संबंधित तथ्य मरीज को या उसके परिजनों को बताना
- इलाज के दौरान मरीज से प्राप्त गोपनीय सूचना को गुप्त रखना
- खतरनाक और संक्रामक बीमारियों की सूचना उपयुक्तप्राधिकारियों को देना

चिकित्सीय लापरवाही

जब कोई मरीज किसी डॉक्टर के पास उपचार के लिए जाता है, तो इस विश्वास के साथ जाता है, कि डॉक्टर उसके इलाज में उचित सावधानी बरतेगा। यदि डॉक्टर अपने कर्तव्य पालन में कोई लापरवाही करता है, जिसके परिणामस्वरूप मरीज को कोई क्षति या हानि हो जाती है तो डॉक्टर को इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा।

लेकिन, यदि डॉक्टर उचित सतर्कता बरतते हुए चिकित्सा व्यवसाय में स्वीकार्य पद्धति से किसी मरीज का उपचार करता है और मरीज को किसी प्रकार की क्षति या हानि हो जाती है, तो भी डॉक्टर को उसके लिए जिम्मेदार नहीं माना जाएगा।

दूसरे, शब्दों में कहें तो डॉक्टर को किसी मरीज का इलाज करने में अपने ज्ञान और कौशल का इस्तेमाल करते हुए उचित सतर्कता बरतना आवश्यक है।

सतर्कता बरतना डॉक्टर की ड्यूटी

जब कोई व्यक्ति (डॉक्टर) किसी मरीज को चिकित्सा सेवा देने और उपचार करने को तैयार होता है तो वह अंतर्निहित रूप से निम्नलिखित वचन देता है कि :

- उसके पास उपचार के लिए उचित कौशल और ज्ञान है
- डॉक्टर की यह ड्यूटी है कि केस उसे लेना चाहिए या नहीं इस बात में सतर्कता बरते
- मरीज को क्या उपचार दिया जाए और उस उपचार को देने में सतर्कता बरतना भी डॉक्टर की ड्यूटी है
- इन ड्यूटियों में से किसी एक ड्यूटी का उलंघन मरीज को यह अधिकार देता है कि वह लापरवाही के लिए डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करे।

(लक्ष्मण बालकृष्ण जोशी बनाम त्रिम्बक बाबू गोंडबोले, ए. आई.आर. 1999 उच्चतम न्यायालय)

मरीज की देखभाल करना एक डॉक्टर का कानूनी कर्तव्य है। डॉक्टरी जाँच के समय मरीज व डॉक्टर के मध्य एक संविदा हो जाता है, कि मरीज का इलाज करने वाला डॉक्टर सावधानी बरतेगा। डॉक्टर द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन न किए जाने पर, होने वाली क्षति के लिए डॉक्टर उत्तरदायी होंगे। डॉक्टर को मरीज की देखभाल करने के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जब कोई व्यक्तिचिकित्सा सलाह देने और उपचार करने को तैयार हो जाता है तो वह एक तरह से वचन देता है, कि उसके पास इस हेतु कौशल व ज्ञान है तथा इसमें सतर्कता बरतना उसका कर्तव्य है। मरीज को क्या उपचार दिया जाएगा इस विषय पर सतर्कता बरतना भी इसमें सम्मिलित है। इसमें से किसी ड्यूटी का उल्लंघन मरीज को यह अधिकार प्रदत्त करता है, कि लापरवाही के लिए डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करे। न्यायालयों द्वारा किए गए विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट किया गया है कि एक डॉक्टर के लिए लापरवाही का क्या तात्पर्य है ? न्यायालय के अनुसार, कोई डॉक्टर केवल इसलिए लापरवाह नहीं माना जा सकता कि मरीज के साथ कोई अप्रिय घटना घट गयी। डॉक्टर को दोषी केवल तभी माना जाएगा जब उसमें एक कुशल चिकित्सक के स्तर की कमीं हो या उसने ऐसा काम किया हो, कि उसके सहयोगी यह कहें कि वास्तव में इस मामले में लापरवाही की गयी। डॉक्टर द्वारा लापरवाही किए जाने के संबंध में निम्न तथ्य हो सकते हैं :

- मरीज की उचित ढंग से जाँच पड़ताल करने में विफल होना
- गलत दवाईयाँ या इंजेक्शनन देना
- अपने सहायकों को स्पष्ट और उचित निर्देश देने में विफल होना तथा उन पर निगरानी न रख पाना
- मरीज का गलत ऑपरेशन कर देना

- गलत मरीज का ऑपरेशन करना
- बिना एलर्जी का पता लगाए मरीज को दवा देना
- गलत ढंग से एनैसथिसिया देना
- आपातकाल की स्थितियों से न निपट पाना, आदि।

अस्पताल एवं नर्सिंग होम की जिम्मेदारी

कोई अस्पताल एवं नर्सिंग होम, उनके अधीनस्थ कार्य कर रहे स्टाफ या डॉक्टर की लापरवाही होने पर, मरीज, डॉक्टर या संबंधित नर्सिंग होम से क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है। अस्पताल के उत्तरदायित्व को स्पष्ट करते हुए न्यायालय ने कहा है, कि ''जब कभी किसी अस्पताल में किसी मरीज को इलाज के लिए लिया जाता है तो उस मरीज के प्रति सतर्कता बरतना उसका कर्तव्य हो जाता है। मरीज के इलाज के संबंध में कई काम ऐसे होते हैं जिसे अस्पताल के सहायकों द्वारा किया जाता है, सहायकों द्वारा की गयी लापरवाही के लिए संबंधित व्यक्तिके साथ-साथ अस्पताल प्रशासन पूर्णतया जिम्मेदार होता है।''

डॉक्टर पर लगने वाले लापरवाही के आरोप समाप्त हो सकते हैं यदि उसने जो कार्य किया है वह अनुमोदित पद्धति से किया गया है। डॉक्टर द्वारा लापरवाही करने पर आपराधिक और सिविल दोनों प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 (क) के अन्तर्गत, आपराधिक लापरवाही के लिए किसी डॉक्टर को सजा दी जा सकती है। इसके अन्तर्गत जो कोई भी व्यक्ति आपराधिक मानव-वध की श्रेणी में आने वाला उतावलेपन या लापरवाही का कोई काम करके किसी व्यक्तिकी हत्या करता है, उसे दो साल तक के कारावास या जुर्माने या दोनों की सजा हो सकती है। यह संज्ञेय, जमानत योग्य और गैर समझौता योग्य है अर्थात -

संज्ञेय : अपराधी को किसी पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है।

योग्य : जिस व्यक्तिको गिरफ्तार किया जाता है वह जमानत पर छोडेघ्जाने का हकदार है।

गैर समझौता योग्य : इस अपराध में संदेहास्पद अपराधी और पीड़ित व्यक्तिया उसके प्रतिनिधि के बीच समझौता नहीं किया जा सकता ।

चिकित्सीय विशेषाधिकार

कानूनी तौर पर चिकित्सकों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं जो निम्नलिखित हैं :-

- चिकित्सीय दृष्टि से आवश्यक होने पर, यदि डॉक्टर को मरीज की हालत का आकलन करने के बाद यह विश्वास हो जाता है कि तथ्य का खुलासा करने से मरीज के जान को खतरा पहुँच सकता है तो वह मरीज से संबंधित तथ्य की सूचना देने से मना कर सकता है।
- आपातकाल की स्थिति में डॉक्टर इलाज की पद्धति और उसके स्वरूप से संबधित सूचना देने से मना कर सकता है।

विशेष

यदि कोई मरीज डॉक्टर पर विश्वास करके यह कहता है, कि उसकी बीमारी के बारे में किसी अन्य को न बताया जाय तो डॉक्टर सूचना को न प्रकट करने के अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर सकता है।

किसी सूचनीय बीमारी से पीड़ित मरीज के मामले में सहमति लेना आवश्यक नहीं है। जैसे- एड्स एच.आई.बी. के मरीजों के मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है, कि जब मरीज के होने वाले पति/पत्नी को एच.आई.बी. संक्रमण का खतरा हो तो डॉक्टर/अस्पताल की यह ड्यूटी होगी कि वह संबंधित व्यक्ति को खतरे की सूचना दे।

ऐसा न करने पर डॉक्टर/अस्पताल भारतीय दण्ड संहिता की धारा 269 और 270 के अंतर्गत अपराध के भागीदार माने जाएंगे।

चिकित्सा व्यवसाय को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की परिधि में लाने की संवैधानिक चुनौती

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के लागू होने से पूर्व उपभोक्ताओं की समस्याओं के प्रति समग्र दृष्टिकोण की कमीं थी। इस अधिनियम के लागू होने के पद्गचात उपभोक्ता न्यायालयों ने चिकित्सा सेवा में की गयी लापरवाही के सम्बन्ध में मरीजों या उनके प्रतिनिधियों से शिकायतें प्राप्त करना आरम्भ कर दीं। शिकायतकर्ताओं द्वारा उपभोक्ता न्यायालयों में विभिन्न दलीलें दी गयी, जैसे,- उनका मानना था कि अधिनियम के अन्तर्गत 'सेवा' शब्द का अर्थ यह है कि किसी प्रकार की ऐसी सेवा जो उसके संभावित प्रयोगकर्ता को उपलब्ध कराई जाती हैं। यह परिभाषा चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों पर भी लागू होने के लिए पर्याप्त है। शिकायतकर्ताओं की विभिन्न दलीलों पर न्यायालय ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की संवैधानिक वैधता को न्यायोचित ठहराया और व्यवस्था दी कि डॉक्टर/अस्पताल और नर्सिंग होम अधिनियम के दायरे में आते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम चिकित्सा व्यवसाय पर कोई अतिरिक्त दायित्व नहीं डालता। इस अधिनियम के पारित होने से पहले डॉक्टरों को सिविल न्यायालयों द्वारा डॉक्टरी लापरवाही के लिए क्षतिपूर्ति का जिम्मेदार माना जाता था।

चिकित्सा व्यवसाय को उपभोक्ता न्यायालयों की परिधि में लाने पर संबंधित व्यवसाय से जुड़े लोगों द्वारा आपत्ति जताई गयी और यह तर्क दिया गया, कि उपभोक्ता न्यायालयों के पास विशेषज्ञता नहीं है, इसलिए वे ऐसे मामलों पर निर्णय देने के लिए बाध्य नहीं हैं। उनका मानना था कि डॉक्टर आयुर्विज्ञान परिषदों के अनुशासनात्मक नियंत्रण में कार्य करते हैं और उन पर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद/राज्य आयुर्विज्ञान

परिषदों के तहत ही अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए, अतः उन्हें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में लाने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर एतराज दिखाते हुए उच्चतम न्यायालय ने इसे तर्कसंगत ढंग से नामंजूर कर दिया।

उपभोक्ता न्यायालयों में शिकायत दर्ज कराने के लिए आवश्यक बातें

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार, उपभोक्ता फोरम में मामला दर्ज कराने की लिए शिकायतकर्ता का उपभोक्ता होना आवश्यक है-

क्या चिकित्सा सेवा प्राप्त करने वाला प्रत्येक मरीज उपभोक्ता है ?

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति मूल्य देकर कोई वस्तु या सेवा प्राप्त करता है तो वह उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। अतः उपभोक्ता फोरम में वही व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकता है, जो मूल्य अदा करके चिकित्सा सेवा प्राप्त किया हो।

चिकित्सा सेवाओं को बात की जाए तो हम उसे प्रमुख तीन श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं

1. जहाँ हर मरीज पैसा खर्च करके चिकित्सीय सेवाएं प्राप्त करता है।
2. जहाँ सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।
3. जहाँ सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं, किन्तु उन सेवाओं के लिए कोई अन्य संस्था या व्यक्ति दान स्वरूप शुल्क देता है।

अतः पहले और तीसरे श्रेणी में आने वाले मरीज ही चिकित्सा सेवा में कमी या लापरवाही होने पर उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

इन 3 तरीकों से आप कर सकते हैं CBSE Board परीक्षा के साथ JEE Main 2018 की भी तैयारी

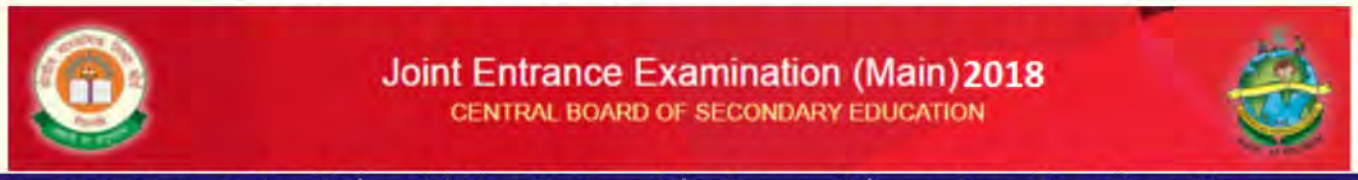

CBSE Board परीक्षा के दौरान जेईई मेन की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं छात्र. तीन बातों का हमेशा रखें खयाल.

दोनों सिलेबस का एक साथ रिवीजन कर सकते हैं छात्र

नई दिल्लीरू CBSE Board परीक्षा के ठीक बाद JEE Main 2018 की परीक्षा देना छात्रों के लिए एक चुनौती की तरह होता है. इस बार छात्रों को बोर्ड परीक्षा के अलावा जेईई परीक्षा की तैयारी के लिए ज्यादा समय नहीं मिल रहा है. ऐसे में छात्रों को बोर्ड परीक्षा के साथ ही जेईई की तैयारी करना होगा. आज हम आपको ऐसे ही 3 तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप बगैर किसी दिक्कत के बोर्ड परीक्षा के साथ ही जेईई की भी तैयारी कर सकेंगे.

सीबीएसई के सिलेबस को रिवाइज जरूर करें

बोर्ड परीक्षा की तैयारी के दौरान छात्र संबंधित विषय का रिवीजन करते ही हैं. छात्रों को चाहिए कि वह अपने रिवीजन के दौरान ही जेईई के सिलेबस का भी रिवीजन करें. ऐसा करने से आप एक ही समय पर दो परीक्षा के लिए अपनी तैयारी पूरी कर पाएंगे. अपनी तैयारी के दौरान आप तीनों विषय के प्रश्नपत्र को भी हल कर सकते हैं. कोशिश करें कि जेईई में पूछे गए प्रश्नों की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं.

समय निकाल कर मॉक टेस्ट जरूर दें

अपनी तैयारी को कम समय में बेहतर तरीके से पूरा करने का एक तरीका मॉक टेस्ट भी होता है. आप घर बैठे ही ऑनलाइन फ्री या कुछ पैसे देकर अलग-अलग विषय के लिए मॉक टेस्ट दे सकते हैं. कोशिश करें की हर दूसरे दिन आप एक मॉक टेस्ट दें. ऐसा करके आप एक ही समय पर दोनों परीक्षाओं के लिए तैयारी कर सकते हैं.

खुद को शांत रखना भी जरूरी

कई बार छात्र परीक्षा की तारीख के नजदीक आते ही काफी परेशान हो जाते हैं. उन्हें लगता है कि अब उनके पास कुछ ही समय बचा है. ऐसे में वह अपनी तैयारी को पूरी नहीं कर पाएंगे. यही वह समय होता है जब आप अपनी गलती से ही अपना नुकसान कर लेते हैं. परीक्षा की तारीख के नजदीक आते ही आपको परेशान होने की जगह शांत और पहले पढ़ी गई चीजों को दोहराने पर काम करना चाहिए.

ऐसा करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. परेशान होने की वजह से आप दुविधा की स्थिति में चले जाते हैं जिसका नुकसान आपको परीक्षा में होता है.

खबर न्यूज डेस्क, Updated : 13 फरवरी, 2018 11:25 AM

https://khabar.ndtv.com/news/career/cbse-board-exam-jee-main-2018-1812026

स्कूल बसों में GPS और CCTV जरुरी CBSE ने जारी की गाइडलाइंस

स्कूल बसों के लिए निर्देश जारी –

उत्तर प्रदेश में कुछ समय पहले स्कूल बस के एक्सिडेंट के बाद मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्कूल बसों को लेकर कुछ निर्देश दिए थे.

अब इन्हीं के आधार पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने स्कूल बसों के लिए गाइडलाइंस को रिवाइज किया है. ये गाइडलाइंस सीबीएसई से संबंधित स्कूलों के लिए हैं. ये बदलाव बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं. आप भी जानिए इन्हें...

- स्कूल बसों में GPS, CCTV कैमरा होना अनिवार्य है. और ये चालू हालत में होना चाहिए.
- स्पीड को कंट्रोल करने वाले सभी उपकरण बस में ठीक काम कर रहे हों.
- अधिकतम स्पीड लिमिट 40 किमी प्रति घंटा हो.
- बस की खिड़कियां ग्रिल से अच्छे तरीके से बंद होनी चाहिए.
- स्कूल बस में अलार्म बैल और सायरन होना चाहिए.
- ट्रेंड महिला अटेंडेंट बस में होनी चाहिए.
- एक ट्रांसपोर्ट मैनेजर भी बस में होना चाहिए.
- स्कूल बस में स्कूल को एक मोबाइल फोन रखना होगा जो इमरजेंसी में काम आएगा.
- बच्चों से ट्रांसपोर्ट सुविधा खासकर ड्राइवर के बारे में फीडबैक लिया जाएगा.
- यदि बस दुर्घटनाग्रस्घ्त होती है तो उसके लिए स्कूल मैनेजमेंट और स्कूल का प्रमुख पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे.
- स्कूलों को ये सुविधा देनी होगी कि हर स्कूल बस में एक पेरेंट हो, जो ड्राइवर और अन्य स्टाफ के बारे में फीडबैक दे.

aajtak-in [Edited By: Aarti Mishra]
New Delhi, 25th February 2017 --- Update : 11.59 IST
https://aajtak.intoday.in/education/story/cbse-guidlines-to-schools-for-school-buses-1-914263.html

कृपया
स्वच्छता
बनाये रखने में
सहयोग करें

CONSUMER RIGHTS ORGANISATION
CRO
INDIA
KNOW YOUR RIGHTS

कन्ज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन

NO FAKE NEWS :

टोल से गुजरने वाली गाड़ियां हर बार लें 12 घंटे की पर्ची : गडकरी?

इंटरनेट पर मैसेज वायरल हो रहा है कि टोल प्लाजा से गुजरते समय सिंगल या डबल साइड की पर्ची की जगह आप 12 घंटे की पर्ची लें।

इंटरनेट पर एक ऐसी खबर और मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया कि टोल प्लाजा से गुजरते समय सिंगल या रिटर्न जर्नी की पर्ची लेने की जगह आप 12 घंटे की पर्ची लें। नितिन गडकरी के मंत्रालय में आने वाले नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ने नया नियम निकाला है। इसके मुताबिक, अगर आप 12 घंटे में वापस आ जाते हैं तो रिटर्न का कोई टोल नहीं देना होगा। इससे हर महीने हजारों रुपए बचेंगे। DainikBhaskar.com इसी वायरल दावे को इन्वेस्टिगेट कर रहा है।

वायरल क्या हुआ?

- वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है, ''टोल प्लाजा पर पर्ची कटवाते समय खिड़की पर बैठा कर्मचारी पूछता है कि एक साइड की पर्ची दूं या दोनों साइड की, तो आप उन्हें कहें कि सिंगल या डबल की जगह 12 घंटे की पर्ची दो। अगर आप 12 घंटे में वापस आ सकते हैं तो आपका कोई टोल नहीं लगेगा। पर्ची पर भी समय लिखा होता है... निवेदक : नितिन गडकरी''
- इसी से जुड़े अन्य मैसेज में कहा जा रहा है कि नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ने टोल टैक्स को लेकर नया नियम जारी किया है। अब सिंगल-डबल के साथ ही टोल प्लाजा पर 12 घंटे की भी पर्ची मिलेगी। 12 घंटे में वापस आने पर आपको वापसी का टोल नहीं देना होगा। अब हर महीने हजारों रुपए बचेंगे।

हमारी इन्वेस्टिगेशन में सामने आई ये सच्चाई

- वायरल मैसेज में दावा नेशनल हाईवे ऑथोरिटी (NHAI) से जुड़ा है, इसलिए सच जानने के लिए हमने सबसे पहले NHAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर इससे जुड़ा नोटिफिकेशन सर्च किया। लेकिन वहां हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली।
- इन्वेस्टिगेशन के दौरान काफी खोजने के बाद हमें NHAI की ओर जारी 2017-18 का टोल प्लाजा यूजर फीस एग्रीमेंट लेटर मिला। इस लेटर में सिंगल जर्नी, मल्टीपल जर्नी और मंथली पास के किराए के बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन इसमें 12 घंटे की टोल पर्ची के बारे में कुछ नहीं लिखा था।

- फिर हमने वायरल दावे को लेकर NHAI प्रोजेक्ट डायरेक्टर विजय शर्मा से बात की। उन्होंने बताया कि वायरल मैसेज में किया जा रहा 12 घंटे की पर्ची वाला दावा बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई नियम नहीं है। टोल प्लाजा से गुजरने वाली गाड़ियों से सिर्फ तीन तरह के चार्ज ही लिए जाते हैं, सिंगल, मल्टीपल/डबल और मंथली पास।
- NHAI प्रोजेक्ट डायरेक्टर के मुताबिक, टोल प्लाजा से वाहन क्रॉस होते ही सिंगल ट्रिप वाली पर्ची की वैधता खत्म हो जाती है। वहीं, मल्टीपल ट्रिप की पर्ची 24 घंटे के अंदर आने-जाने के लिए होती है। मल्टीपल पर्ची का किराया सिंगल ट्रिप से करीब डेढ़ गुना होता है। NHAI यूजर फीस एग्रीमेंट में 12 घंटे जैसी कोई भी पर्ची नहीं होती है।
- इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें ये भी पता चला कि एक ट्रक ड्राइवर के इस संबंध में वीडियो अपलोड करने के बाद से ही ये झूठा मैसेज वायरल होने लगा है।

Last Modified & Sep 08] 2017] 06:03 AM IST

https://www.bhaskar.com/news/NFN-reality-check-of-nhai-toll-plaza-single-trip-toll-tax-slip-valid-for-12-hours-5689160-PHO.html

उपभोक्ता अधिकार

प्रत्येक व्यक्ति एक उपभोक्ता है, चाहे उसका व्यवसाय, आयु, लिंग, समुदाय तथा धार्मिक विचार धारा कोई भी हो। उपभोक्ता अधिकार और कल्याण आज प्रत्येक व्यक्तिके जीवन का अविभाज्य हिस्सा बन गया है और हमने अपनी दैनिक जीवन में इस सभी का कहीं न कहीं उपयोग किया है। प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को ''विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस'' मनाया जाता है। यह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी द्वारा की गई एक ऐतिहासिक घोषणा में बताया गया था, जिसमें चार मूलभूत अधिकार बताए गए हैं।

- सुरक्षा का अधिकार
- सूचना पाने का अधिकार
- चुनने का अधिकार
- सुने जाने का अधिकार

इस घोषणा से अंततः यह तथ्य अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्य हुआ कि सभी नागरिक, चाहे उनकी आय या सामाजिक स्थिति कोई भी हो उन्हें उपभोक्ता के रूप में मूलभूत अधिकार हैं। 9 अप्रैल 1985 एक अन्य उल्लेखनीय दिवस है जब संयुक्त राष्ट्र की महा सभा द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों का एक सैट अपनाया गया और संयुक्त राष्ट्र के महा सचिव को नीति में बदलाव या कानून द्वारा इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को अपनाने के लिए सदस्य देशों से बातचीत करने का अधिकार दिया गया। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों ने एक व्यापक नीति रूप रेखा का गठन किया जिसमें निम्नलिखित क्षेत्रों में उपभोक्ता संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यो की जरूरत की जानकारी दी गई।

- भौतिक सुरक्षा
- उपभोक्ता के आर्थिक हितों की सुरक्षा और प्रोत्साहन
- उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की सुरक्षा तथा गुणवत्ता के लिए मानक
- राहत पाने के लिए उपभोक्ताओं को सक्षम बनाने हेतु साधन
- विशिष्ट क्षेत्रों (भोजन, पानी और दवाएं) से संबंधित साधन और
- उपभोक्ता शिक्षा और सूचना कार्यक्रम

अब यह सभी जगह स्वीकार कर लिया गया है कि उपभोक्ता को अधिकार है कि उसे शोषण से बचने के लिए सभी संगत जानकारियां प्रदान की जाए और बाजार से उत्पाद या सेवाएं लेते समय उसे पर्याप्त विकल्प प्रदान किए जाएं। ये अधिकार राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय दोनों ही मंचों पर सुपरिभाषित हैं तथा सरकार के समान अनेक अभिकरण और

स्वयं सेवी संगठन नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य करते हैं।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस

मुख्य लेख : राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस

भारत में 24 दिसंबर के दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, जिसे इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को लागू किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य सहित संयुक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर 1986 में लागू किया गया था। इस अधिनियम में मुख्यतः दंडात्मक या निवारणात्मक मार्ग के स्थान पर शोषण और अनुचित रूप से लेनदेन के विभिन्न प्रकारों के खिलाफ उपभोक्ताओं को प्रभावी सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है जब तक कि इसे विशेष रूप से छूट न दी जाएं और इसमें तीव्र तथा कर्म खर्चीले न्ध्याय मार्ग के लिए निजी, सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्रों को शामिल किया जाता है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत अधिकार भारत के संविधान की धारा 14 से 19 बीच अधिकारों से आरंभ होते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, जिससे हमारे देश में शासन प्रक्रिया में एक खुलापन आया है और साथ ही इसमें अब उपभोक्ता संरक्षण के लिए दूरगामी निहितार्थ शामिल हैं। अधिनियम के अनुसार 'उपभोक्ता' को निम्नानुसार परिभाषित किया है :

- कोई व्यक्ति जो विचार हेतु सामान हेतु खरीदता हैं और कोई व्यक्ति जो बिक्री करने वाले की अनुमति से इन वस्तुओं का उपयोग करता है।
- कोई व्यक्ति जो विचार हेतु कोई सेवा किराए पर लेता है और इन सेवाओं के कोई लाभार्थी, बशर्ते कि सेवा का लाभ उस व्यक्ति के अनुमोदन से लिया गया है जिसने विचार हेतु सेवाएं

किराए पर ली थीं।

इसके अलावा किसी ऐसी वस्तु या सेवा को विचार में लेना जिसके लिए या तो भुगतान किया गया है अथवा इसका वचन दिया गया हैं या आंशिक भुगतान किया गया है अथवा वचन दिया गया है अथवा इसे एक आस्थगित भुगतान की प्रणाली के तहत प्रदान किया गया है।

इस अधिनियम में उपभोक्ताओं के निम्नलिखित अधिकारों के प्रवर्तन और संरक्षण की कल्पना की गई है ।

सुरक्षा का अधिकार

इसका अर्थ है वस्घ्तुओं और सेवाओं के विपणन के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना, जो जीवन और सम्पत्ति के लिए जोखिम पूर्ण है। खरीदी गई वस्तुएं और सेवाएं न केवल तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें बल्कि इनसे दीर्घ अवधि हितों की पूर्ति भी होनी चाहिए। खरीदने से पहले उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं की गुणवत्ता पर जोर दिया जाना चाहिए और साथ ही उत्पाद तथा सेवाओं की गारंटी पर बल दिया जाना चाहिए। उन्हें वरीयत गुणवत्ता चिन्ह वाले उत्पाद खरीदने चाहिए जैसे आईएसआई, एग मार्क आदि।

सूचना पाने का अधिकार

इसका अर्थ है वस्तुओं की मात्रा, गुणवत्ता, शक्ति, शुद्धता, स्तर और मूल्य के बारे में जानकारी पाने का अधिकार है ताकि अनुचित व्यापार प्रथाओं के विरुद्ध उपभोक्ता को सुरक्षा दी जा सके। उपभोक्ता द्वारा एक उत्पाद या सेवा के बारे में सभी जानकारी पाने पर बल दिया जाना चाहिए ताकि वह एक निर्णय या विकल्प के पहले इस पर विचार कर सकें। इससे उसे बुद्धिमानी और जिम्मेदारी से कार्य करने की क्षमता मिलेगी तथा वह उच्च दबाव वाली बिक्री तकनीकों का शिकार बनने से बच सकेगा।

चुनने का अधिकार

इसका अर्थ है आश्वस्त होने का अधिकार, जहाँ भी प्रतिस्पर्धी कीमत पर वस्तुओं और सेवाओं की किस्मों तक पहुंचना संभव हो। जहां किसी का एकाधिकार है, इसका अर्थ है संतोषजनक गुणवत्ता और सेवा का आश्वासन उचित मूल्य पर पाना। इसमें मूलभूत वस्तु और सेवाओं का अधिकार भी शामिल है। इसका कारण है अल्पसंख्यक वर्ग को चुनाव का अबाधित अधिकार देना ताकि वे इसके बड़े हिस्से में बड़े वर्ग को अस्वीकार कर सके। इस अधिकार का उपयोग प्रतिस्पर्धी बाजार में बेहतर रूप से किया जा सकता है, जहां अनेक प्रकार की वस्तुए प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध्ध हैं।

सुने जाने का अधिकार

इसका अर्थ है उपभोक्ताओं के हितों पर उपयुक्त मंचों में पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा। इसमें उपभोक्ता कल्याण पर विचार करने हेतु गठित विभिन्न मंचों में अधिकारों का प्रतिनिधित्व भी शामिल है। उपभोक्ताओं द्वारा गैर राजनैतिक और गैर वाणिज्यक उपभोक्ता संगठन बनाए जाने चाहिए, जिन्हें सरकार और उपभोक्ताओं से संबंधित अन्य मामलों में निकायों द्वारा गठित विभिन्न समितियों में प्रतिनिधित्व दिया जा सके।

विवाद सुलझाने का अधिकार

इसका अर्थ है अनुचित व्यापार प्रथाओं या उपभोक्ताओं के गलत शोषण के विरुद्ध विवाद सुलझाने का अधिकार। इसमें उपभोक्ता की वास्तविक शिकायतों के उचित निपटान का अधिकार भी शामिल है। उपभोक्ताओं द्वारा अपनी वास्तविक शिकायतों के लिए शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिए। कई बार शिकायत बहुत कम कीमत की होती है। समाज पर समाज पर कुल मिलाकर इसका गहरा प्रभाव होता है। इसमें उपभोक्ता संगठनों की सहायता से भी अपनी शिकायतों का निपटान किया जा सकता है।

उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार

इसका अर्थ है पूरे जीवन उपभोक्ता को सूचित बने रहने का ज्ञान और कुशलता अर्जित करने का अधिकार। उपभोक्ताओं की उपेक्षा, विशेष रूप से ग्रामीण उपभोक्ताओं की, यह उनके शोषण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। उन्घ्हें अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए तथा इनका उपयोग अवश्य करना चाहिए। केवल तभी वास्तविक उपभोक्ता सुरक्षा सफलता पूर्वक प्राप्त की जाती है।

इस प्रकार उपभोक्ता संरक्षण की चिंता उचित व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करने के साथ, वस्तुओं की गुणवत्ता और सूचित उपभोक्ता सहित प्रभारी सेवाओं से जुड़ी है जिन्हें अपनी रुचि की वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, बनावट और मूल्य की जानकारी हो। एक ऐसी उपभोक्ता संरक्षण नीति ऐसे परिवेश का सृजन करती है जिसके द्वारा ग्राहक और उपभोक्ता उनके लिए आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति से संतोष प्राप्त करते हैं।

उपभोक्ताओं की परेशानियाँ

बढ़ते बाजारवाद के दौर में उपभोक्ता संस्कृति तो देखने को मिल रही है, लेकिन उपभोक्ताओं में जागरूकता की कमी है। आज हर व्यक्ति उपभोक्ता है, चाहे वह कोई वस्तु खरीद रहा हो या फिर किसी सेवा को प्राप्त कर रहा हो। दरअसल, मुनाफाखोरी ने उपभोक्ताओं के लिए कई तरह की परेशानियां पैदा कर दी हैं। वस्तुओं में मिलावट और निम्न गुणवत्ता की वजह से जहां उन्हें परेशानी होती है, वहीं सेवाओं में व्यवधान या पर्याप्त सेवा न मिलने से भी उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि भारत सरकार कहती है, जब आप पूरी कीमत देते हैं तो कोई भी वस्तु वजन में कम न लें। बात सही है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए कानून है। यह स्लोगन सरकारी दफ्तरों में देखने को मिल जाएगा। सरकार ने उपभोक्ताओं को संरक्षण देने के लिए कई कानून बनाए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद उपभोक्ताओं से पूरी कीमत

वसूलने के बाद उन्हें सही वस्तुएं और वाजिब सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं।

उपभोक्ताओं की कुछ परेशानियाँ

- सेहत के लिए नुकसानदेह पदार्थ मिलाकर व्यापारियों द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट करना या कुछ ऐसे पदार्थ निकाल लेना, जिनके कम होने से पदार्थ की गुणवत्ता पर विपरीत असर पड़ता है, जैसे दूध से क्रीम निकाल कर बेचना।
- टेलीविजन और पत्र-पत्रिकाओं में गुमराह करने वाले विज्ञापनों के जरिये वस्तुओं तथा सेवाओं का ग्राहकों की मांग को प्रभावित करना।
- वस्तुओं की पैकिंग पर दी गई जानकारी से अलग सामग्री पैकेट के भीतर रखना।
- बिक्री के बाद सेवाओं को अनुचित रूप से देना।
- दोषयुक्त वस्तुओं की आपूर्ति करना।
- कीमत में छुपे हुए तथ्य शामिल होना।
- उत्पाद पर गलत या छुपी हुई दरें लिखना।
- वस्तुओं के वजन और मापन में झूठे या निम्न स्तर के साधन इस्तेमाल करना।
- थोक मात्रा में आपूर्ति करने पर वस्तुओं की गुणवत्ता में गिरावट आना।
- अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) का गलत तौर पर निर्धारण करना।
- एमआरपी से ज्यादा कधीमत पर बेचना।
- दवाओं आदि जैसे अनिवार्य उत्पादों की अनाधिकृत बिक्री उनकी समापन तिथि के बाद करना।
- कमजोर उपभोक्ताएं सेवाएं, जिसके कारण उपभोक्ता को परेशानी हो।
- बिक्री और सेवाओं की शर्तों और निबंधनों का पालन न करना।
- उत्पाद के बारे में झूठी या अधूरी जानकारी देना।
- गारंटी या वारंटी आदि को पूरा न करना।

उपभोक्ताओं के अधिकार

- जीवन एवं संपत्ति के लिए हानिकारक सामान और सेवाओं के विपणन के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार।
- सामान अथवा सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, स्तर और मूल्य, जैसा भी मामला हो, के बारे में जानकारी का अधिकार, ताकि उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार पद्धतियों से बचाया जा सके।
- जहां तक संभव हो उचित मूल्यों पर विभिन्न प्रकार के सामान तथा सेवाओं तक पहुंच का आश्वासन।
- उपभोक्ताओं के हितों पर विचार करने के लिए बनाए गए विभिन्न मंचों पर प्रतिनिधित्व का अधिकार।
- अनुचित व्यापार पद्धतियों या उपभोक्ताओं के शोषण के विरुद्ध निपटान का अधिकार।
- सूचना संपन्न उपभोक्ता बनने के लिए ज्ञान और कौशल प्राप्त करने का अधिकार।
- अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने का अधिकार।

माप-तोल के नियम

- हर बांट पर निरीक्षक की मुहर होनी चाहिए।
- एक साल की अवधि में मुहर का सत्यापन जरूरी है।
- पत्थर, धातुओं आदि के टुकड़ों का बांट के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता।
- फेरी वालों के अलावा किसी अन्य को तराजू हाथ में पकड़ कर तोलने की अनुमति नहीं है।
- तराजू एक हुक या छड़ की सहायता से लटका होना चाहिए।
- लकड़ी और गोल डंडी की तराजू का इस्तेमाल दंडनीय है।
- कपड़ा मापने के मीटर के दोनों सिरों पर मुहर होनी चाहिए।
- तेल एवं दूध आदि के मापों के नीचे तल्ला लटका हुआ नहीं होना चाहिए।
- मिठाई, गिरीदार वस्तुओं एवं मसालों आदि की तुलाई में डिब्बे का वजन शामिल नहीं किया जा सकता।
- पैकिंग वस्तुओं पर निर्माता का नाम, पता, वस्तु की शुद्ध तोल एवं कीमत कर सहित अंकित हो। साथ ही पैकिंग का साल और महीना लिखा होना चाहिए।
- पैकिंग वस्तुओं पर मूल्य का स्टीकर नहीं होना चाहिए।

Convenience Products

Registration No. 217/4/3410

CONSUMER RIGHTS ORGANISATION

Regd. Office : T-510/15-E-12, Baljeet Nagar (BNB-0404), New Delhi - 110008
Head Office : 204, 2nd Floor, Ganpati Complex, Rangpur Rd., Nr. Flyover, Kota - 324002
E-Mail : info@croindia.org | Website : www.croindia.org
+91-94720-89412 +91-97998-73495

KNOW YOUR RIGHTS

JAGO GRAHAK JAGO

STATE / DISTT. OFFICE :

Paste Your Passport Size Latest Photograph

MEMBERSHIP FORM

Membership No. _____

I want to take the Membership of The Consumer Rights Organisation for which I am depositing the **Non-Refundable Membership Fee Rs. 1000/-**. There for, Kindly register me as Membership of the Organisation.

I here by declare that I am ready to abide by the rules and sub of the Consumer Rights Organisation in their present/current form or when they are updated from time to time. The Information given by me in this form is correct & I am wholly responsible for its correctness. I shall be responsible for unconstitutional or anti social work committed by me. I promise to be loyal to wards the mission of the Organisation and would follow all those rules and regulations that are given to me by Organisation to fulfill its mission. Automatically termination in case of any anti organisation activities / criminal / forgeries found against you.

The necessary details related me are as follows.

1. Name _____ ☐ Male ☐ Female
2. Father's / Husband Name _____
3. Address _____
   City _____ State _____ PIN _____ Mobile _____ / WA _____
4. Date of Birth ____/____/_____ E-Mail _____
5. Qualification _____ Enclosed ID - ☐ Voter ID ☐ AADHAR ☐ DL ☐ OTHERS
6. AADHAR CARD NO. _____
7. Rupees **1000/-** Membership _____ Blood Group _____

Date : ____/____/_____ Signature

RECOMMENDATION BY :

NAME _____ POST _____ MOBILE NO. _____

FOR - POST / MEMBER _____ SIGNATURE _____

Registration No. 217/4/3410

CONSUMER RIGHTS ORGANISATION

Regd. Office : T-510/15-E-12, Baljeet Nagar (BNB-0404), New Delhi - 110008
Head Office : 204, 2nd Floor, Ganpati Complex, Rangpur Rd., Nr. Flyover, Kota - 324002
E-Mail : info@croindia.org | Website : www.croindia.org

KNOW YOUR RIGHTS

JAGO GRAHAK JAGO

ACKNOWLEDGMENT SLIP

Name _____ Amount **1000/-**

Address _____ City _____ State _____

Date : ____/____/_____ Receiver Signature

Best Wishes

Mr. Devkaran Makran
STATE PRESIDENT
Chhattisgarh

CONSUMER RIGHTS ORGANISATION
CRO
INDIA
KNOW YOUR RIGHTS

Mr. Balram Nishad
DISTT. PRESIDENT
Gariyaband (Chhattisgarh)

CONSUMER RIGHTS ORGANISATION

Call us : +91 84321 22280

HANDMADE PAPER : THE POTENTIAL CATALYTIC ROLE IN SWATCCH BHARAT MISSION AND DEVELOPMENT OF SMART CITIES

Swatch Bharat Mission

"Swachh Bharat Mission/Abhiyaan" which has been recently launched by the Hon'ble Prime Minister of India, Shri Narendra Modi on 2nd October, 2014 aims to achieve Swachh Bharat by 2019, as a fitting tribute to the 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi.

The Swatch Bharat Mission targets an improvement in the levels of cleanliness in rural areas through Solid and Liquid Waste Management activities and making Gram Panchayats Open Defecation Free (ODF), clean and sanitized while on the other hand it is aimed at utilization of cleaner production techniques, environmental friendly disposal of industrial wastes and every possible effort for pollution free existence of people in the clean urban areas. Thus, we have to actually make our country green and clean in every aspect, and then only we shall be able to realize the dream of "SWATCH BHARAT" in the truest sense of its meaning.

Urbanization : Significance in Swatch Bharat Mission

India which is a home to 1.21 billion people contributes to about one-sixth of the world's population. As the global population continues to grow at a steady pace, more and more people are moving to cities every single day. Experts predict that the world's urban population will double by 2050 - which means we are adding the equivalent of seven New Delhi Cities to the planet every single year. Urbanization accompanies economic development. As countries move from being primarily agrarian economies to industrial and service sectors, they also urbanize. This is because urban areas provide the agglomerations that the industrial and service sectors need. This trend of urbanization continues to take place as seen in figure-1.

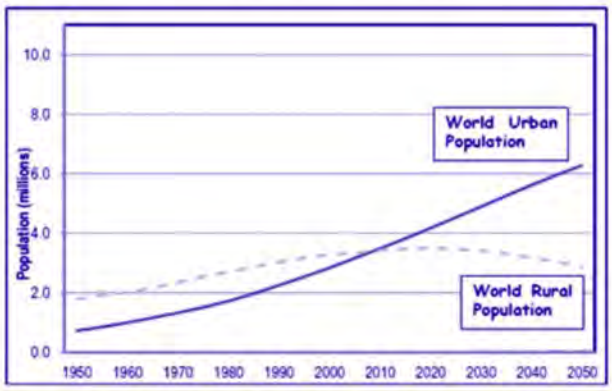

Figure-1: Growing Trend of Urbanization

In fact, 90 percent of the world's urban population growth will take place in developing countries, with India taking a significant share of that. Urban areas also contribute a higher share of the GDP. The share of the GDP from urban areas in India has been growing, as seen in the figure-2.

Figure-2: Urban Share of GDP in India

Urban population contributes over 60 percent of India's GDP and will contribute 70 percent of the national GDP in the next 15 years. It is for this reason that cities are referred to as the 'engines of economic growth' and ensuring that they function as efficient engines is critical to our economic development. This trend of urbanization that is seen in India over the last few decades will continue for some more time. The global experience is that a country's urbanization upto a 30 percent level is relatively slow but the pace of urbanization speeds up thereafter, till it reaches about 60-65 percent. With an urban population of 31 percent, India is at a point of transition where the pace of urbanization will speed up. It is for this reason that we need to plan our urban areas well and cannot wait any longer to do so. The relatively low base allows us to plan our urbanization strategy in the right direction by taking advantage of the latest developments in technology. Moreover, it also offers us an opportunity to create a conducive environment for creation of employment opportunities and economic activities while improving the quality of life. It allows an opportunity to learn from good practices and mistakes made elsewhere. Countries have taken different paths to development as seen from the income Vs energy consumption graph as given in figure-3.

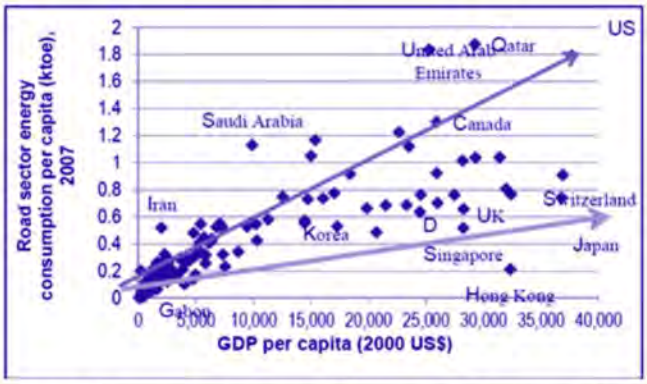

Figure-3: Income Vs. Energy Consumption Pattern of the World

DEVELOPMENT OF SMART CITIES IN INDIA

Looking into the growing trend of urbanization and its significance for the Swatcch Bharat Mission, the Government of India has decided to develop 100 Smart Cities in the country. Accordingly, in his Budget Speech of July, 2014, the Finance Minister, Shri Arun Jaitley stated "As the fruits of development reach an increasingly large number of people, the pace of migration from the rural areas to the cities is increasing. A neo middle class is emerging which has the aspiration of better living standards. Unless, new cities are developed to accommodate the burgeoning number of people, the existing cities would soon become unlivable. The Prime Minister has a vision of developing 'one hundred Smart Cities', as satellite towns of larger cities and by modernizing the existing mid-sized cities".

SMART CITIES : CONCEPT

Smart Cities are those which have smart (intelligent) physical, social, institutional and economic infrastructure. Essentially, its **Institutional Infrastructure** (including Governance), **Physical Infrastructure** and **Social Infrastructure** constitute the three pillars on which a city rests. The center of attention for each of these pillars is the citizen. So, a Smart City works towards ensuring the best for its entire people, regardless of social status, age, income levels, gender, etc.

It is expected that such a Smart City will generate options for a common man to pursue his/her livelihood and interests meaningfully. In this context:

- **Competitiveness** refers to a city's ability to create employment opportunities, attract investments and people. The ease of being able to do business and the quality of life it offers determines its competitiveness.
- **Sustainability** includes social sustainability, environmental sustainability and financial sustainability.
- **Quality of Life** includes safety and security, inclusiveness, entertainment, ease of seeking and obtaining public services, cost efficient healthcare, quality education, and opportunities for participation in governance.

Six major characteristics have been identified for Smart Cities as shown in figure-4.

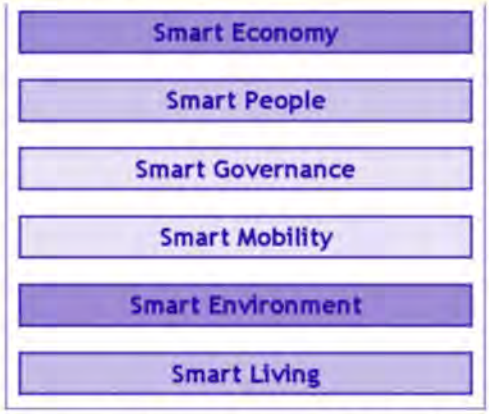

Figure-4: Characteristics of a Smart City

Smart Economy: includes factors all around economic competitiveness as innovation, entrepreneurship, trademarks, productivity and flexibility of the labour market as well as the integration in the (inter-)national market.

Smart People is not only described by the level of qualification or education of the citizens but also by the quality of social interactions regarding integration and public life and the openness towards the "outer" world.

Smart Governance comprises aspects of political participation, services for citizens as well as the functioning of the administration.

Smart Mobility Local and international accessibility are important aspects of smart mobility as well as the availability of information and communication technologies and modern and sustainable transport systems.

Smart Environment is described by attractive natural conditions (climate, green space etc.), pollution, resource management and also by efforts towards environmental protection.

Smart Living comprises various aspects of quality of life as culture, health, safety, housing, tourism etc.

Various initiatives are being taken by the Government of India to convert 100 Cities into Smart Cities. The real challenge before the Government is to build inclusive smart cities for all its residents, irrespective of whether they are rich or poor. In a country like India, the process of making a city smart should be people centric. The idea should be to make cities work for the people.

Significance of Sustainable Technologies for Smart Cities

in Indian Context

As per the latest definitions of smart cities "The rudiments of what constitutes a Smart Sustainable City which we define as a city in which ICT is merged with traditional infrastructures, coordinated and integrated using new digital technologies." A Smarter City uses technology to transform its core systems and optimize finite resources. At the highest levels of maturity, a Smarter City is a knowledge-based system that provides real-time insights to stakeholders, as well as enabling decision-makers to proactively manage the city's subsystems. Effective information management is at the heart of this capability, and integration and analytics are the key enablers.

As per the CSTEP report'2015, the notions of sustainability largely encompass the larger goals of a smart city, Technology is an important enabler in attaining sustainability and good governance in a city, There is no 'one size fits all' model for smart cities that can be adopted in India, There is a critical need for contextualizing various aspects of smart city development, which is an opportunity for India to chart its own path towards smart city development. Replication of other's attempts towards smart cities needs to be carefully examined, especially in a country like India with an extremely diverse social and human development canvas, and with growing constraints in critical resources such as land, water, energy, finance. As India gets prepared to embrace a more urbanised future, it becomes extremely crucial to build the right smart city development model while being cognisant of the negative externalities.

The suggested definition of a smart city in the Indian context is "***A Smart City would be the one which plans judiciously to meet its aspirations and challenges in a sustainable manner while fostering principles of good governance. These are achieved in a Smart City by utilising the enhanced power of technology, engaging with a more aware and informed citizenry and creating a more competent and capacitated set of people working within an accountable framework***" (Figure 5).

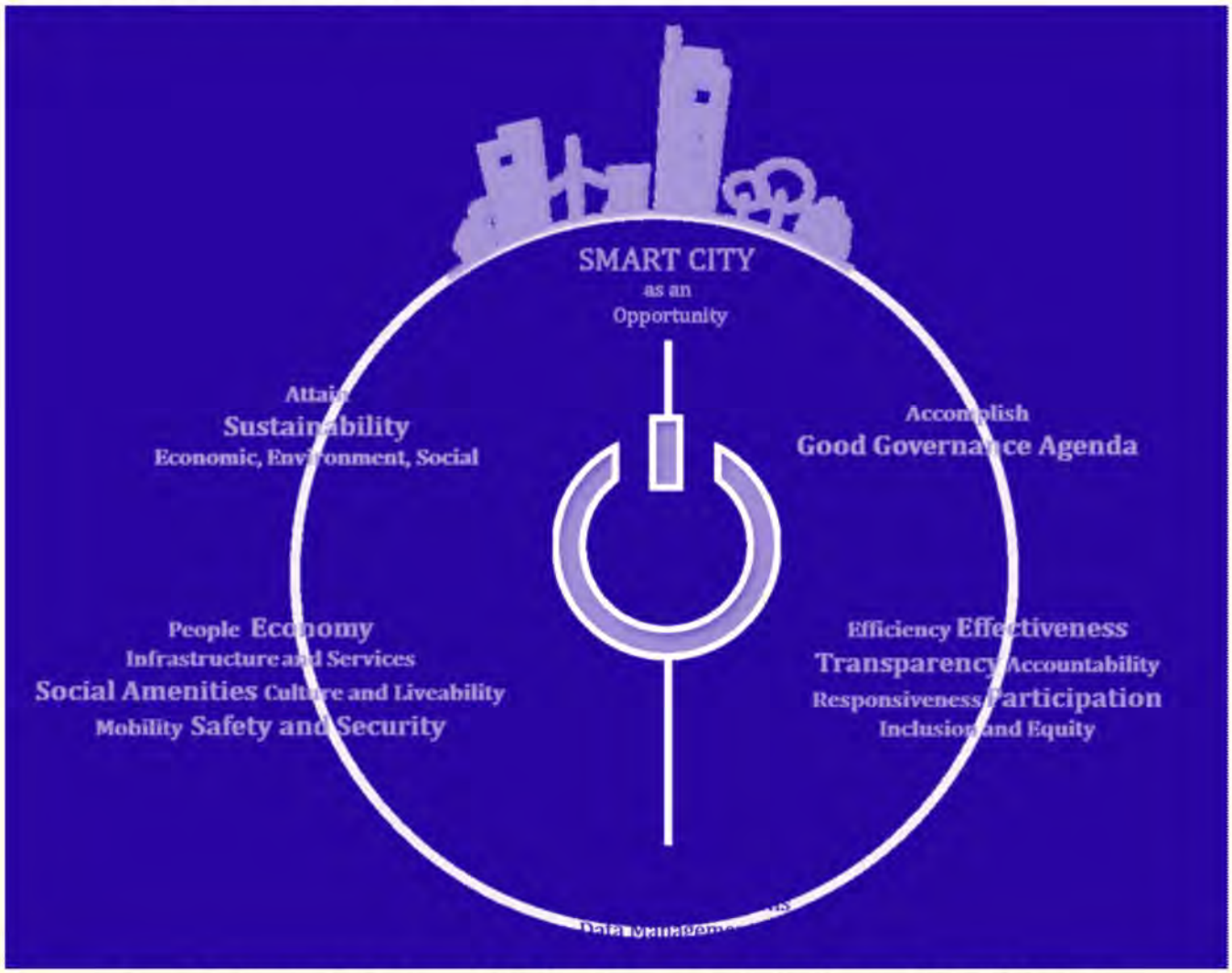

Figure 5: Approach for Smart City Development in India | Source: CSTEP Analysis

HANDMADE PAPER: A POTENTIAL CATALYST OF SWATCH BHARAT MISSION AND SMART CITY DEVELOPMENT

In the specific context of Swatcch Bharat Mission and the Development of Smart Cities, Handmade paper can play a very important catalytic role due to its ecofriendly credentials and decentralized method of production. For this, we should make rigorous mass-campaign activity for creating interest and awareness about handmade paper and should also emphasize on recycling of waste papers because such recycling can play a very important role in addressing the problems of deforestation and global warming besides bringing cleanliness in the society.

Handmade paper is one of the socially responsible products because it is the tree-free, cleanly produced, environmental friendly product. The production of handmade paper and the paper itself is a socially responsible process and the product as well in the truest sense of its meaning. This is because the Handmade papermaking neither utilizes the woody, forest based raw materials nor it uses the toxic, harmful chemicals. The raw materials used for its production include cotton rags/tailor cuttings/hosiery waste besides the waste paper (shredded currency waste/old news print waste/ magazine waste etc.) and the natural fibers comprising of a range of ligno-cellulosic waste materials (banana fiber, jute, Ankara etc.) available in plenty in different regions of the country.

Manufacturing of handmade paper generates employment for both men and women, ensures better income distribution and earns valuable foreign exchange through exports. The handmade paper units can be established particularly for lower income groups and for those who are below poverty line (bpl) through cooperative societies or communities in the rural areas. Among the main advantages of hand papermaking are low input requirements for day-to-day management, low capital cost, flexibility in production of different papers and higher price obtainable for the paper produced by converting it into value-added products.

It is very unfortunate situation of our country that due to the high cost involved in segregation of the waste generated/ collected, recycled paper mills of India prefer importing waste paper from other countries to the domestic waste paper and this practice ultimately adds to the contagious problems like Swine Flu. So, if we develop the practice of segregating our waste at the source itself, this ironic situation may be improved. Further, proper waste disposal/ management practices would also contribute towards the great dream of "SWATCH BHARAT ABHIYAN".

Since children are the future citizens of India, we should focus on the school/college/university students so that they can become the Brand Ambassadors of such activity. All the schools/colleges may be motivated to involve their children in the segregated disposal, collection and recycling of waste papers generated in their campus. The various Govt. offices may be moved to utilize office stationery produced from recycled waste paper.

As far as the benefits of handmade paper industry and society are concerned, the proposed actions will ultimately result into the sustainable development of our country. Because promotion of recycling practices help in reducing solid waste generation, reducing deforestation (as 27 eucalyptus trees are required for producing one MT of paper), pollution and global warming problems. The recycled handmade papers may be utilized for making carry bags/ paper bags to replace the polythenes. The innovative designing inputs of the young students may help in producing excellent products of handmade paper. This may further be exported to different countries and may also be promoted in domestic market. The children will themselves ask their parents to use them and thereby may contribute to "**Swatch Bharat Abhiyan**" in a very big way.

This proposed range of activities will also help in upliftment of the handmade paper industry and the machinery manufacturers. Demand of handmade paper will rise and this will ultimately reflect into the increased benefit levels. Development and adoption of biotechnological applications in handmade paper sector will surely improve its ecofriendly credentials.

This way, introduction, production and utilization of handmade paper/ recycled paper may not only help in contributing to the Swatcch Bharat Mission but it may also help in bringing smartness to the urban areas. Apart from this, the rural areas may also be involved in making

handmade papers through utilization of the locally available lignocellulosic raw materials available in their respective areas with the incorporation of cleaner production techniques particularly the biotechnology and thus Model Villages may also be developed.

So, there needs to be a departure in the way technology is being portrayed as the panacea of all urban ills. It is in fact an important enabler, which can yield the desired results only when applied in a context-specific manner. *Collective vision, supportive policy instruments and domestic stability are equally important in achieving smartness in a city through technology. The cleanliness will surely come along.*

Therefore, the catalytic role of handmade paper should be understood properly and all the necessary efforts should be made to exploit all the potentials involved thereby.

REFERENCES

- Final report on "Smart cities- Ranking of European medium sized cities" Centre of Regional Science, Vienna University of Technology, Vienna, Austria, Oct.2007: 10-12.
- India. Ministry of urban deployment, Draft concept note on smart cit scheme.
- Budget speech of the Finance Minister, Shri Arun Jaitley, dated 10.7.2014.
- Bhattachrya,S. , Rathi,S., Patro,S.A. and Tepa,N. (2015) "Reconceptualizing smart cities: A reference framework for India" Centre for Study of Science, Technology and Policy (CSTEP), A Policy Think Tank Based in Bangaluru, Karnataka.
- http://indiansmartcities.in/site/index.aspx
- Chauhan,S., Sharma, A.K. and Kumar,A. (2015) "Scope for conversion of Handmade paper for rural employment and income generation" SHANKHNAD, Souvenir published during the golden jubilee celebration of SNEHPAD-Society for North-East Handmade Paper Development, Jorhat, Assam. pp. 35-45.
- Chauhan, S. and Sharma, A.K. (2012) "KNHPI-Towards Production and Promotion of Socially Responsible Products" SR (Social Responsibilty) Asia Journal, Inaugural issue brought out in Oct'2012: 20-26.

ANITA CHAUHAN

Chairperson, Indian Society for Training and Development (ISTD), Kota Chapter, Director Kota Gyan Dwar Education Society

पेट्रोल डीजल पर सरकारी मार

आम उपभोक्ता परेशान

आम उपभोक्ता पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से सकपकाया हुआ हैं। रोज-रोज पेट्रोल डीजल के दामों में बदलाव से आम आदमी की जीवन चर्या में बदलाव आना लाजमी है. वह समझ नहीं पा रहा है की आखिर सरकार चाहती क्या हैं. जब से सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों का डीकंट्रोल किया है तब से यानि कीमते तय करने वाली कंपनियों पर लगाम न होने के कारण आम उपभोक्ता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं। कंपनियों की मनमानी चलने से सरकारी नियंत्रण भी हटता नजर आ रहा हैं। सरकारी नियंत्रण न होने से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण आम उपभोक्ता को बढ़ती महंगाई का सामना करना पड़ रहा है।

सरकार ने अलग से पेट्रोलियम विभाग के मंत्री की नियुक्तिभी की है परन्तु पेट्रोलियम मंत्री के इस बयान से की पेट्रोल डीजल के रेट्स कंपनिया तय करती है एक तरह से अपने विभाग को कटघरे में खड़े करने जैसा है, आखिर इन कंपनियों को ये अधिकार किसने दिया, सरकार ने भी इन्हे सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया। विभाग की दोहरी चाल वाला बयान कि हम इस पर टैक्स घटाएंगे परन्तु जब टैक्स घटाने की बात आई है तो यह कहना कि ये वित्त विभाग का काम है, जनता को गुमराह करता नजर आ रहा है ।

वित्त मंत्रालय क्या टैक्स काम करेगा , वह अपने आय के स्रोत को कम क्यों करेगा-विचारणीय है. केंद्र सरकार का अपना टैक्स है,राज्य सरकार का अपना ,दोनों मिलाकर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण आम उपभोक्ता पीस रहा है। यदि केंद्र सरकार व राज्य सरकार अपने-अपने टैक्स घटा दे तो 30-35 रूपये लीटर पेट्रोल, 35 -40 रूपये लीटर डीजल मिलने लगेगा।

जी.एस.टी. के नाम पर एक ही टैक्स प्रणाली का कहकर सरकार ने भी जनता को गुमराह किया। आज अलग-अलग राज्यों में पेट्रोल-डीजल की कीमते अलग-अलग होने से हमें यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है की एक राष्ट्र एक टैक्स वाला जुमला जनता को गुमराह कर रहा है। सरकार अपने बजाये जनता का हित देखकर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी कर सभी राज्यों में एक समान मूल्य निर्धारित कर आम उपभोक्ताको को छलने से बचाये।

सुनील काला

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

कन्ज्यूमर राइट्स आर्गेनाईजेशन

THE PROTECTION OF WOMEN FROM DOMESTIC VIOLENCE ACT, 2005

An Act to provide for more effective protection of the rights of women guaranteed under the Constitution who are victims of violence of any kind occurring within the family and formatters connected therewith or incidental thereto.

Beit enacted by Parliament in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement.-

   (a) This Act may be called the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005.

   (b) It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.

   (c) It shall come into force on such date1 as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.-In this Act, unless the context otherwise requires,-

   (a) "Aggrieved person" means any woman who is, or has been, in a domestic relationship with the respondent and who alleges to have been subjected to any act of domestic violence by the respondent;

   (b) "Child" means any person below the age of eighteen years and includes any adopted, step or foster child;

   (c) "Compensation order" means an order granted in terms of section 22;

   (d) "Custody order" means an order granted in terms of section 21;

   (e) "Domestic incident report" means a report made in the prescribed form on receipt of a complaint of domestic violence from an aggrieved person;

   (f) "Domestic relationship" means a relationship between two persons who live or have, at any point of time, lived together in a shared household, when they are related by consanguinity, marriage, or through a relationship in the nature of marriage, adoption or are family members living together as a joint family;

   (g) "Domestic violence" has the same meaning as assigned to it in section 3;

   (h) "Dowry" shall have the same meaning as assigned to it in section 2 of the Dowry Prohibition Act, 1961 (28 of 1961);

   (i) "Magistrate" means the Judicial Magistrate of the first class, or as the case may be, the Metropolitan Magistrate, exercising jurisdiction under the Code of Criminal Procedure, 1973(2 of 1974) in the area where the aggrieved person resides

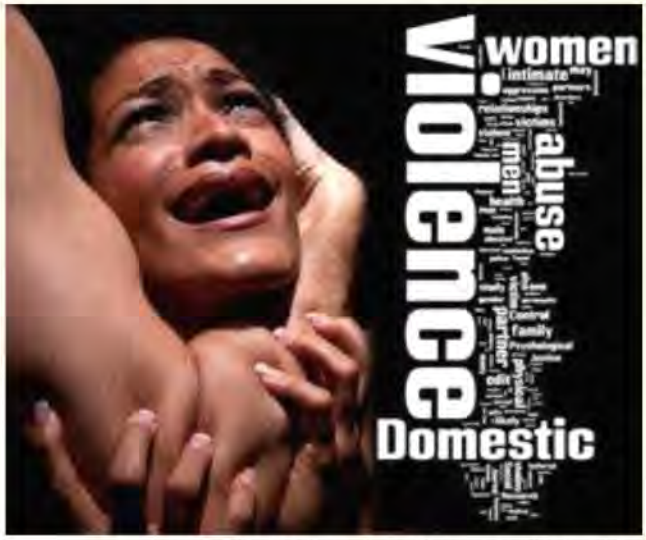

   temporarily or otherwise or the respondent resides or the domestic violence is alleged to have taken place;

   (j) "Medical facility" means such facility as may be notified by the State Government to be a medical facility for the purposes of this Act;

   (k) "Monetary relief" means the compensation which the Magistrate may order the respondent to pay to the aggrieved person, at any stage during the hearing of an application seeking any relief under this Act, to meet the expenses incurred and the losses suffered by the aggrieved person as a result of the domestic violence;

   (l) "Notification" means a notification published in the Official Gazette and the expression "notified" shall be construed accordingly;

   (m) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Act; 4

   (n) "Protection Officer" means an officer appointed by the State Government under sub-section (1) of section 8;

   (o) "protection order" means an order made in terms of section 18;

   (p) "residence order" means an order granted in terms of sub-section (1) of section 19;

   (q) "respondent" means any adult male person who is, or has been, in a domestic relationship with the aggrieved person and against whom the aggrieved person has sought any relief under this Act : Provided that an aggrieved wife or female living in a relationship in the nature of a marriage

may also file a complaint against a relative of the husband or the male partner;

(r) "service provider" means an entity registered under sub-section (1) of section 10;

(s) "shared household" means a household where the person aggrieved lives or at any stage has lived in a domestic relationship either singly or along with the respondent and includes such a house hold whether owned or tenanted either jointly by the aggrieved person and the respondent, or owned or tenanted by either of them in respect of which either the aggrieved person or the respondent or both jointly or singly have any right, title, interest or equity and includes such a household which may belong to the joint family of which the respondent is a member, irrespective of whether the respondent or the aggrieved person has any right, title or interest in the shared household;

(t) "shelter home" means any shelter home as may be notified by the State Government to be as helter home for the purposes of this Act.

3. Definition of domestic violence.-For the purposes of this Act, any act, omission or commission or conduct of the respondent shall constitute domestic violence in case it-

Harms or injures or endangers the health, safety, life, limb or well-being, whether mental or physical, of the aggrieved person or tends to do so and includes causing physical abuse, sexual abuse, verbal and emotional abuse and economic abuse.

4. Duties of police officers, service providers and Magistrate.-A police officer, Protection Officer, service provider or Magistrate who has received a complaint of domestic violence or is otherwise present at the place of an incident of domestic violence or when the incident of domestic violence is reported to him, shall inform the aggrieved person.

5. Duties of Government.-The Central Government and every State Government, shall take all measures to ensure that-

(a) the provisions of this Act are given wide publicity through public media including the television, radio and the print media at regular intervals;

(b) the Central Government and State Government officers including the police officers and the members of the judicial services are given periodic sensitization and awareness training on the issues addressed by this Act;

(c) effective co-ordination between the services provided by concerned Ministries and Departments dealing with law, home affairs including law and order, health and human resources to address issues of domestic violence is established and periodical review of the same is conducted;

(d) protocols for the various Ministries concerned with the delivery of services to women under this Act including the courts are prepared and put in place.

6. Proceedings to be held in camera.-If the Magistrate considers that the circumstances of the case so warrant, and if either party to the proceedings so desires, he may conduct the proceedings under this Act in camera.

CHESHTA SHARDA
District Organisation Secretary - Kota (Raj.)
CONSUMER RIGHTS ORGANISATION

KNOW YOUR RIGHTS

महिलाओं, बुजुर्गों, असहायों व विकलांगों को पहले स्थान देवें।

कन्ज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन

व्यसन मुक्ति (DEADDICTION)

व्यसन क्या है (What is drug abuse / addiction) : किसी भी पदार्थ, वस्तु की आदत लग जाना, उसके बिना जीवन नीरस लगना व्यसन कहलाता है।

मादक द्रव्य : वो पदार्थ जिनके इस्तेमाल से नशे की अनुभूति होना, इसके इसके इस्तेमाल से हमारे शरीर में अनेक तरह के रोग लग जाना जैसे - मानसिक या शारीरिक। उसके लगातार सेवन से उसकी लत या आदि हो जाना।

मादक पदार्थों के प्रकार (Type of drug or addiction) :

a) तम्बाकू युक्त - बीड़ी, सिगरेट, गुटका, पान मसाला, खैनी, जर्दा आदि।

b) तम्बाकू रहित - शराब, बियर, रम, महुआ।

c) अवैध पदार्थ - भांग, चरस, गांजा, ब्राउन शूगर, कोकेन, हीरोइन।

d) वाष्पशील विलायक (Volatic solvents) - इनके सेवन से शराब के नशे जैसा असर होता है (वाष्प सूंघने या पीने से) - नेल पोलिश, रिमूवर, पेट्रोल, आयोडेक्स (Iodex), विक्स (Vicks), शू पोलिश, ड्राई क्लीनिंग सोल्यूशन, फिनाइल।

e) बिना परामर्श दवाईयाँ - नींद की गोली, नशे का इंजेक्शन (Barciturates, Sedatives Hypotics, Tracullize)।

इतिहास (History) व्यसन से जुड़े तथ्य :

विश्व भर में प्रतिदिन 7500 करोड़ ड्रग्स की खपत होती है, जिसमें से भारत में रोज 2000 करोड़ के ड्रग्स की स्मगलिंग होती है।

भारत में व्यसन मुक्ति सेन्टर में 20 प्रतिशत से भी ज्यादा ड्रग ऐडिक्ट 16 साल से कम उम्र है, क्योंकि ड्रग मेडिकल शॉप पर आसानी से 25/- से कम कीमत पर मिल जाती है।

भारत सरकार गत 10 वर्षों से अनेक NGO's जैसे प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ पूरे भारत में कैम्पेनिंग कर रहा है।

भारत में सबसे ज्यादा व्यसन पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर में पाया जाता है एवं सबसे कम सिक्किम, अंडमान, पांडिचेरी में होता है।

पुरुषों में लगभग 30 प्रतिशत और महिलाओं में लगभग 3 से 5 प्रतिशन व्यसन करते हैं।

व्यसन के लक्षण (Signs & symptoms of addiction)

- व्यसन लेने की तीव्र इच्छा।
- निराशाजनक अनुभवन करना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा।
- मानसिक, शारीरिक निर्भयता।
- हाथ पैर में कंपन रहना, वाहन चलाने में असमर्थ।
- मन ना लगना, नींद ना आना या अत्यधिक नींद आना।

व्यसन के कारण (causes of addiction)

- बुरे दोस्तों की संगति।
- रोमांच एवं प्रसन्नता प्राप्ति हेतु।
- अपने को स्वतंत्र एवं उन्मुक्त समझना।
- परिवार का टूटना/अभिभावकों का ध्यान न देना।

व्यसन के परिणाम (Consequances of Addiction)

- कैंसर (मुख, फैफड़े और आंतें)।
- एक्सिडेंट (Road side accidents)।
- दांतो का घिसना (Attriction, Abrasion)।
- पीले, गंदे एवं बदबूदार मुख या दांत।
- मुख का कम खुलना (OSMF) एवं जबड़े में खराबी (TM Idysfuntion)।
- मसूड़े एवं हड्डी की बीमारी (Periodontitis)।
- शरीर की कमजोरी।
- नकली दांतों एवं फिलिंगल का टूटना एवं खराब होना।

व्यसन पर रोकथाम के उपाय (Solution of Addiction)

- मादक पदार्थों की तस्करी पर कठोर प्रतिबंध।
- मादक पदार्थों के खिलाफ।
- व्यसनियों का उपचार करना।
- नशामुक्ति शिविरों की व्यवस्था तथा अनुवर्ती देखभाल पर विशेष ध्यान।
- संविधानिक प्रावधानों एवं कानूनी प्रतिबंधों का उपयुक्त उपयोग।
- मादक पदार्थों के विरुद्ध विश्व स्तर की कार्यनीति एवं सहयोग की व्यवस्था विकसित करना।
- राजयोग मेडिटेशन एवं अन्य प्रकार के ध्यान की विधि प्रयोग करना।

Dr. Monika Khatri
(MDS Prostho)

Dr. Neetu Khatri
(BDS)

Dr. DEEPAK KUMAR
(BDS)

MEDITATION AS MEDICINE

Meditation – ध्यान, योग, साधना

जैसे दवाई शरीर के रोगों को खत्म करते हैं, उसी प्रकार ध्यान और योग मानसिक रुप से हमें सशक्त, मजबूत बनाते है। जिससे हम अपने दैनिक दिनचर्या, कार्यस्थान, सामाजिक रुप से हम अपने कार्य बहुत सरल, सभ्य तथा कम ऊर्जा में कर सकते हैं।

ध्यान – दिमा को अधिक क्रियाशील बनाता है।

– शरीर को एकाग्र, स्थिर और मजबूत बनाता है।

– हमारे मानसिक तनाव को कम करता है तथा हमारी मेमोरी को बढ़ाता है। ध्यान से हमारे में सकारात्मकता आती है। हम हर चीज में सीखने की प्रवृत्ति रखते हैं। ध्यान से हमारे शरीर में हार्मोन का स्राव सही मात्रा में होता है, जैसे कोर्टिसोल, जिससे हमारा दिमाग शांत रहता है।

ध्यान से – Endorphins Serotonin जैसे हार्मोन निकलते है, जिससे हम खुशी, आनन्द की अनुभूति करते हैं।

ध्यान से हम मानसिक रोगों से लड़ने में बहुत सहायता मिलती है।

ध्यान से उक्त रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।

ध्यान से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है।

ध्यान से हम नशे जैसे गुटखा, शराब, सिगरेट, बीड़ी से आसानी से छूट सकते है।

ध्यान से एलर्जी, कैंसर जैसी बीमारी से भी लाभ मिलता है।

ध्यान से अकेलापन का अहसास दूर होता है।

ध्यान से मधुमेह, निराशा, अवसाद, घृणा दूर होती है।

ध्यान से हमको संतुष्टता की अनुभूति होती है। इससे हम दूसरों की गलती को नहीं देखकर, अपने को सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं।

ध्यान से जिंदगी में सामंजस्य आता है। मन में आ रहे बुरे विचार से मुक्ति पा सकते हैं।

ध्यान से Palpitation Anxicity, Tremor से कम होता है। आज की तनाव भरी जिंदगी में ध्यान सबसे अच्छा तरीका है।

मन को शांत रखने के लिए, खुशी और आनंद की अनावश्यक विचारों को निकाल शुद्ध विचारों को मस्तिष्क में लाने के लिए।

ध्यान के तरीके –

1) ओम् का उच्चारण : इससे एकाग्रता आती है।

2) कल्पना ध्यान : इससे हम ईष्ट देव को सामने लाते हैं, उसकी बातों को अनुसरण करते हैं।

3) राजयोग : इससे हम परमात्मा से शक्ति लेते हैं, विचार करते हैं – हमें शांति, प्यार, सुख, आनन्द की किरणें मिल रही है। हम शक्तिशाली अनुभव कर रहे हैं। वो किरणें हमें शारीरिक और मानसिक रुप से भ्मसस कर रही है।

4) ध्यान – मंत्रों का उच्चारण : इससे हम गुरु द्वारा बताए हुए मंत्र का ध्यान करना है। इससे हमें एकाग्रता, शांति की अनुभूति मिलती है।

5) **Mindfulness Meditation** – इससे हम पूरी तरह वर्तमान के बारे में सोचते हैं, जागरुक रहते हैं। अतीत को भूल, भविष्य में होने वाले परिणाम में डूबते हैं। इससे हम सांस तथा अन्य शारीरिक संवेदना के बारे में जागरुक होते है।

6) ध्यान : एक शांत जगह बैठकर, चाहे तो आँखें बंद रखे या खोलकर बैठे। धीरे-धीरे सांस लें, सांसों को अनुभव करें। आस-पास की हवा, पानी को अच्छी तरह महसूस करे।

धीरे-धीरे आपको गहरा अनुभव होगा, आप शांत स्थित महसूस करें। इसमें चाहे तो अच्छे पावर फुल संकल्प सोच सकते है। जैसे मुझे अपना अच्छा करना है, अपने बारे में, दुनिया के बारे में पोजेटिव सोचें।

Dr. DEEPAK KUMAR
(BDS)

Dr. MONIKA KHATRI
(MDS Prostho)

Dr. NEETU KHATRI
(BDS)

Stress Management

तनाव प्रबंधन

तनाव – मन में चलने वाला ऐसा युद्ध है जो मन में गहन अशांति, चिंता, गहरी दरार, घृणा, अस्थिर भावना को जन्म देता है।

तनाव – मानसिक स्थिति तथा परिस्थिति के बीच होने वाला असंतुलन के कारण उत्पन्न होता है।

तनाव से मानसिक तथा शारीरिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है।

तनाव हमको – काम का दबाव, अति इच्छाऐं, प्रतिस्पर्धा की भावना, रिश्तों में अकेलापन, दूसरों की कमी देखना, दूसरों को स्वीकार न करना, संतुलित आहार न होना, नींद का न होना या ज्यादा होना, परिवार का साथ न होना, हीन भावना, संसाधन का न होना, शरीर की कोई बीमारी होना तथा अन्य कई कारणों से होता है।

तनाव के प्रबंधन के उपाय –

1) टाल-मटोल न करें, आज का काम कल पर न छोड़ें। हर चीज नियमित स्थान पर रखें।

2) समय का सदुपयोग करें, दिन भर के कार्य को रेखांकित करें तथा लिस्ट बनाकर उनको पूरा करे। लक्ष्य निर्धारित करें।

3) संतुलित आहार लें, खाने-पीने का ध्यान रखें।

Dr. NEETU KHATRI
(BDS)

Dr. MONIKA KHATRI
(MDS Prostho)

Dr. DEEPAK KUMAR
(BDS)

4) असफलता से सीख लेकर आगे बढ़े।

5) अगर आप करने में असमर्थ हैं, तो दूसरों को ना कहने की कला सीखना।

6) अच्छी नींद लें, आराम का सही तरीके से इस्तेमाल करें।

7) रोज सुबह योग करें, प्राणायाम करें तथा सुबह उठकर रोज एक अच्छा विचार लें और उसका अनुसरण करें।

8) अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें।

9) परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करें, आपस में अच्छा संवाद करें। अगर कोई गलती करता भी है तो प्यार से समझाऐं। अपने विचार सब पर न थोपें। छोटे-बड़े सबसे सीखने की कोशिश करें। जल्दबाजी, घृणा, ईर्ष्या न करें। यह अपने आप को ही जलाता है। सबको स्वीकार करें, अधिक इच्छा न करें।

10) जो आपके पास है, उसका सदुपयोग करें। दूसरे को सम्मान दें।

कविता

मुश्किलों भरे सफर में जिंदगी जीना सीख रहा हूँ।
कांटों के जंगल में फूल खिलाना सीख रहा हूँ।
जिंदगी की कशमकश में रिश्ते निभाना सीख रहा हूँ।
छोटी मोटी बातों को भूल मुस्कुराना सीख रहा हूँ।
हिम्मत के कदमों से आगे बढ़ना सीख रहा हूँ।
जिंदगी में खुश रहकर खुशी बांटना सीख रहा हूँ।
अंधेरों भरे रास्तों में दीपक जलाना सीख रहा हूँ।
गैरों की दुनिया में सबको अपना बनाना सीख रहा हूँ।
संघर्ष भरी जिंदगी में मेहनत करना सीख रहा हूँ।
आशा के पंखों से आसमान में उड़ना सीख रहा हूँ।
मिलजुल कर, हंसबोल कर
राहे खुशनुमा बनाना सीख रहा हूँ।
पेड़, लता, उपवन, पानी, हवा, पहाड़ इनका
अहसान मान रहा हूँ।
परिवार, दोस्त, टीचर, गुरु
इनकी अहमियत जान रहा हूँ।
जिंदगी में हर पल, हर मौसम, हर लम्हे की
कीमत जान रहा हूँ।
मुश्किलों भरे सफर में जिंदगी जीना सीख रहा हूँ।

कैंसर – बीमारी नहीं बिजनेस

जानें चौंकाने वाला सच कैंसर के बारे में :– एक बार अवश्य पूरा पढ़ें

– वाट्सअप पोस्ट : मांगीलाल ओसवाल चन्दन

भले ही आपको इस बात पर यकीन न हो रहा हो... लेकिन, यह पूरी जानकारी पढ़ने के बाद – आप भी यही कहेंगे कि – कैंसर कोई बीमारी नहीं... बल्कि, चिकित्सा जगत में पैसा कमाने का साधन मात्र है।

पिछले कुछ सालों में – कैंसर को एक तेजी से बढ़ती बीमारी के रूप में प्रचारित किया गया। जिसके इलाज के लिए – कीमोथैरेपी, सर्जरी या और उपायों को अपनाया जाता है, जो महंगे होने के साथ-साथ... मरीज के लिए उतने ही खतरनाक भी होते हैं।

लेकिन, अगर हम कहें कि – कैंसर जैसी कोई बीमारी है ही नहीं तो ? जी हां... यह बात बिल्कुल सच है कि – कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि को स्वास्थ्य जगत में – कैंसर का नाम दिया गया है... और, इससे अच्छी खासी कमाई भी की जाती है। लेकिन, इस विषय पर लिखी गई एक किताब – 'वर्ल्ड विदाउट कैंसर' जो कि कैंसर से बचाव के हर पहलू को इंगित करती है... और, अब तक विश्व की कई भाषाओं में ट्रांसलेट की जा चुकी है !

इस किताब का दावा है कि – कैंसर कोई बीमारी नहीं... बल्कि, शरीर में विटामिन 'बी–17' की कमी होना है। आपको यह बात जरूर जान लेना चाहिए कि – कैंसर नाम की कोई बीमारी है ही नहीं... बल्कि, यह शरीर में विटामिन बी17 की कमी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इस कमी को ही कैंसर का नाम देकर... चिकित्सा के क्षेत्र में एक व्यवसाय के रूप में स्थापित कर लिया गया है। जिसका फायदा मरीज को कम... और, चिकित्सकों को अधिक होता है।

चूंकि, कैंसर मात्र शरीर में किसी विटामिन की कमी है... तो – इसकी पूर्ति करके इसे कम किया जा सकता है... और, इससे बचा जा सकता है।

यह उसी तरह का मसला है – जैसे सालों पहले श्स्कर्वीश रोग से कई लोगों की मौते होती थी... लेकिन, बाद में खोज में यह सामने आया कि – यह कोई रोग नहीं... बल्कि, विटामिन सी की कमी या अपर्याप्तता थी।

कैंसर को लेकर भी कुछ ऐसा ही है।

विटामिन बी 17 की कमी को कैंसर का नाम दिया गया है.. लेकिन, इससे डरने या मानसिक संतुलन खोने की जरूरत नहीं है।

बल्कि, आपको इसकी स्थिति को समझना होगा... और, उसके अनुसार – इसके वैकल्पिक उपायों को अपनाना होगा।

इस कमी को पूरा करने के लिए – फ्रूट स्टोन, खूबानी, सेब, पीच, नाशपाती, फलियां, अंकुरित दाल व अनाज, मसूर के साथ ही बादाम विटामिन बी 17 का बेहतरीन स्त्रोत है।

इनके अलावा – स्ट्रॉबेरी, ब्लू बेरी, ब्लैक बेरी, कपास व अलसी के बीच, जौ का दलिया, ओट्स, ब्राउन राइस, धान, कद्दू, ज्वार, अंकुरित गेहूं, ज्वारे, कुद्दू, जई, बाजरा, काजू, चिकनाई वाले सूखे मेवे आदि विटामिन बी17 के अच्छे स्त्रोत हैं। इन्हें अपनी रोज की डाइट में शामिल करके... आप कैंसर से यानि इस विटामिन की कमी से होने वाली गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकते हैं।

रोज 45 मिनिट योगा करे। खासकर ''कपालभाति'' – कपालभाति से शरीर के किसी भी हिस्से में हुए गठान या कैंसर को खत्म किया जा सकता है।

– डॉ. निर्मला डांगी (रतलाम – मध्यप्रदेश)

संकलनकर्ता :– विरेनभाई शेठ (भुज-कच्छ)

संयोजक – टीम सुखडीया ● मो. +91-76000-00138

प्रस्तुतकर्ता :– (टीम सुखडीया) 'सुखडीया जन-जागृति अभियान' कृप्या पूरा पढ़े और सावधानी बरतें, सावधान हो जाए....और सभी को बतायें और जनता को जागरूक करें।

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज़्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड.
(भारत सरकार का उपक्रम)
INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION LTD.
(A Govt. of India Enterprise)

DEAR PASSENGERS, KNOW YOUR ENTITLEMENT

Rates of meal items in Mail/ Express Trains

1. Coffee/Tea with Tea bag (150 ml.)-	**Rs. 7/-**
2. Packaged Drinking Water (1 ltr.)-	**Rs. 15/-**
3. Standard Veg. Breakfast - (02 Slices Bread + 01 Butter Chiplet + 02 Veg. Cutlets + 01 Sauce Sachet)	**Rs. 30/-**
4. Standard Non Veg Breakfast- (02 Slices Bread + 01 Butter Chiplet + 02 Eggs Omelette + 01 Sauce Sachet)	**Rs. 35/-**
5. Standard Veg Casserole Meal (Lunch/ Dinner)- Rice (150 gms) + 02 Parathas or 04 Rotis (100 gms)+ Dal (150 gms) + Mix Veg (100 gms)+ Pickle Sachet+ Curd (100 gms) or Sweet (40 gms) + Packaged Water Glass (250 ml)	**Rs. 50/-**
6. Standard Non Veg Casserole Meal (Lunch/Dinner) - Rice (150 gms) + 02 Parathas or 04 Rotis (100 gms)+ Dal (150 gms) + 02 Egg Curry (200 gms)+ Pickle Sachet+ Curd (100 gms) or Sweet (40 gms) + Packaged Water Glass (250 ml)	**Rs. 55/-**

Please insist for bill upon availing catering services

A. All packed items-on MRP
B. Tax @ extra (except on packaged drinking water)
C. Complaint/Suggestion Book (for catering complaints) is available with Pantry Car Manager
D. Money receipt will be issued alongwith the order.

१). सभी पेकेटी वस्तुएँ - पर छपे हुए वास्तविक मूल्य पर
२). टैक्स @ अतिरिक्त (पानी की बोतल छोड़कर)
३). शिकायत / सुझाव पुस्तक पेन्ट्रीकार प्रबंधक के पास उपलब्ध है
४). बिल के साथ नकद रसीद दी जायेगी

Visit our website www.irctc.com for further information/ suggestions / complaints on catering services or call (24x7) on:
अधिक जानकारी या टी ही केटरिंग सेवाओं के संबंध में सुझाव / शिकायत / सुझाव के लिए वेबसाइट www.irctc.com देखें या सेवा के दौरान समय का संपर्क करें:
National toll free no. 1800-111-139

Our Vision : Quality, Service, Cleanliness & Value

link : http://worldnow.in/wp-content/uploads/2017/02/IRCTC-latest-price-list.jpg

उपभोक्ता संरक्षण के निमित्त जागरुकता एवं महत्त्व

उपभोक्ता जागरूकता यानि एक उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के समझ हेतु उपलब्ध उत्पादों और सेवाओं के विपणन के विषय में एक उपभोक्ता के रूप में अपने वास्तविक अधिकारों के रक्षा के निमित किसी व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। इस अवधारणा की चार श्रेणियों के सहित सुरक्षा, पसंद, जानकारी, और सुना जाने का अधिकार शामिल है। पूंजीवाद और वैश्वीकरण के इस युग में, अपने लाभ को अधिकतम करना प्रत्येक निर्माता का मुख्य उद्देश्य है। हर संभव तरह से यह निर्माता अपने उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये वे उपभोक्ताओं के हित को भूल जाते हैं और अपने फायदे के लिए ज्यादा किराया, वजनी, मिलावटी और गरीब गुणवत्ता की वस्तुओं की बिक्री, झूठे विज्ञापन आदि देकर उपभोक्ताओं को गुमराह करके उनका शोषण करते रहते हैं। इस तरह के धोखे से खुद को बचाने के लिए, उपभोक्ता को चौकस रहने की आवश्यकता है। इस तरह से उपभोक्ता जागरूकता का मतलब है की उपभोक्ता अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग और सचेत रहें।

अन्य विकसित देशों के तरह हीं उपभोक्ता संबंधी जागरूकता, जरूरत, महत्त्व और संरक्षण संबंधी भारत में भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ताओं को वस्तुओं या सेवाओं के गुण, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, मानक एवं कीमत से संबंधित गलत ब्यवहार से बचने के लिये उपभोक्ता के सुरक्षा के निमित्त बना है। सामान्य अर्थों में उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो उपभोग करने हेतु कुछ निश्चित वस्तुओं या सेवाओं को सशर्त भुगतान कर खरीदते हैं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के तीव्र गति से विकास की ओर अग्रसर होने के कारण तकनीकी एवं उच्च विशेषता वाले असहज उत्पादों के निर्माण से उपभोक्ताओं में उनके उपयोग के लिये सस्ता एवं अच्छा उत्पाद के लिए ब्यापक संशय उत्पन्न हो गया है।आधुनिक व्यापारिक तकनीकों एवं लुभावने विज्ञापनों पर विश्वास कर लोग वस्तु का तो खरीद कर लेते हैं लेकिन यह उनकी उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतरती है। उपभोक्ताओं के हितों की देख रेख के लिए सेवा संगठनों के अभाव होने से यह समस्या और जटील हो जाती है।

इन्हीं परिस्थितियों के मद्देनजर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ताओं के जागरूकता के निमित्त अनेकों स्वयं सेवी उपभोक्ता संरक्षण संस्थाये कार्यरत हैं।

उपभोक्ताओं के संरक्षण के निमित्त निम्न बिंदुओं पर उनमें जागरूकता लाने की प्रयास किये जाने पर आम सहमति लानी होगी -

1) घातक वस्तुओं के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार।

2) उपभोक्ताओं को सभी वस्तुओं संबंधी सूचना पाने का अधिकार।

3) वस्तुओं के चुनाव या पसंद का अधिकार।

4) सुनवाई या अपील का अधिकार।

5) उपचार का अधिकार।

6) उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार।

7) उपभोक्ता का संवैधानिक अधिकार।

8) शिकायत कर्ता एवं शिकायतों की मानक।

9) गलत एवं प्रतिबंधित व्यापारिक गतिविधियां।

10) दोषपूर्ण वस्तु की उचित ब्याख्या।

11) सेवा में आई गिरावट पर सुधार।

इन सबों के लिये विभिन्न स्तरों पर यथा उपभोक्ता सुरक्षा परिषद, उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम (जिला फोरम), राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (राज्य आयोग), राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग) कार्यरत है।

इसी रूप में उपभोक्ताओं में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता लाकर उनको आधुनिक भौतिकवादी वस्तुओं, अन्य सेवाओं से बचाने का प्रयास किया जा सकता है।

शिवानन्द सिंह
स्टेट प्रेसीडेन्ट
बिहार

अभिषेक कुमार
स्टेट वाइस-प्रेसीडेन्ट
बिहार

विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस पर शहरभर में हुए कई आयोजन

3 माह में शुरू होगी कंज्यूमर हेल्पलाइन

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

दूरस्थ और ग्रामीण अंचल में उपभोक्ताओं को जागरूक करने के ठोस प्रयास किए जाएं, कंज्यूमर हेल्पलाइन को शुरू किया जाए, यह बात खाद्य-नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण एवं श्रम मंत्री ओमप्रकाश धुर्वे ने विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहीं। भोपाल हाट में राज्य-स्तरीय कार्यक्रम में खाद्य, औषधि प्रशासन, नाप-तौल, तेल और गैस कम्पनी, बैंक और उपभोक्ता क्षेत्र में काम करने वाली विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं के स्टॉल में दर्शाई गतिविधियों का हवाला देते हुए, धुर्वे ने कहा कि नगरीय के साथ ग्रामीण क्षेत्र पर भी ध्यान देने की जरूरत है। प्रमुख सचिव केसी गुप्ता ने बताया कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 2 से 3 माह के भीतर कंज्यूमर हेल्प लाइन शुरू करवाएगा।

मंत्री धुर्वे ने कहा कि उपभोक्ता मामलों के निराकरण में और तेजी लाने की जरूरत है। कुछ जिलों में उपभोक्ता मामलों का दर्ज न होना दर्शाता है कि उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में भी संचालित किये जाये। मंत्री धुर्वे ने कहा कि ऐसी स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान देने में प्राथमिकता दी जाये।

भोपाल हाट में हुआ कार्यक्रम, उपभोक्ताओं को बताए अधिकार

संगठनों के लगे 35 स्टॉल

हेल्प लाइन के टोल.फ्री नम्बर पर उपभोक्ता शिकायत कर जानकारी भी प्राप्त कर सकेगा। मंत्री धुर्वे ने प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। प्रदर्शनी में विभिन्न विभाग और स्वैच्छिक संगठन द्वारा 35 स्टॉल लगाये गये। मध्यप्रदेश वेयर-हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह राजपूत और मध्यप्रदेश सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष हितेष वाजपेयी ने भी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। आयुक्त खाद्य विवेक पोरवाल, नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक फैज अहमद किदवई और रजिस्ट्रार राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण अवधेश श्रीवास्तव भी मौजूद थे।

यह हुए सम्मानित

कार्यक्रम में वर्ष 2016 के लिए राज्य-स्तर पर प्रथम पुरस्कार के लिये विध्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद सीधी के हरीश मिश्रा को प्रथम, कंज्यूमर एण्ड सिविल राइट्स एसोसिएशन ग्वालियर की ममता सिंह को द्वितीय और आशा स्मिता फाउण्डेशन भोपाल की स्मिता सक्सेना को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निबंध और पोस्टर प्रतियोगिता में चयनित 6 छात्र-छात्राओं को भी पुरस्कार दिये गये। उत्कृष्ट स्टॉलों के लिये नाप-तौल, खाद्य एवं औषधि प्रशासन और आशा स्मिता फाउण्डेशन को भी सम्मानित किया गया।

कोई भी सामान खरीदें तो बिल जरूर लें: काला

भोपाल। अगर आप किसी भी दुकान से कोई भी सामान खरीदें, तो उसका बिल अवश्य लें। बिल होने पर संबंधित दुकानदार पर कार्रवाई करने के साथ आप ठगने से बच सकते है। यह बात बुधवार को विश्व उपभोक्ता दिवस पर आयोजित संगोष्ठी में कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील काला ने कही। संगोष्ठी में राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन अग्रवाल ने कहा कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक करवाना इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य है। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि खाद्य मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे, नगर निगम अध्यक्ष सुरजीत सिंह चौहान एवं भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ललित जैन विशेष रूप मौजूद थे। संगोष्ठी से पहले कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने लोगों को उनको अधिकार बताने बुधवार सुबह लिली टॉकीज से जागरूकता वाहन रैली निकाली गई।

अपने अधिकारों को जानें: सुनील

भोपाल। आम उपभोक्ता उपभोक्ता अधिनियम को अधिकार के रूप में उपयोग कर धोकाधड़ी से बच सकते है। इसके लिए सभी को अपनी मानसिकता को बदलना होगा। 24 दिसंबर के दिन उपभोक्ता दिवस मनाने की घोषणा की गई। कंज्यूमर राइट्स आर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील काला का कहना है कि संगठन कई वर्षों से आम उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए संपूर्ण भारत में कई सदस्यों के साथ उपभोक्ता का उनके अधिकार दिलाने के लिए प्रयासरत है।

'उपभोक्ता दिवस' पर निकाली गई रैली व संगोष्ठी का आयोजन

भोपाल। कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उपभोक्ता दिवस पर उपभोक्ताओं में जागरुकता लाने और उनको अधिकारों से अवगत कराने के लिए रैली निकाली गई और संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील काला ने बताया कि रैली लिली टॉकीज से शुरू होकर साउथ टीटी नगर में प्लेटिनम प्लाजा के पास स्थित दुष्यंत स्मारक पर समाप्त हुई। इसके पश्चात उपभोक्तों के अधिकारों को लेकर एक संगोष्ठी हुई जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के व्यावसायिक महारथियों ने भाग लिया। इस अवसर वक्ताओं ने कहा कि हाल के वर्षों में उपभोक्ताओं में जागरुकता बढ़ी है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का आयोजन 24 दिसंबर को

[illegible] 24 दिसंबर 2016 को दोपहर 1 बजे से राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का आयोजन रखा गया है। इस मौके पर उपभोक्ताओं को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, विद्युत, दूरसंचार, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, नापतौल आदि विभागों से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी।

साउथ इण्डिया जोनल मीटिंग

with best compliments

BIHAR DISTT. OR BLOCK TEAM

Vijay Kr. Yadav
Distt. President
Banka, Bihar

Gopi Chandra Manjhi
Distt. Vice-President
Banka, Bihar

Pankaj Kr Manjhi
Distt. Org. Secretary
Banka, Bihar

Raghunandan Kr
Block President
Tarapur Munger, Bihar

Suman Kr Jha
Block President
Dhoriya, Banka, Bihar

Anurag Raj
Block Org. Secretary
Bounsi, Banka, Bihar

Rajiv Kumar
Block President
Pirpainti, Bhagalpur, Bihar

Puran Lal Tudu
Panchayat President
Sanga-Bounsi, Banka, Bihar

Mritunjay Kr. Madhukar
Block President
Rajoun, Banka, Bihar

विशेष एवं उत्तम विचार

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की चन्द लाईनें जो हमे जीवन में हमेशा याद रखनी चाहिए और हो सके तो उसे अमल भी करना चाहिये -

1. जिदंगी मे कभी भी किसी को, बेकार मत समझना,क्योकि
बंद पडी घडी भी दिन में, दो बार सही समय बताती है।

2. किसी की बुराई तलाश करने, वाले इंसान की मिसाल उस
मक्खी की तरह है जो सारे, खूबसूरत जिस्म को छोडकर
केवल जख्म पर ही बैठती है।

3. टूट जाता है गरीबी में, वो रिश्ता जो खास होता है,
हजारो यार बनते है, जब पैसा पास होता है।

4. मुस्करा कर देखो तो, सारा जहॉ रंगीन है,
वरना भीगी पलको, से तो आईना भी, धुधंला नजर आता है।

5. जल्द मिलने वाली चीजे, ज्यादा दिन तक नही चलती,
और जो चीजे ज्यादा, दिन तक चलती है, वो जल्दी नही मिलती।

6. बुरे दिनो का एक, अच्छा फायदा
अच्छे-अच्छे दोस्त, परखे जाते है।

7. बीमारी खरगोश की तरह आती है और
कछुए की तरह जाती है
जबकि पैसा कछुए की तरह आता है और
खरगोश की तरह जाता है।

8. छोटी छोटी बातो में, आनंद खोजना चाहिए
क्योकि बड़ी-बड़ी तो, जीवन मे कुछ ही होती है।

9. ईश्वर से कुछ मांगने पर, न मिले तो उससे नाराज
ना होना क्योकि ईश्वर, वह नही देता जो आपको
अच्छा लगता है बल्कि, वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है

10. लगातार हो रही, असफलताओं से निराश नही होना चाहिए
क्योंकि कभी-कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी
ताला खोल देती है।

11. ये सोच है हम इसांनो की, कि एक अकेला क्या कर सकता है
पर देख जरा उस सूरज को, वो अकेला ही तो चमकता है।

12. रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हो, उन्हे तोड़ना मत
क्योकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो
अगर प्यास नही बुझा सकता, वो आग तो बुझा सकता है।

13. अब वफा की उम्मीद भी किस से करे भला
मिटटी के बने लोग कागजों में बिक जाते है।

14. इंसान की तरह बोलना न आये तो
जानवर की तरह मौन रहना अच्छा है।

15. जब हम बोलना नहीं जानते थे तो हमारे बोले बिना 'माँ'
हमारी बातो को समझ जाती थी और आज हम
हर बात पर कहते है छोडो भी 'माँ' आप नही समझोंगी।

16. शुक्र गुजार हूँ उन तमाम लोगो का जिन्होंने बुरे वक्त में
मेरा साथ छोड दिया, क्योकि उन्हे भरोसा था
कि मै मुसीबतो से अकेले ही निपट सकता हूँ।

17. शर्म की अमीरी से इज्जत की गरीबी अच्छी है।

18. जिदंगी में उतार चड़ाव का आना बहुत जरुरी है
क्योकि ECG मे सीधी लाईन का मतलब मौत ही होता है।

19. रिश्ते आजकल रोटी की तरह हो गए है
जरा सी आंच तेज क्या हुई, जल भुनकर खाक हो जाते।

20. जिदंगी में अच्छे लोगो की, तलाश मत करो खुद अच्छे बन जाओ
आपसे मिलकर शायद किसी की तालाश पूरी हो।

हर एक की सुनो ओर हर एक से सीखो'
क्योंकि हर कोई, सब कुछ नही जानता'
लेकिन हर एक 'कुछ ना कुछ' जरुर जानता हैं !

●

स्वभाव रखना है, तो उस 'दीपक' की तरह रखिये,
जो बादशाह के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है,
जितनी की किसी गरीब की झोपड़ी में

●

'पहचान' से मिली हुई 'सेवा' बहुत कम समय के लिए टिकती है,
लेकिन 'सेवा' से मिली 'पहचान' उम्र भर तक कायम रहती है ।

●

'मेहनत का फल' और 'समस्या का हल'
देर से ही सही पर मिलता जरूर है..

4 | दैनिक जागरण नई दिल्ली, 30 अक्टूबर 2017

किराया तय, जल्द सड़कों पर दिखेगी बाइक टैक्सी

संचालन का रास्ता साफ, परमिट व टैक्स का निर्धारण, किराया तय

नीरज मिश्र • लखनऊ

शहरों में बढ़ती भीड़ और आए दिन लगने वाले जाम को देखते हुए परिवहन विभाग ने गुड़गांव की तर्ज पर लखनऊ समेत प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बाइक टैक्सी संचालन का रास्ता स
प्राधिकर
लिए बी
गए हैं। र
तय कर
23
प्राधिकर
सभी सं
में बाइक
मानते हुए
दरअसल
बीते वर्ष

सके। परमिट जारी करने में एक बड़ी बाधा किराया और बाइक टैक्सी का टैक्स तय न होना भी था। इसे लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी। 23 अक्टूबर को बैठक में उच्चाधिकारियों की किराये को लेकर सहमति बनी। इसमें बाइक टैक्सी को

ये होगा जरूरी

- परमिटधारक का नाम, पता व मोबाइल नंबर गाड़ी पर लिखा होगा।
- चालक का फोटो, नाम, पता, फोन

3 DelhiTimes मिक्स मसाला

अगर आप किसी मेट्रो स्टेशन पर उतरे हैं और मार्केट के अंदरूनी एरिया में जाना है, तो शायद बैटरी रिक्शा आपको वहां न ले जाए। इसी वजह से बाइक टैक्सी सर्विस इन दिनों काफी फेमस हो रही है।

गलियों में शॉपिंग करनी है, तो बाइक टैक्सी है न !

नोएडा-ग्रेटर नोएडा आगरा उजाला

बाइक टैक्सी ने सस्ती और सुगम की लोगों की राह

नोएडा में 160 बाइक टैक्सी हुई रजिस्टर्ड और 150 कतार में

एनसीआर से बाहर तक जाने की छूट

यात्री बोले

मुंहमांगा किराया वसूलते ऑटो वाले

कम समय में पहुंचाते हैं गंतव्य तक

बाइक टैक्सी का किराया

'बाइक बोट' से सस्ता और आसान होगा सफर

स्थानीय परिवहन का नया विकल्प, शहर में पहली बाइक कैब को दिया गया परमि

ओम बाजपेयी • मेरठ

अगर आप अकेले हैं और गंतव्य तक जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो आपके लिए सस्ती और सुरक्षित सवारी के रूप में बाइक कैब अब आपको उपलब्ध होगी। 'बाइक बोट' कंपनी ने शहर में एक बाइक का परमिट लेकर योजना को शुरुआत कर दी है। कैब के रूप

कैब के रूप में 100 सीसी की बाइक का इस्तेमाल होगा। सवारी को भी हेलमेट दिया जाएगा। एप भी लांच किया गया है, जिसमें लोकेशन डालकर उस रूट पर चल रही बाइक कैब का पता लगा सकेंगे।

संजय गोयल, मेरठ हेड, बाइक बोट

गोवा में बाइक कैब काफी लोकप्रिय है।

बड़े पैमाने पर बाइक टैक्सी सेवा लांच करने की तैयारी

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार देश में बड़े पैमाने पर बाइक टैक्सी सेवा लांच करने की योजना बना रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार एक ऐसा एप पेश करने की तैयारी में जुटी है। इसमें आवाजाही का यह नया और सस्ता तरीका भी शामिल होगा। बाइक टैक्सियां न केवल दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में भीड़भरी सड़कों पर कारगर साबित होंगी, बल्कि इनसे ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को यातायात की सस्ती सुविधा मिल सकेगी। बाइक टैक्सियां देश में कुछ जगहों पर पहले ही शुरू की जा चुकी हैं, मगर ज्यादातर यह पहल निजी कंपनियों की ओर से की गई है।

गडकरी ने कहा, 'हम बाइकों को टैक्सियों के रूप में पेश करने की योजना तैयार करने में जुटे हैं। हम एक कैब एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पर सारे परिवहन का कोई भी तरीका चुन सकता है। इसमें बाइक टैक्सी भी शामिल होगी। विशेषज्ञ और नीति नियोजक पहले ही इस मामले में प्रजेंटेशन दे चुके हैं। इनके ब्योरे और शर्त-शर्तों पर तेजी से काम चल रहा है।' बाइक टैक्सी को रोजगार से जोड़ते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में रोजगार की कमी एक बड़ी समस्या है। हमारी सरकार की प्राथमिकता रोजगार मुहैया कराना है। आज देश में 22 लाख ड्राइवरों की कमी है। बाइक कारित टैक्सियां न केवल सस्ती यात्रा सुविधा मुहैया करा सकती हैं, बल्कि इनके जरिये लाखों युवकों को रोजगार भी हासिल हो सकता है।

सरकार देश में बाइक टैक्सी सेवा लांच करने की तैयारी में: नितिन गडकरी

Pubish Date:Mon, 31 Jul 2017 11:07 AM (IST) | Updated Date:Mon, 31 Jul 2017 11:07 AM (IST)

सरकार देश में बाइक टैक्सी सेवा लांच करने की तैयारी में: नितिन गडकरी

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि केंद्र सरकार देशभर बाइक टैक्सी सेवा लांच करने की योजना बना रही है

नई दिल्ली (जेपीएनएन)। केंद्र सरकार देश में बड़े पैमाने पर बाइक टैक्सी सेवा लांच करने की योजना बना रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार एक ऐसा एप पेश करने की तैयारी में जुटी है। इसमें आवाजाही का यह नया और सस्ता तरीका भी शामिल होगा। बाइक टैक्सियां न केवल दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में भीड़भरी सड़कों पर कारगर साबित होंगी, बल्कि इनसे ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को यातायात की सस्ती सुविधा मिल सकेगी। बाइक टैक्सियां देश में कुछ जगहों पर पहले ही शुरू की जा चुकी हैं, मगर ज्यादातर यह पहल निजी कंपनियों की ओर से की गई है।

WORLD CONSUMER DAY 15.03.2018 at BHOPAL (MP)

बाइक बोट

कार से जाम में फंस जाने के कारण कई बार व्यक्ति बहुत ही देरी से पहुँचते है, लेकिन बाइक टैक्सी से आमजन की यह समस्या दूर हो सकती है

संजय भाटी

(संरक्षक सदस्य एनपीटी)

आज के भीड़-भाड़ से भरे शहरों में मंजिल पर पहुँचने में बहुत सारी असुविधायें होती है, जिनका निराकरण करने के लिए गर्वित इनोवेटिव द मोटर्स लिमिटेड ने बाइक टैक्सी के रुप में नया प्रयोग करना शुरु किया बात करते हैं ''बाइक बोट'' की तो अब में लगभग 6 महीने पहले की गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स के एम.डी. संजय भाटी जो कि गांव देहात की ऐसी प्रतिभाएं जो अपने आप में बहुत बड़ी प्रतिभाएं थी। लेकिन प्रतिभाओं को उचित प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से यह प्रतिभाएं गुमनामी के अंधेरे में खोई हुई थी।

ऐसी प्रतिभाओं को समाज के सामने लाने के लिए कम्पनी के प्रबंधक संजय भाटी ने समाचार टुडे चैनल के माध्यम से द गर्वित के नाम से एक कार्यक्रम चलाया जिसमें ऐसी प्रतिभाओं को आमजन के सामने लाया गया जो अपने आप में बहुत की उपलब्धि वाली प्रतिभाएं थी, जो गुमनामी के अंधेरे में खोई हुई थी। इसके अलावा कुछ ऐसी भी प्रतिभाएं थी जो धन के अभाव में दम तोड़ चुकी थी। ऐसी प्रतिभाओं को गर्वित शो के माध्यम से एक नई पहचान दी। इसी शो के दौरान बात करते समय संजय भाटी जी ने बताया कि आम जनता जिनमें ऐसे लोग भी हैं, जो कि समय के कारण बहुत बड़ी उपलब्धि को खो देते हैं। जैसे कि घर से निकलते समय रास्ते में जाम के कारण अपने निर्धारित समय से नहीं पहुँच पाते हैं। इन्ही सब को ध्यान में रखते हुए बाइक टैक्सी का विचार आया था, जिसका जिक्र उन्होंने द गर्वित शो के दौरान किया तभी से ऐसे लोगों को जो कि कुछ क्षण की देरी के कारण जिंदगी की बहुत बड़ी उपलब्धियों से वंचित रह जाते हैं को उनकी समय से पहुँचने के लिए बाइक टैक्सी का प्रोजेक्ट बनाया। वैसे तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए आजकल कार भी टैक्सी के रुप में प्रयोग हो रही है। लेकिन कार से जाम में फंस जाने के कारण कई बार व्यक्ति बहुत ही देरी से पहुंचते हैं, लेकिन बाइक टैक्सी से आम जन की यह समस्या दूर हो सकती है। क्योंकि शाम के समय बाइक को आसानी से दूसरे वैकल्पिक रास्तों से निकालकर समय से अपने गंतव्य तक पहुँचा जा सकता है।

वहीं बाइक के बाजार में आ जाने से और भी कई कम्पनियां बाइक टैक्सी बाजार में लेकर आई है, लेकिन यदि हम बात करते हैं दबा एक बोट की तो यह कम्पनी इन सब कम्पनियों से अलग स्थान रखती है, क्योंकि बाइक बोट में एक ही बाइक से दो परिवारों का रोजगार चल सकता है, एक परिवार कुछ पैसे लगाकर अपनी मोटर साइकिल को चलाने के लिए वह व्यक्ति काम कर सकता है, जिसके पास अपनी मोटर साइकिल खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। कह सकते हैं बाइक बोट एक साथ दो परिवारों को रोजगार के साधन उपलब्ध करा रही है। वहीं आम जनता में भी बाइक बोट को लेकर बहुत ज्यादा रोमांच है बाइक बोट कम्पनी के साथ बड़े पैमाने पर इनवेस्टर जो कि पैसा लगाकर मुनाफा कमा रहे हैं जुड़ चुके हैं, वहीं ऐसे युवाओं की भी भरमार है जो बेरोजगार हैं, उन्हें भी बाइक पर रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है।

BikeBoT ...
powered by GIPL

बाइक बोट टैक्सी के फायदे

Promoted by

Sanjay Bhati
Garvit Innovative promoters limited

महिलाओं के लिए महिला ड्राइवर
कम खर्च में ज्यादा दूरी
कम खर्च में बाइक टैक्सी से ज्यादा दूरी तय कर सकेंगे।
जाम की स्थिति में आसानी से निकला जा सकता है।
कम समय और कम पैसे में ज्यादा दूरी तक करेंगे।
आसानी से आपके दरवाजे तक पहुंच सकेंगी।
छोटे शहरों में भी आसानी से पहुंच सकेंगे।
हैलमेट की सुविधा बाइक टैक्सी पर मिलेगी
महिलाओं को उचित सुरक्षा मिलेगी।

www.mybikebot.com

अपनी बाईक किराए पर लगाएं और पैसे कमाएं

MOBILE APP BASED BIKE TAXI

BIKEBOT-THE BIKE TAXI
POWERED BY GIPL

www.mybikebot.com

BIKE BOT - THE BIKE TAXI

POWERED BY

GARVIT INNOVATIVE PROMOTORS LIMITED

COST OF ONE BIKE

Rs. – 62,100/-

Rs. – 4,590/- Rent (Per Month)

Rs. – 5,175/- Bike Cost (Per Month)

TOTAL = 9,765/- Per Month

Rs. – 4,590 x 12 = Rs. 55,080/-

Rs. – 5,175 x 12 = Rs. 62,100/-

TOTAL = Rs. 1,17,180/-
(In One Year)

BIKE BOT - THE BIKE TAXI

POWERED BY

GARVIT INNOVATIVE PROMOTORS LIMITED

WHAT COMPANY WILL DO FOR YOU

- BIKE PURCHASE
- COMMERCIAL REGISTRATION
- COMMERCIAL INSURANCE
- ROAD PERMIT
- ROAD TAX
- GPS & GST
- 2 HELMET
- 1 YEAR MAINTENANCE & SERVICE
- ARRANGE DRIVER
- WITH AGREEMENT

BIKE BOT - THE BIKE TAXI

POWERED BY

GARVIT INNOVATIVE PROMOTORS LIMITED

COST OF 3 BIKE

Rs. – 1,86,300/-

Rs. – 13,770/- Rent (Per Month)

Rs. – 15,525/- Bike Cost (Per Month)

29,295/- Per Month

+ 4,590/- One Bike Rent as Bonus

TOTAL = 33,885/- Per Month

Rs. – 33,885 x 12
= Rs. 4,06,620/-
(In One Year)

A UNIQUE OPPORTUNITY

www.mybikebot.com

GARVIT INNOVATIVE PROMOTORS LIMITED

BikeBot.....
POWERED BY GIPI

अपनी बाइक किरायें पर लगायें,

केवल 62,100/- डिपोजिट

और हर माह कमायें
9765/-

अपनी बाइक किराये पर लगायें
ड्राइवर, फ्यूल, मेन्टीनेन्स
सभी कुछ कम्पनी का ।